महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 14 जून, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक में मोदी ने कहा

पहले आतंकवाद रोके पाक, तभी होगी बात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जून।

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई शिखर सम्मेलन (एससीओ) में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का मुद्दा उठा। भारत ने पड़ोसी मुल्क की घेराबंदी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भारत ने चीन से कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाता, उससे बातचीत बेमानी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी से कहा, 'भारत चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान इस पर कोई ठोस कार्रवाई करे। इसके बाद ही बातचीत का माहौल बनेगा।' इस बैठक के बाद मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच त्रिपक्षीय मुलाकात भी हुई।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में तय हुआ कि नवंबर में भारत-चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होगी, इसकी जगह और समय का अभी फैसला नहीं हुआ है। दोनों नेताओं बाकी पेज 8 पर

बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते हुए।

आतंकवाद पर पाकिस्तान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया : मोदी

नवंबर में भारत-चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होगी

मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच अलग से त्रिपक्षीय मुलाकात

पुतिन से भी की मुलाकात

नई दिल्ली, 13 जून (जनसत्ता ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पिछले महीने भारत में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'विशेष साझेदार, विशेष संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से बिश्केक में एससीओ सम्मेलन से इतर मुलाकात की। रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की।'

एएन-32 विमान हादसा

सभी 13 जवानों के शव मिले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जून।

वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुए वायुसेना के मालवाहक विमान एएन-32 विमान में सवार सभी 13 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अरुणाचल के घने पर्वतीय इलाके में गुरुवार की सुबह बचावकर्मियों की 15 सदस्यीय टीम ने विमान का मलबा तलाश लिया।

वायुसेना के प्रवक्ता के मुताबिक, मौके पर पहुंचे बचाव दल को विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। विमान का ब्लैक बॉक्स खोज निकाला गया है। इस हादसे में मारे गए सभी जवानों व अफसरों के परिवार को इसकी सूचना दे दी गई है। बचाव टीम ने सभी 13 शवों को ढूंढ बाकी पेज 8 पर

हरियाणा के सपूतों के घर मातम छाया

फरीदाबाद/पलवल, 13 जून (भाषा)।

भारतीय वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त एएन-32 विमान हादसे में शहीद होने वालों में फरीदाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजेश थापा और पलवल निवासी आशीष तंवर भी शामिल थे। इस सूचना के बाद फरीदाबाद के सेक्टर-23 के मकान नंबर 169 में मातम छा गया।

सेक्टर-23 निवासी 26 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजेश थापा मूलरूप से नेपाल के रहने वाले हैं। उनकी दादी रामा माया थापा ने बताया कि राजेश जब दो साल का था तो वे उसे नेपाल से अपने साथ फरीदाबाद ले आई थीं। राजेश ने सेंट जोंस स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। इस समय उनकी तैनाती असम के जोरहाट में थी। उनकी मौत की पुष्टि के बाद से घर में मातम है।

पंकज जुलाई 2015 में वायुसेना में भर्ती हुए और एअर ट्रैफिक सर्विस में तैनात थे। पंकज माता-पिता की इकलौती संतान थे और असम के जोरहट एअरबेस में तैनात थे।

इसी तरह, गोहाना के कोहला गांव के पकंज सांगवान भी दुर्घटनाग्रस्त हुए एएन-32 विमान में सवार थे। वायुसेना द्वारा इस विमान में सवार पंकज सहित सभी 13 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद पूरा गांव सदमे में हैं। हालांकि, पंकज के माता-पिता व दादा को इस बात की खबर अभी तक नहीं दी गई है।

सरकार ने ईएसआइ अंशदान को घटाकर चार फीसद किया

नई दिल्ली, 13 जून (भाषा)।

केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइ) के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में नियोक्ता एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान को 6.5 फीसद से घटाकर चार फीसद करने का फैसला किया है। इससे 12.85 लाख नियोक्ताओं को हर साल 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी एवं 3.6 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि घटी हुई दरें इस साल एक जुलाई से प्रभावी होंगी। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने ईएसआइ कानून के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंशदान की दर 6.5 फीसद से घटाकर चार फीसद (नियोक्ता का अंशदान 4.75 फीसद से घटाकर 3.25 फीसद और कर्मचारी का अंशदान 1.75 फीसद से घटाकर 0.75 फीसद) करने का फैसला किया है। करीब 12.85 लाख नियोक्ताओं और 3.6 करोड़ कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2018-19 में ईएसआइ योजना में 22,279 करोड़ रुपए का अंशदान किया।

ऐसे में आकलन किया जाए तो यह बात निकलकर समझ में आती है कि अंशदान की दर में कमी से इन कंपनियों को सालाना कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। बयान में कहा गया है कि अंशदान की घटी हुई दर से कामगारों को बहुत राहत मिलेगी और इससे और अधिक कामगारों को ईएसआई योजना के अंतर्गत नामांकित कर पाना तथा ज्यादा से ज्यादा श्रमिक बल को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना सुगम हो सकेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 (ईएसआई कानून) इस कानून के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ प्रदान करता है। ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) द्वारा प्रशासित है। ईएसआइ कानून के बाकी पेज 8 पर

12.85 लाख नियोक्ताओं को हर साल 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी एवं 3.6 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

3.6 करोड़ कर्मचारियों और12.85 लाख नियोक्ताओं ने 2018-19 में ईएसआइ योजना में 22,279 करोड़ रुपए का अंशदान किया।

पोम्पिओ बोले, 'मोदी है तो मुमकिन है'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जून।

जी20 शिखर सम्मेलन से पहले भारत की यात्रा पर आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ यहां अपने समकक्ष एस जयशंकर के साथ सामरिक साझेदारी के महत्त्वाकांक्षी एजंडे पर चर्चा करेंगे। खासतौर पर सशस्त्र यूएवी और बैलेस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के सौदे के अलावा ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर भी वे यहां बात करेंगे। वे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे।

वाशिंगटन से मिली खबरों के मुताबिक, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने भाजपा के चुनावी नारे 'मोदी है तो मुमकिन है' का जिक्र करते हुए भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को अगले मुकाम पर ले जाने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को 'मुक्त और खुला' सुनिश्चित करने सहित आगे बढ़ने के लिए दोनों प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के पास अद्वितीय अवसर है। पोम्पिओ 24 से 30 जून तक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार देशों- भारत, श्रीलंका, जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। भारत के बाद वे श्रीलंका जाएंगे। अमेरिका की हिंद-प्रशांत क्षेत्र को कारोबार के लिए मुक्त और खुला बनाने के एजंडे को लेकर बाकी पेज 8 पर

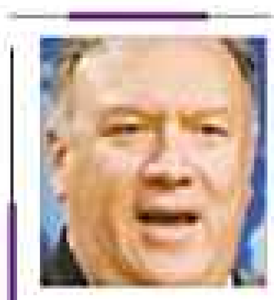

भारत यात्रा में मोदी और जयशंकर से सामरिक साझेदारी पर अमेरिकी विदेश मंत्री करेंगे बात

मध्य प्रदेश के शहीद के परिजनों को एक करोड़ की मदद

भोपाल/लखनऊ, 13 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादी हमले में बुधवार को शहीद हुए मध्य प्रदेश के देवास जिले के जवान संदीप यादव के परिजनों को राज्य की कांग्रेस सरकार एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने के साथ-साथ उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं आवास मुहैया कराएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमले में शहीद हुए प्रदेश के दो जवानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। योगी ने कहा कि शहीदों की स्मृति में इनके गृह जनपद में एक सड़क का नामकरण भी इनके नाम पर किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमले में शहीद हुए प्रदेश के दो जवानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद संदीप यादव के परिजनो को एक करोड़ की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसके अलावा, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवास भी दिया जाएगा। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश को सीआरपीएफ के शहीद जवान संदीप यादव पर गर्व है।

धोखाधड़ी मामले में पोंटी चड्ढा का बेटा मनप्रीत गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

दिवंगत शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा को धोखाधड़ी के एक मामले में यहां दिल्ली हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया। यहां की एक अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) सुवाशीष चौधरी ने इसकी पुष्टि की। गिरफ्तारी के समय आरोपी मनप्रीत फुकेट (थाईलैंड) के लिए रवाना हो रहे थे।

पुलिस के मुताबिक मनप्रीत को लेकर हवाईअड्डे के सुरक्षाकर्मियों और आव्रजन अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था और उनके खिलाफ एक 'लुक आउट सर्कुलर' भी जारी था। मनप्रीत उप्पल-चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। मनप्रीत और वेव समूह के अन्य प्रमोटरों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। वेव समूह ने एनएन-24 के बाकी पेज 8 पर

स्थानीय अदालत ने मनप्रीत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जून।

भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षी योजना पर काम करने की तैयारी कर रहा है। भारत ने इस परियोजना के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है। 20 टन का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा और इसके लिए भारत माइक्रोग्रेविटी (सूक्ष्य गुरुत्व) के प्रयोग करेगा। इस बारे में गगनयान मिशन पूरा होने के बाद विस्तार से काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को मिशन चंद्रयान-2 के बाद सूर्य और शुक्र तक यान भेजने की योजना का खाका बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और इसरो के प्रमुख के सिवन ने गुरुवार को संयुक्त रूप से अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के बारे में ऐलान किया। यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना गगनयान मिशन का विस्तार होगी।

सिवन के मुताबिक, 'हमें मानव अंतरिक्ष मिशन लांच करने के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा और इस संदर्भ में भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की योजना बना रहा है।' इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिन अंतरिक्ष में गुजार सकें।

इसरो प्रमुख ने बताया कि अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन का ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन है। 2022 में मानव सहित यान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले दो मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे।

फिलहाल इसरो का पूरा ध्यान भारत चंद्रमा पर दूसरे मिशन चंद्रयान-2 पर है। चंद्रयान-2 अगले महीने 15 जुलाई को उड़ान भरेगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। चंद्रयान-1 को दस साल पहले लांच किया गया था।

सरकार ने इसरो को मिशन चंद्रयान-2 के बाद सूर्य और शुक्र तक यान भेजने की योजना का खाका बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। चंद्रयान-2 अगले महीने 15 जुलाई को उड़ान भरेगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा।

हारने के बाद मीसा ने सांसद निधि की योजनाएं वापस लीं

पटना, 13 जून (भाषा)।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में पाटलिपुत्र सीट पर मिली हार के तुरंत बाद अपनी सांसद निधि से 15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी वापस ले ली।

मीडिया के एक हिस्से में आई खबरों के अनुसार, जुलाई 2016 में राज्यसभा सांसद चुनी गईं मीसा ने अपने कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं किया। किसी संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए सांसद निधि योजना के तहत हर साल पांच करोड़ रुपए आबंटित किए जाते हैं।

खबरों के अनुसार, आम चुनावों से पहले मीसा ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले पटना के ग्रामीण इलाके में विकास कार्य करने के लिए अपने फंड से उक्त राशि दी थी, जिसे अब उन्होंने वापस ले लिया है। मीसा को हालिया लोकसभा चुनावों में भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव ने हराया था।

योजना विभाग के एक अधिकारी ने अपने नाम का बाकी पेज 8 पर

अचानक लिए फैसले से योजना विभाग के अधिकारी परेशान

दरअसल

केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा दर्शनार्थी | आंकड़े | बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी श्रद्धालुओं का तांता

चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या का रेकार्ड टूटा

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून, 13 जून।

इस बार उत्तराखंड के चार धामों और हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या रेकार्ड तोड़ रही है। हेमकुंड साहिब समेत उत्तराखंड के चार धामों गंगोत्री-यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ में 17 लाख 15 हजार 413 तीर्थयात्री एक महीने में ही पहुंच चुके हैं। यह एक रेकार्ड है। जबकि पिछले साल चारधाम यात्रा सीजन के शुरुआती 30 दिनों में चारों धामों में 11 लाख 10 हजार 777 तीर्थयात्री ही आए थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल 30 दिनों में छह लाख चार हजार 636 तीर्थयात्री ज्यादा आए हैं। पिछले साल पूरे चारधाम यात्रा सीजन के दौरान कुल 27 लाख 81 हजार 428 तीर्थयात्री आए थे। यह जानकारी उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की नोडल अधिकारी सीमा शर्मा ने दी।

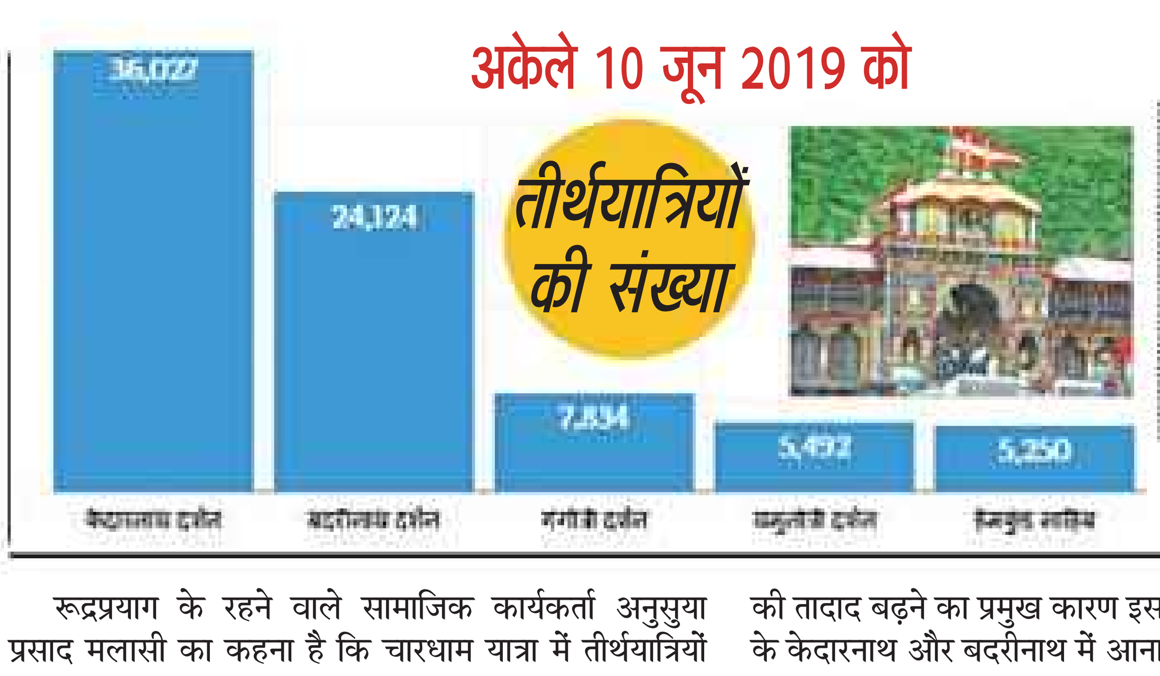

हेमकुंड साहिब और चार धामों गंगोत्री-यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ में 17 लाख 15 हजार 413 तीर्थयात्री एक महीने में ही पहुंच चुके हैं। यह एक रेकार्ड है।

रूद्रप्रयाग के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अनुसुया प्रसाद मलासी का कहना है कि चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की तादाद बढ़ने का प्रमुख कारण इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ और बदरीनाथ में आना तथा चारों धामों में कपाट खुलने के बाद भी जमकर बर्फबारी होना है। गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों से पर्यटक ठंड का आनंद लेने के लिए चारों धामों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि इन चारों धामों के कई यात्रा मार्ग में अभी भी चार से पांच फुट तक बर्फ जमी हुई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह केदारनाथ में ध्यान गुफा में तपस्या की और केदारनाथ मंदिर में बड़े भक्ति भाव से पूजा-अर्चना की, उससे केदारनाथ की यात्रा का जमकर प्रचार हुआ। टिहरी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र दुमोगा का कहना है कि केंद्र सरकार ने दो साल से केदारनाथ में निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड का जिस तरह से प्रचार किया, उससे देश-विदेश में यह संदेश गया कि अब उत्तराखंड के चारों धामों जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यह सड़क पूरी न होने के कारण यहां आए तीर्थयात्रियों को भले ही परेशानी का सामना करना पड़ा, परंतु चारों धामों के दर्शन की लालसा उन्हें यहां खींच बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Prabha Iyer D/O-Pariyarathumatom Krishna Subramanian Iyer R/of -H-434,Naraina Vihar,New Delhi-110028 in my Passport my Father name is Wrongly-Written as Pariyarathumatom Krishnaier Subamonia Iyer And in Pan Card My Father Name is Wrongly-Written as Periarathu Madom Krishna Subramaniam Iyer But Correct And Actual Name of My Father is Pariyarathumatom Krishna Subramanian Iyer. 0040499188-10

I, Vivek s/o Satish Kumar r/o A-1B, Old DDA Flats, Paschim Puri, New Delhi-110063, have changed my name to VIVEK SINGH. 0040499174-1

I, Vinny, daughter of Pritpal Singh Bhatia, resident of B2A-115 Ground Floor Janakpuri, New Delhi 110058 have changed my name from Vinny to Vinny Bhatia for all purposes. 0040499116-1

I, Vinay Kumar s/o Hanuman Prasad Pandey r/o F-18/9A, Madhuban Bapudham, Govindpuram, Ghaziabad, UP-201013, have changed my name to Vinay Pandey. 0040499092-1

I, Vikas Khatri S/O Rakesh Khatri R/O Hno.85, Shahpur Garhi, Narela, Delhi- 110040. Have Changed My Name To Vikash Khatri. 0040499185-6

I, Vidhi Puri D/o Late Vinod Kumar Puri W/o Iqrar Ahmed Permanent Residing H.N.-C-123, Vivek Vihar, Delhi-110095, presently residing at Saita Mooratganj, Bharwari Kasiya, Kaushambi-212201, has change my name to Sumera Iqrar Ahmed. 0040499179-2

I, Vickey Kumar @Vickey Kumar Gupta @Vicky Kumar S/o,Shyam Lal Gupta R/o-A-133/A-F, Suryanagar, Ghaziabad, U.P.-201011. Have changed my name to Vicky Gupta. 0040499188-7

I, Veena Kumari W/O Ghanshyam Dass Goel R/O-Kh.No.64/39, Hari-Enclave, Alipur, Delhi-36, Changed My Name To Veena Goel 0040499185-1

I, Usha W/O Narender Thawani, R/O-C-606, Kenwood Tower, Charmwood-Village, Surajkund, Faridabad, Haryana-121009.Changed My Name To Usha Thawani. 0040499242-10

I, Upkar Goel S/O Hulas Ray Goel R/O 23/68, Gali.No-11,Vishwas-Nagar, Shahdara, Delhi-110032.Changed My Name To Upkar Goyal. 0040499242-2

I, Umed Singh S/O Chauhan Singh, R/O-68-D, Pkt-E, Dilshad Garden, Delhi-110095.Changed My Name To Umed Singh Negi. 0040499242-5

I, Surinder Kumar Taneja S/o Fateh Chand Taneja, R/o Kothi No.28, Sector-12A, Dwarka, Delhi-110075, have changed my name to Sudershan Kumar Taneja. 0040499138-1

I, Sunita Gandhi W/o Dalip Gandhi R/o 163/1, D-12 Sector-7, Rohini, Delhi, have changed my name. Sunita Rani and Sunita Gandhi are same person. 0040499108-1

I, Sunil Kumar S/o Kartar Chand Sethi R/o C-7/3A First-Floor Rana Pratap Bagh MalkaGanj Delhi-110007. changed my name to Sunil Sethi. 0040499162-7

I, Sunil Kumar S/O Mohinder Kumar R/O-1443, B-7,.3RD-FLOOR, Gali -7, Wazir-Nagar, Kotla-Mubarakpur, N.Delhi-110003.Changed My Name To Sunil Kumar Jhamb. 0040499242-6

I, Sumit Kumar Narula S/o Deep Chand Narula R/o 3228, First Floor, Mahindra Park, Rani Bagh, Delhi-110034, have changed my name to Sumit Narula for all purposes. 0040499110-1

I,Ruchika Kakar W/O Rakesh Mahna R/O-29-D,Gh-10, Sunder Apartment, Paschim Vihar, Delhi-110087. Changed My Name To Ruchika Mahna. 0040499188-1

I, Subhash Chander Garg S/o Hukum Chand R/o-B-2 Ground-Floor Parvana Vihar Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-85. changed my name to Subhash Chander. 0040499162-5

I, Subhash Chand Nimesh S/o Late Sh. Hari Singh R/o C-170, Sector-19, Noida (U.P) wish to inform that Shubhash Chand Nimesh and S. C. Nimesh are one and the same person. 0040499156-1

I, Sidhant Kumar Sharma S/o Suneet Kumar Sharma R/O-C-30, Second-Floor, Parsvnath-Paradise, J.P.Garden, Mohan-Nagar, Ghaziabad, U.P-201007. Have Changed My Name To Sidhant Sharma. 0040499162-11

I,SUBASH CHANDER CHUGH S/oLate Tulsi Dass Chugh R/oT-49-Sector-12 Noida Distt-GautambudhNagar UP-201301 have changed my name to SUBHASH CHANDER CHUGH for all purposes. 0040499120-1

व्यक्तिगत

I, Shivam S/O Rakesh Katiyar R/O G-22 H.No.22 Sector-7 Rohini Delhi-85. changed my name to Shivam Katiyar for all purposes. 0040499162-6

I, Sanskar Kumar Sharma S/o Suneet Kumar Sharma R/O-C-30, Second-Floor, Parsvnath-Paradise, J.P.Garden, Mohan-Nagar, Ghaziabad, U.P 201007 Have Changed My Name To Sanskar Sharma. 0040499162-10

I, Saloni Bhatia/ Salony W/o Rahul Kumar Bhatia R/o-B-16/20, Vasundhra, Yojna, Ghaziabad-201012, UP have changed my name to Salony Bhatia. 0040499185-10

I, Sakshi Jain W/O Rohit Jain R/O-1/4950, Gali.No-4, Balbir-Nagar Extn, Shahdara, Delhi-110032. Changed My Name To Shakshi Jain. 0040499242-8

I, Roopam Singh, R/o House no 425, Village Daudpur, Post Kalaai Koil, Aligarh-202001 Uttar Pradesh have changed my name to Rupam Singh. 0070660203-1

I, Ravindra Kumar S/o Prabhu Dayal R/o A-4/F-2, A-Block Dilshad Garden Shahdara Delhi-110095, have changed my name to Ravindra Kumar Dixit for all purposes. 0040499179-1

I, Ravi Chadda S/o Sh. Suraj Parkash Chadha R/o C-264, Divya Jyoti Apartment, SFS Flats, Sec-19, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Ravi Chadha for all purposes. 0040499115-1

I, Rajwant Singh Bhamrah S/O Satwant Singh, R/O D-144 (A), Fateh-Nagar, Jail-Road, Near Tilak-Nagar, N.Delhi-110018, Changed My Name To Rajwant Singh. 0040499242-1

I, Rajendra Keswani S/O Ram Chander Keswani R/O B-6/5, Safdarjung Enclave, Delhi-110029. Changed My Name To Rajendar Keswani. 0040499185-3

I, Rahul S/o Pawan R/o F-3/100 Sector-16 Rohini New Delhi-110089 changed my name to Rahul Malhotra for all purposes. 0040499223-1

I, Rahul Bhatia S/o Kapil Kumar Bhatia R/o-B-16/20, Vasundhra, Yojna, Ghaziabad-201012, UP have changed my name to Rahul Kumar Bhatia. 0040499185-9

I, Raajni Kant Sharma S/o Chandra Kant Sharma R/o 807B, Gulmohar Greens, Mohan Nagar, Ghaziabad, have changed my name to Rajni Kant Sharma. 0040499162-3

I, Priyanka Rastogi W/o Gaurav Rastogi R/o House.No.825 Sector-9A, Gurgaon, HR.have changed my minor daughter's name from Radhika Rastogi to Kyara Rastogi for all future purposes. 0040499210-2

I, Praveen Kumar S/o Krishan Lal Verma R/o-40, GuruAngad-Nagar Extn. Gali.No.13, Laxmi-Nagar, Delhi-110092.have changed my name to Parveen Verma. 0040499188-4

I, Pradeep Kumar S/o Balmukand residing C-4/1, Yamuna Vihar, Delhi, have changed my name to Pradeep Mittal for all purposes. 0040499107-1

I, Noopur D/o Vinod Kumar H. No-8/11, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Noor for all future Purposes. 0040499162-2

I, No. 8037967XPNR (GD) Santosh Kumar Singh S/o Jang Bahadur Singh R/o Vill. Balbhadra Patti, P. o. Mirganj, P. S.-Unchakagaon. Dist. Gopalgaj (Bihar) Presently R/o 1816 Pioneer Unit (Army) Pin-918516 C/o-56APO Vide Affidavit No. 1198 Dt. 22/01/2019 declare that my daughter's correct name is Aarohi Singh, but in my service documents my daughter's name has been mentioned as Aaruhi Patel which is wrong. 0040496833-1

I, Nitin Anand R/o 34,Sunehri Bagh Apartment, Sector-13 Rohini Delhi-110085, have changed my minor daughter's name from Kyna to Kyna Anand for all future purposes. 0040499167-1

I, Neha Kumari W/O Avinash Kumar R/O-Rzf-760/35a, Khasra. No.47/18/1, Street.No-3, Rajnagar-2, Palam, Bagdola, N.Delhi-110077, Changed My Name To Neha Kumari Mishra. 0040499242-3

I, Navneet Sikka S/o Ashok Kumar Sikka R/o-16/1, Geeta Colony, Delhi-110031, inform that name of mine & my wife hasbeen wrongly written as Navneet Kumar,Savita in my minor daughter Simran Sikka, (dob-01/05/2008) Birth Certificate No.3035068.,The actual name of mine & my wife are Navneet Sikka & Savita Sikka which may be amended accordingly. 0040499179-5

I, Navneet Sikka S/o Ashok Kumar Sikka R/o-16/1, Geeta Colony, Delhi-110031, inform that my name hasbeen wrongly written as Goldy Sikka in my minor daughter Taniya Sikka(dob-20/11/2006) Birth Certificate No.155670.My actual name is Navneet Sikka which may be amended accordingly. 0040499179-3

I, Navneet Sikka S/o Ashok Kumar Sikka R/o-16/1, Geeta Colony, Delhi-110031, inform that mine & my wife name hasbeen wrongly written as Navneet & Savita in my minor son Sarthak Sikka (dob-06/01/2012) Birth Certificate No.2363839., Actual name of mine & my wife are Navneet Sikka & Savita Sikka which may be amended accordingly. 0040499179-4

I, Narender S/O Daulat Ram, R/O-C-606, Kenwood Tower, Charmwood-Village, Surajkund, Faridabad, Haryana-121009. Changed My Name To Narender Thawani. 0040499242-9

I, Mohit Kumar S/o Sita Ram R/o V.Kaboolpur, P.O. Sheikhe Pind, Tehsil & Distt. Jalandhar, Punjab-144025, that name of mine has been wrongly written as Puneet Kumar in my Birth Certificate The actual name of mine is Mohit Kumar. 0040499098-2

I, Mane Wakar Ahmad S/o Mukhtar Ahmad R/o-H/3, 1479, Jahangirpuri Delhi-110033 changed my name to Abdul Nazeer for all purposes. 0040499162-4

I, Kushala Nand Jayal S/o Late Rambharose R/o.Akshita-202,Kaamath Enclave,Sector-52, Noida,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh-201301, have changed my name to KUSHAL ANAND. 0040499141-1

I, Kuljit Kaur W/o. Sh. Pritpal Singh H.No.118-B, Pratap-Nagar, Jail-Road, N.Delhi-110064, have changed my name to Kuljeet Kaur. 0040499188-3

I, Krishna Kumar Mishra S/o Ashok Mishra, R/o WZ-117 B, 2nd Floor, Arya Samaj Road, Milap Nagar, Uttam Nagar, Delhi-110059 have changed my name from Krishna Kumar Mishra to Krishna Mishra for all future purposes. 0040499118-1

I, Kawal jit kaur w/o Amrik Singh R/o-A-124, Chander-Vihar, Nilothi-Extn, Delhi-110041.have changed my name to Kamaljeet Kaur for all future Purposes. 0040499162-1

I, Kalpna Rawat W/o Sunil Pundeer R/o CC-32A LIG-Flats, Hari-Nagar,Delhi have changed my name to Kalpana Pundeer. 0040499188-6

I, Jogesh Chandra Jerath S/o Maj Gen Prakash Chand Jerath R/o 468, Sector-29, Noida (U.P.) do here by declare & confirm to all concerned that my name to be read as Jogesh Jerath for all future purposes. 0040499156-2

I, Jitendra Pratap Singh S/o Pujari Singh R/o C-93, Avas Vikas Colony Grassfarm PAC 27v Vahini Anshik, Sitapur (U.P.) inform that Jitendra Prtap Singh & Jitendra Pratap Singh is the same and one person i.e. myself. 0040499156-3

I, Jacky S/o Puran Lal R/o H.No. 875/6, Block-C, S.G.M. Nagar, NIT Farida bad, HR, have change my name from Jacky S/o Puran Lal to Jacky Bhatia S/o Puran Lal Bhatia for all purposes. 0040499210-1

I, Ishrat Ansari, D/O Mohamad Naem R/O-E-11/49, Hauz Rani, Malviya Nagar, N.Delhi-110017, Changed My Name To Israt Ansari. 0040499242-4

I, Inderjeet Yadav@ Indrajeet Yadav S/o Inderjeet Singh Yadav S/o Kharchu Singh R/o-A-431, Chattarpur-Enclave, New Delhi-110074.have changed my name to Inderjeet Singh Yadav,for all purposes. 0040499188-9

I, Harjas Pratap Singh S/o Sh. Manjeet Singh Anand R/o H.No.29, Road No.41, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 have changed my name to Harjas Pratap Singh Anand for all future purposes. 0040499153-1

I, Gulshan W/o Mohammad Faizan R/o B-31, 3rd Floor, Okhla Vihar, Jamianagar, New Delhi-110025 changed my name from Gulshan Bi to Gulshan permanently. 0040499095-1

I, Gulam Qadir S/o Nanhe Miyan R/o B-276/5, Inder Enclave-I, Kirari Suleman Nagar, Delhi-86.changed my name to Gulam Kadir. 0040499188-8

I, Desai Anuja Mangesh W/O-Anshul Harkut R/O-B2-1006, Krishna-Apragarden, VaibhavKhand, Indirapuram, Ghaziabad, U.P-201014, Changed My Name To Anuja Anshul Harkut. 0040499223-2

I, Chingjor Lachungpa S/o Jorphu Bhutia H.No.21, Tara-Devi Colony, Bela-Road, Budh-Vihar, Civil-Lines Delhi-54. Have Changed My Name to Tsingjor Bhutia. 0040499162-9

I, Asish Kumar Sur S/o Birendra Sur R/o B-4/2, Mangla Apartment, 53, IP Extension, Patparganj, Delhi-110092, have changed my name from Asish Kumar Sur to Ashish Sur for all purposes. 0040499119-1

I, Ramveer, S/o Sh.Lila Singh,H.No.197, Gali.No.2, Loni-Ghaziabad, U.P., informs that Rambeer Singh and Rambeer Singh are same and one person. 0040499034-10

I Kameshwar Prasad H.No 60/425 Virndavan, Raibareli road, Lucknow in my service records my wife's name is wrongly entered Sabatari Devi. In future my wife's name is known as Savitri Devi. 0060067413-2

I, Archana D/o Vinay Chauhan R/o WZ-283/05, West Block, Street No.3 Back Portion, Vishnu Garden, New Delhi 110018, have changed my name to Archana Chauhan 0040499109-2

व्यक्तिगत

मैं प्रकाश कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार पता प्लॉट नम्बर 1001, W-45B, P-1 ब्लॉक, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 मेरा नाम गलत है परकाश कुमार है। और सही नाम प्रकाश कुमार है मेरा ड्राइविंग लाइसैंस नं: DL1120160332687 और इस नाम को ड्राइविंग लाइसैंस में सही करें।

मैं महेश शर्मा पुत्र श्री दीन दयाल शर्मा निवासी C-68 हस्ताल विहार जे.पी. डेरी रोड, नियर होली चौक उत्तम नगर 110059 महेश कुमार शर्मा के नाम से भी जाना जाता हूं।

I, Ashish Gupta R/o 985/797, Samman Bazar Bhogal New Delhi-110014, have changed my minor daughter's name from Tanishqa Goyal to Tanishqa Gupta for all purposes. 0040499101-1

I, Archna Mathur D/o Sarvesh Bahadur and W/o Rohit Dayal R/o Flat No.66, Ashirwad Apartments, 74, I.P. Extension, Delhi-110092 have changed my name to Archna Dayal. 0040499140-1

I, Anita Kumari W/O Jagdish Prasad, R/O-1417, Budh-Nagar, Inderpuri, N.Delhi-110012,Changed My Name To Nita Kumari. 0040499242-7

I, Aakriti Gupta D/o Alok Gupta, R/o B 11, Sushant Appts, Sushant Lok 1, Near Gold Souk, Galleria DLF-IV, Gurgaon Haryana -122009, has changed/corrected my name, from Aakrati Gupta to Aakriti Gupta for all purposes in future. 0040499128-1

I, Anil Kumar Sabharwal S/o Sh. Janak Raj Sabharwal R/o 510, Block-2, Express Garden, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014, informs that in my son Anurag Sabharwal's 10th class certificate my name has been wrongly written as Anil Sabharwal instead of Anil Kumar Sabharwal, which may be amended accordingly. 0040499104-1

I, Ananya Sharma,W/O Arjun Pandit R/O-D-29, Third-Floor, Kiran-Garden, Nawada, Uttam-Nagar,New Delhi-110059, Have Changed My Name After Marriage TO Ananya Pandit. 0040499188-5

I, Anand Kumar Saini S/O Mahender Singh R/O Hno.59, Srhc Hospital Campus,Narela, Delhi-110040. Changed My Name To Anand Kumar. 0040499188-2

I, Ajay Sharma S/o Vir Chand Sharma R/o KI-170A, New Kavi Nagar, Ghaziabad have changed my name to Ajay Kumar. 0040499162-8

I, Ahmed Ali S/o Ishaq Ali R/o H.No.78, Gali No.15, Gurudwara Mohalla, Maujpur, Delhi-110053 have changed my name to Ahmed Ali Khan S/o Ishaq Ali Khan for all purposes. 0040499091-1

I Vidhi Sahani D/o Dheeraj Sahani R/o B113, Panchvati Apt, Vikas Puri, N.D-18 have change my name to Anaaya D 0040499109-1

I, Suresh S/o Manak Chand R/o O-24 Gandhi Colony Faridabad Haryana have Changed my Name to Suresh Kumar 0040499144-1

I Shweta Roy, Wife of Pawan Kumar Rai R/o G 13/6 DLF Phase 1, Gurgaon, Haryana-122002, have changed the name of my minor daughter Shachi Raiaged 5 years and she shall hereafter be known as Saanvi Rai. 0070660136-1

I Shakil Ahmed S/0-Abdul Aziz R/o-313/101j, 3rd Floor Gali No-15 Tulsi Nagar Inderlok Delhi-110035, Changed My Name To Shakeel Ahmed. 0040499185-4

I Renu D/o Shiv Dayal Sharma R/o H No.- 12, Gali No. 20, Bhagwati Garden Extn, Jain Road, Dwarka Mode, Uttam Nagar, New Delhi- 110059 Have Changed My Name To Renu Sharma. 0070660185-1

I Pradeep Garg S/O Raj Kumar Garg, H-No-71, Rajnagar, Sector-2, Ghaziabad Uttar Pradesh-201001 Have Change My Name To Pradeep Kumar. 0040499185-5

I Lovekesh S/o Ramesh Arora R/o F 434, Ground Floor, Vikaspuri, New Delhi-110018, have changed my name to Lovekesh Arora 0040499154-1

I Kashmir Singh Dalal S/O Lala Ram H.No.86 Sector-6 Bahadurgarh Jhajjar Haryana Have Changed My Name To Kashmir Singh. 0040499185-2

I Gudia Singh W/O Rajesh Singh R/O H.No-3, Sector-29, Faridabad Haryana-121006 Have Change My Name To Guriya Singh. 0040499185-7

I Alias Jagan Furqan Ahmad S/O Shabih Ahmad R/O-H.No-31/1 T-2 Pant-Nagar Jangpura Delhi-110014 Have Change My Name To Furqan Ahmad. 0040499185-8

CLASSIFIED

Change of Name

I, Ruma Khatua W/O Gopal Bhowmik, born on 04 Dec 1989, residing at Vill- Mogra, Post-Ramchak, Dist.- East Midnapur, have changed my name to Ruma Khatua Bhowmik, vide affidavit dated 04 Jun 19 at Tamluk.

50150033

खोया+पाया

I, Anil Dhall, working with M/s. Bimetal Bearings Ltd., Coimbatore, has lost 11 Nos Forms. Form 16 (Road Permits) NO1481075-1 No & 40158855 to 864-10 Nos. issued by Tax Department Rudurpur to our. then Depot at Rudurpur. If found please contact #0422-2220054. 0040499145-1

I, Kiran Kapoor Seth W/o Anand P Seth R/o D-418, Rashtrapati Bhawan Appts, Plot 3, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075, have lost my Original Degree, Enrolment No. LSRC 5614, Roll No. 25847, and High Sec. certificate Reg No. HSC-71/022435 and Roll No 37567. Founder contact: 9312610596. 0040499113-1

I, Pooja Pandey D/o sita ram pandey R/o-4B/3043, Askash ganga-apartments vasundhara gzb have lost my original-certificate class-12th year-2014 Rollno-9612393 c.b.s.e-Delhi. 0040499223-8

I, Akanksha D/o Indramohan tiwari D/o-M-179 2nd-floor G.k-2 new Delhi-48. Have lost my original-certificate class-10th year-2011 Rollno-8187197 c.b.s.e-Delhi. 0040499223-7

I, Salim khan s/o Mehboob khan R/o-114/7, chhajarsi noida sec-63. Gautab buddha-nagar.(up).have lost my original-certificate class-10th year-2013 Rollno-8606695 c.b.s.e-Delhi. 0040499223-9

LOST & FOUND

Notice is hereby given that the share certificates No(s) 363059 for 100 shares bearing distinctive No(s) 43500347 to 43500446 standing in the name(s) of Parkash Chand Gupta in the books of M/s FINOLEX INDUSTRIES Limited, has been Lost/misplaced and the advertiser has applied to the Company for issue of duplicate share certificate (s) in lieu thereof. Any person(s) who has /have claim(s) on the said shares should lodge such claim(s) with the Company's Registrars and Transfer AgentsX viz Karvy Computershare Pvt Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District Gachibowli, Hyderabad 500 032 within 15 days from the date of this notice failing which the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

PUBLIC NOTICE

My clients, Shri Bansi Lal S/o Shri Rama Ram and his wife, Smt. Sita Devi, both residents of A-635, Madipur, JJ Colony, New Delhi-110063, have disowned / debarred their son Dinesh, from their movable and immovable properties, due to his disobedience and disloyalty towards them. Anybody dealing with him in future shall do so at his / her own risks and responsibility, and my aforesaid clients shall not be liable / responsible for the same in any manner what so ever.

Sd/-
Bhawna Piplani
Advocate
93, Indra Vihar Near BBM Bus Depot, Mukherjee Nagar, New Delhi-110009

PUBLIC NOTICE

General Public Is Hereby Informed That My Clients Mr. Kasturi Lal Sharma S/o Khujan Chand Batura R/o 578, Four Storey Flats, Vishal Enclave, New Delhi 110027 Have Disowned And Debarred His Son Namely Hemant Sharma & Khushboo R/o 578, Four Storey Flats, Vishal Enclave, New Delhi 110027 S/o Mr. Kasturi Lal Sharma From All Moveable And Immovable Properties As He Has Gone Out Of Control Of The My Client. If Anybody Deals With Him / Transaction (loan/property) With You It Shall Be Do So At His/her Own Risks. My Client Shall Not Be Responsible In Any Manner Whatsoever For Any Kind Of His Advocate Sunil Kumar | Enrol No. D/[illegible] 346, Lawyers Chambers, Saket Court

PUBLIC NOTICE

[illegible]

MANISH MIGLANI (Advocate)
Ch. No. [illegible], Patiala House Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

This is to inform Genral Public at large that my client Mr. Dharmavir Singh proprietor of Ch. Dharmavir Construction Co. (M/s Chaudhary Ventures Pvt. Ltd.) is the absolute owner in possession of 2nd & 3rd Floor, built on property Municipal no. 804, Plot No. 3, area 205 Sq. Yds. Khasra No. 315/3, Khewat No. 128, Khatauni No. 319, situated at Arjun Nagar, Kotla Mubarak Pur, Delhi-110003 vide registered Sale Deed dated 05/02/2007. Previous document relating to this property i.e. 1-Original Gift Deed dated 09/05/1950 executed by Mr. Ram Chander in favour of Mr. Harsaroop, 2-Original Urdu Sale Deed dated 22/12/1950 executed by Mr. Harsaroop in favour of Mr. Bankey Lal Gupta, 3- Death Certificate, Surviving Member Certificate & Succession Certificate of Mr. B. L. Gupta, 4-Relinquishment Deed Dated 16/10/1980 executed by Mrs. Usha Govil, Mrs. Asha Dhwan, Mrs. Uma Kapoor, Mrs. Rama Ahuja, Ms. Urvashi & Mr. Virender Gupta in favour of Mrs. Sushila Devi 5-Original Agreement dated 03/01/2007 in favour of Chaudhary Dharmavir Construction Co. have been misplaced somewhere in Delhi. My client has duly lodged a missing report in this regard vide LR No. 1141643/2019 with Delhi Police on 12/06/2019. The aforementioned property of my client is free from all kind of charge, mortgage, lien, encumbrances and my client is intending to mortgage his aforementioned property with Hinduja Leyland Finance Ltd. for loan against property.
If any person found the aforementioned missing documents or any person or institution have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given herein under within 7 days from the date of publication of this notice.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E 419, Karkardooma Court, Delhi 110032.
Mob. : 9871603366

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्मला देवी राणा पत्नी स्वर्गीय राजीव राणा निवासी मकान नं. 28 ए, गली नं. 1, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, शकरपुर, दिल्ली- 110092 ने अपने बेटे आशीष कुमार राणा व उसकी पत्नी श्रीमती नीलम कुमारी को उनके दुर्व्यवहार व अवज्ञाकारी होने के कारण, उन्हें उनके बेटे मास्टर रेयांश राणा सहित, अपनी सभी चल-अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर उनसे अपने सभी पारिवारिक, आर्थिक व व्यवहारिक संबंध विच्छेद कर लिये हैं। मैं भविष्य में उनके किसी भी कृत्य के लिये कानूनी और नैतिक रूप से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होंगी।

AMRENDRA NATH SHUKLA
Advocate
(Enrl.N.-D-1819-E/04)
DELHI HIGH COURT
CHAMBER No.: 717, 7th FLOOR,
LAWYERS CHAMBER BLOCK,
ROHINI COURTS, DELHI-110085,
MOBILE No.: 9910717081

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुअक्किल मीनाक्षी पत्नी नंद किशोर निवासी-सी-476, गोकुलपूरी, दिल्ली-110094, अपने पुत्र कुणाल किशोर व उसकी पत्नी रचना को उनके दुर्व्यवार के कारण अपनी चल अंचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है उनके किसी कार्ये लेन देन हेतु मेरा मुअक्किल जिम्मेदार नही होगा।

Sd/-
RITU VERMA
(Advocate)
En. No. D-1126/92

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला शमीम बानो पत्नी स्व. मौहम्मद जहीद निवासी-के-13, गली न.-1, सुन्दर नगरी, दिल्ली-110093, ने अपने पुत्र मौ. तारीक व पुत्रवधु कनीज सुगरा के दुर्व्यवहार, गलत आचरण व नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे अपने सारे सम्बन्ध समाप्त करके उन्हे अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और भविष्य में उनके किसी कार्य अथवा लेनदेन के लिये मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नही होगी।

हस्ता./-
के.के. लूथरा
एडवोकेट
Enrl. No. D-16/91

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

D.C. AKARNIYA - ADVOCATE
B-22, BGS BLOCK,
Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

"Be it informed to the General Public at large that my client Sh. Pahlad Singh son of Sardara Singh R/o I-1/36, Phase-1, Budh Vihar, Delhi-110086 has severed all his relations with his son Amarjeet, his wife Nidhi and their children, as they all are out of control of my client and also debars and disowned them from all their all movable and immovable properties due to their disobedient and quarrelsome nature. Any person dealing with them will be doing so at his/her own risk and responsibilities. My client shall not be responsible in any manner."

Sd/-
(RAJ KUMAR)
ADVOCATE
Ch. No.- 1405, 14th Floor, Rohini Courts, Delhi-85

Public Notice

[illegible]

PUBLIC NOTICE

This is to bring to notice of all concerned that my clients Sh. Sanjay Kumar S/o. Sh. Murari Lal & Smt. Satnam Kaur W/o. Sh. Sanjay Kumar both R/o. 11223, Doriwalan, Gali No. 5, Karol Bagh, New Delhi -05, also at T15/3A, Gali No. 5, Military Road, Punjabi Basti, Anand Parbat, Delhi-05 severed all their relations from their son Sahil Neeraj. My above named clients will not be responsible for his any act or omission and he has no right in any movable & immovable properties of my clients. Any person dealing with him do so at his /her own risk and consequences.

BIJENDRA KR. GAUTAM-ADVOCATE
2148, Outram Line, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -110009

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients Ajay Kumar Sharma and Neera Sharma R/o. 1/7817, Shivaji Park, Near KVM School, Shahdara, Delhi -110032 have disowned their sons Arjit Sharma alongwith his wife Megha Sharma and Kanak Sharma from their movable and immovable property. My clients have severed all relations with their sons Arjit Sharma alongwith his wife Megha Sharma and Kanak Sharma. My clients are not responsible for their actions. Anyone dealing with them shall do so at their own cost, risk and peril.

BRIJ KUMAR-ADVOCATE
Ch. No. 1, Patiala House Courts, New Delhi -110001

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that my client Sh. Sanjay Kumar S/o Shri. Jagdish Chander R/o House No.6/16 Subhash Nagar New Delhi-110027, has disowned and dis-inherited his son KARAN NAGI and his wife UMA, from all the movable and immovable properties of my above client. My client shall not be liable for the any act of the said Persons.

Vijay Mehta Adovacate
Chamber No.707, 7th Floor,
Dwarka Court Complex,
Dwarka, New Delhi-110075

PUBLIC NOTICE

This is to bring to your kind notice that I Mithlesh Kumar, Advocate on behalf of my Clients Mr. Philip Jose, S/o Sh. Jose Kurian & Mrs. Ajini Annie Philip W/o Philip Jose Both R/o Flat No. 743B First Floor Pocket-7, Sector-D, CAT-II, Vasant Kunj, New Delhi are the owner of the property Bearing Flat No. 743B First Floor Pocket-7, Sector-D, CAT-II, Vasant Kunj, New Delhi. My Clients are under the process of selling the above mentioned property. If anyone has any objection regarding this selling process, kindly contact the undersigned.

Mithilesh Kumar (Advocate)
En. No. D/1523-C/2002

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

'नेशन लाइव' चैनल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय का नोटिस

नोएडा, 13 जून (भाषा)।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'नेशन लाइव' टीवी चैनल के मालिकों को बिना सरकारी मंजूरी के चैनल का प्रसारण करने के मामले में नोटिस जारी किया है। यह वही चैनल है जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक विषय-वस्तु का प्रसारण किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उत्तराखंड की भारत हाइडल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को 10 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी कंपनी के पास टीवी चैनल का मालिकाना हक है।

नोएडा के इस टीवी चैनल के तीन वरिष्ठ पत्रकारों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणी को प्रसारित करने और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय ने चैनल के मालिकों से सात दिन के भीतर जवाब मांगा है और कहा है कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशन लाइव के मालिक इस पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दे दी है कि कंपनी को 'नेटवर्क 10' के नाम से 2011 में चैनल चलाने की अनुमति दी गई थी। मंत्रालय का कहना है कि उसने कंपनी को 'नेशन लाइव' नाम का इस्तेमाल करने की 'कोई अनुमति' नहीं दी थी। इससे पहले नेशन लाइव के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एक मामला दो अलग-अलग समूहों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने और अफवाह का प्रसार करने का है जबकि दूसरा मामला कंपनी के अवैध रूप से चैनल प्रसारण करने का है।

PUBLIC NOTICE

Be it known to General Public that my clients Mehtab Singh S/o Sh. Lal Singh and his wife Smt. Dhaleswari W/o Sh. Mehtab Singh both R/o RC-13, Kala Enclave, Khora Colony, Ghaziabad, U.P. and also at 120, Sunder Block, Shakarpur, Gali No. 3, near Swastik Bhawan Mandir, Delhi -110092, severe all relations from their both sons Mr. Ashok and Mr. Paramjeet and daughters-in-laws namely Smt. Mamta W/o Sh. Ashok and Smt. Bharti W/o Paramjeet and debarred them from their moveable or immovable property situated in Delhi & U.P. in all manner. Anybody who deal with them, shall be solely responsible and my clients will not held responsible for any act of them in future.

JATIN SHARMA-ADVOCATE
Ch. No. F-722, F-Block, Karkardooma Court Complex, Delhi -32

PUBLIC NOTICE

Be it known that my clients (1) **BHARAT BHUSHAN S/O SH. MAHARAJ KISHAN (2) SMT. RAMA W/O SH. BHARAT BHUSHAN BOTH RESIDENT OF WZ-1033-A, GROUND FLOOR, RAMA MANDIR, NEAR GURUDWARA RANI BAGH, DELHI- 110034** have disowned and severed all their relation with their son namely **NITIN AND HIS WIFE SWATI GUPTA AND THEIR TWO CHILDREN SHUBH AND CHAITANYA** and debarred them from their movable and immovable properties/assets due to their misbehaviour. Any body dealing with them in civil and criminal matter shall be doing in his/her/their own risk, cost and responsibility.

AMIT KUMAR (ADVOCATE)
ENRL NO. D-0637/2018

PUBLIC NOTICE

I,Nagraj Surana S/o Lt. Sh. BC Surana and Mrs. Saroj Surana W/o Mr. Nagraj Surana R/o K121 Kirti Nagar New Delhi -110015 owner of . CGB221 in DLF Capital Greens Ph 1, Shivaji Marg ,ND informs that we have lost the following receipts :-

CLG/CRB/00458/0311
CLG/CRB/00459/0311
CLG/CRB/00372/0811
CLG/CRB/00373/0811
CLG/CRB/00029/0112
CLG/CRB/00073/0512
CLG/CRB/00147/0912
CLG/CRB/00150/0912

Finder Pls. Contact : 9810377637

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Jappreet Singh son of Shri Tajinder Singh resident of Street-A Ward No. 9, Gill avenue Friends Colony, Pathankot, Tehsil & District Pathankot, Punjab-145001, presently residing at H-37, Main Market, Rajouri Garden, New Delhi- 110027 declare that name of my father has been wrongly written as Tajinder Pal Singh in my Educational Certificate, Aadhar card, Driving License and Birth Certificate. The actual name of my father is Tajinder Singh respectively which may be amended accordingly.
That it is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client **Sh. SHRINATH SINGH** S/o Late Shiv Karan Singh R/o K-28, Gali No. 15, Gangotri Vihar, West Ghonda, Delhi 110053 has disowned his sons & daughter-in-law namely **"Mr. SHAKTI SINGH** S/o Sh. Shrinath Singh, alongwith daughter-in-law **"Smt. NEETU SINGH"** W/o Sh. Shakti Singh & "Mr. SUNIL SINGH S/o Sh. Shrinath Singh alongwith daughter-in-law Neetu Singh W/o Sh. Sunil Singh all R/o K-28, Gali No. 15, Gangotri Vihar, West Ghonda, Delhi-110053 and severed all his relations social and financial with them due to their disobedience. He has debarred them from inheriting his properties movable and immovable. He shall not be responsible for any of their acts, deeds and things. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk.

Sd/-
SHARAD CHANDRA GUPTA (Advocate)
C-196, Street No. 7,
Main Dispensary Road,
Bhajanpura, Delhi-110053

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

RAJESH RANJAN IAS
& JUDICIAL STUDY CIRCLE

Political Science Opt. For IAS
GS PAPER 2 PLUS For IAS
Law for IAS & Judicial Services
Free Lectures on Essay,
New NCERTs, KTPI Books
(Every Saturday)
Also Mains 2019 Test Series &
Quality Enhancement Classes
Workshop 15th to 20th June
Time : 11 am to 2:30 pm Batch 21st June
9810580690, 8287625103

ESSAY
by the renowned essayist and McGraw-Hill writer Ramesh Singh
Introductory Class: June 22, 10.30
(ALL ARE INVITED)
GS ECONOMY starts July 15
Morning, Afternoon, Weekend & Live Online

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

चिटफंड घोटाला सीबीआइ के अतिरिक्त निदेशक ने की अफसरों के साथ बैठक

कोलकाता, 13 जून (भाषा)।

सीबीआइ के अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव ने शहर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को कई बैठकें कीं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राव ने सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित सीबीआइ के कार्यालय का दौरा किया और कई मामलों पर बातचीत की। इसके बाद वे निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा गए।

सूत्रों के अनुसार राव सीबीआइ की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों से भी शुक्रवार को सॉल्ट लेक कार्यालय में मिलेंगे। सीबीआइ की यही शाखा सारदा और रोज वैली पोंजी घोटाले की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि जांच एजंसी चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले का शीघ्र निपटारा करने और उसे एक तार्किक निर्णय पर लाने के लिए जोरदार तैयारी कर रही है।

बिहार में आंधी, वज्रपात से 14 मरे

पटना, 13 जून (भाषा)।

बिहार में बुधवार को आई आंधी और बारिश के कारण दीवार गिरने तथा वज्रपात की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, प्रदेश में कल आई आंधी और बारिश के कारण दीवार गिरने तथा वज्रपात की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गयी। मृतकों में तीन बच्चे और एक महिला शामिल हैं।

केरल में भारी बारिश जारी

तिरुवनंतपुरम, 13 जून (भाषा)।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने के साथ केरल के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। तटीय इलाकों में बारिश से पेड़ उखड़ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एर्नाकुलम, अलप्पुझा, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड समेत कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई।

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में एम्स ने सांकेतिक प्रदर्शन कर एलान किया

आज सिर्फ आपात सेवा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को पट्टी बांध कर काम किया। इस सांकेतिक प्रदर्शन के साथ ही एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने शुक्रवार को अस्पताल के कामकाज का बहिष्कार करने का एलान किया है। इस दिन एम्स में आपातकालीन सेवाओं के अलावा और कोई काम नहीं होगा। एम्स आरडीए ने देशभर के आरडीए को इस सांकेतिक हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। डॉक्टरों ने कहा कि वे देश में ही सुरक्षित नहीं हैं ऐसे में वे सेवा के काम को सुकून से कैसे अंजाम देंगे। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था चौकस करने व डॉक्टरों की सुरक्षा तय करने की मांग की है।

एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एम्स परिसर में प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए अपने सिर पर पट्टी बांध कर काम किया। उन्होंने कहा कि यह हमारा विरोध का एक सांकेतिक तरीका है। गौरतलब है कि पहले भी चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध में यहां डॉक्टरों ने सांकेतिक रूप से विरोध करते हुए हेलमेट पहन कर काम किया था।

चिकित्सकों ने तय किया है कि वे शुक्रवार को काम का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान डॉक्टर न तो बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में बैठेंगे और न ही प्रयोगशालाओं में अपनी सेवाएं देंगे। वे केवल आपातकालीन सेवाओं को ही अंजाम देंगे।

एम्स आरडीए ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों के खिलाफ जारी हिंसा और वहां के लगातार बिगड़ रहे हालात चिंतित और हताश करने वाले है। राज्य में कानून व्यवस्था की खुल कर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बयान में यह भी कहा गया है कि कानून-व्यवस्था का आलम यह है कि चिकित्सकों के छात्रावासों पर भीड़ की ओर से हथियार के साथ हमला करने की खबरें मिल रही हैं।

यही नहीं स्थानीय सरकार भी चिकित्सकों को सुरक्षा और न्याय दिलाने में नाकाम है। इसमें कहा गया कि एम्स आरडीए इन हिंसक घटनाओं से बेहद आहत है। एम्स आरडीए पश्चिम बंगाल के अपने सहयोगियों के समर्थन में उनके साथ खड़ी है और हमनें उनके समर्थन में एक दिन की हड़ताल का फैसला किया है।

विरोध में सिर पर पट्टी बांध कर मरीज की जांच करता डॉक्टर।

'दिल्ली में अपराधों में 22 फीसद की कमी'

राजधानी में अपराधों के ग्राफ में 22 फीसद की कमी दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाली बैठक में पुलिस ने दी है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके पास 36,354 वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हैं ओर पुलिस ने 2.26 लाख बार उनसे संपर्क किया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मुई 2019 तक जघन्य अपराधों में 22 फीसद की कमी आई है। (जनसत्ता संवाददाता)

कांग्रेस-भाजपा गठबंधन ने उत्तरी निगम चुनाव जीता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

लोकसभा चुनाव के बाद अब आम आदमी पार्टी (आप) को कांग्रेस ने एक और बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से उत्तरी नगर निगम जोन पर कब्जा किया है। 'आप' के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि 'आप' को हराने के लिए भाजपा व कांग्रेस ने एक-दूसरे को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि यह दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी से हुआ है।

गोपाल राय ने कहा कि उत्तरी नगर निगम के जोन चुनाव हुए हैं। इन चुनाव में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटित हुई है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से मुकाबला लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक साथ सामने आई है। उन्होंने बताया कि उत्तरी निगम में दो जोन में नरेला, शहरी व सदर पहाड़गंज जोन शामिल है। इसमें शहरी क्षेत्र में 8 'आप', 6 कांग्रेस और 3 भाजपा के पास है। जोन के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व स्थायी समिति सदस्य होता है। कांग्रेस व भाजपा के नेताओं को ही 9-9 वोट मिले हैं और वे इन सीटों पर जीते हैं। कांग्रेस व भाजपा ने एक-दूसरे को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी यह सवाल उठा था कि कांग्रेस चुनाव में भाजपा को हराना चाहती है, तो वोटों को बांटा क्यों जा रहा है। इस बार कांग्रेस-भाजपा का गठबंधन हुआ है और इससे कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है।

बेहतर शिक्षा के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की रखी गई बुनियाद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक पर विश्वस्तरीय प्रशिक्षण विश्वविद्यालय बनेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके माध्यम से 12वीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षण प्रशिक्षण करने वाले विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने शिक्षकों के लिए नए इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) का शिलान्यास किया। यह डाइट बाबूराम स्कूल के परिसर में तैयार की जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ही माह में डाइट केंद्र तैयार हो जाएगा और अगले साल से यहां पर बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

बिना भेदभाव लागू हो छात्रवृत्ति योजना : सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अब तक दूसरे दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी और अब खुद तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री से मांग की है कि छात्रवृत्ति की योजना पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

पानी संकट पर 'आप' को बहस की चुनौती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

दिल्ली में गहराए पानी संकट पर विवाद थमा नहीं है। राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता विजय गोयल ने गुरुवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) को पानी के मसले पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी के संकट का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है और इस संकट की वजह से महिलाएं सबसे अधिक परेशान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घेराव करेंगे। भाजपा ने मांग की है कि पानी संकट के निपटारे के लिए जल्द से जल्द एक टास्क फोर्स बनाई जाए।

विजय गोयल ने पत्रकारों से पानी विवाद पर अब तक हुए सरकारी जवाबों की जानकारी देने की कोशिश की। इस मौके पर कई क्षेत्रों से महिलाएं भी पहुंची थी और वे अपने साथ में सीवर का पानी व मिट्टीयुक्त पानी की बोतलें लेकर आई थीं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय 309-1, [illegible] लखनऊ में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है- प्रार्थी के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए हैं :- अध्यक्ष- [illegible] 158/33, [illegible] लखनऊ। महासचिव- [illegible] 158/33 [illegible] लखनऊ। कोषाध्यक्ष - [illegible] 400/82-1, [illegible] लखनऊ। यदि किसी को राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के रजिस्ट्रीकरण से कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केंद्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र [illegible]
मामले में [illegible] के पहले
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
[illegible]

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की स्थापना के लिए नोटिस जारी करना

[illegible]

तिथि : 11 जून, 2019 [illegible]
स्थान : [illegible] [illegible] 05256574

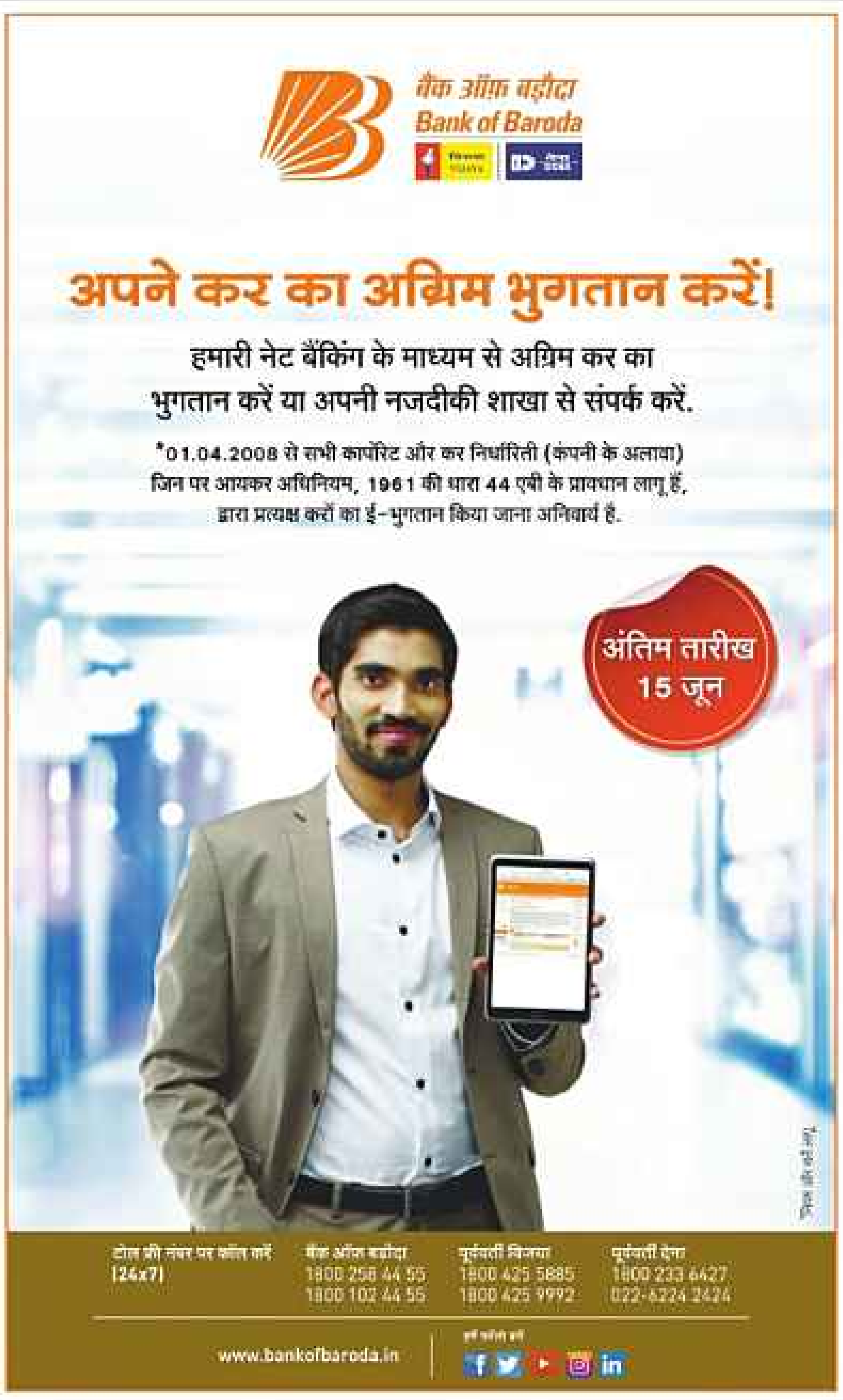

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	Dev Poly Plast Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	18-07-1995
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies Delhi
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74899DL1995PTC070890
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B/30 D, KIRTI NAGAR INDUSTRIAL AREA NEW DELHI DL 110015 IN
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	26-03-2019
7	Date of invitation of expression of interest	14.06.2019
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by email at devpolyplasticirp@gmail.com
9	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Available at website of IBBI (www.ibbi.gov.in) and can also be obtained by email at devpolyplasticirp@gmail.com
10	Last date for receipt of expression of interest	29-06-2019
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	09-07-2019
12	Last date for submission of objections to provisional list	14-07-2019
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	24-07-2019
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	14-07-2019
15	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Resolution professional (RP) Will share the request for resolution evaluation matrix, information memorandum in electronic form to every prospective resolution applicant (PRA) in the provisional list and every PRA who has contested the decision of the resolution professional against its non-inclusion in the provisional list on execution of confidentiality undertaking
16	Last date for submission of resolution plans	23-08-2019
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Physically and electronic format at RP address and on email id at devpolyplasticirp@gmail.com
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	As soon as approved by committee of creditors
19	Name and registration number of the resolution professional	SHAILENDRA SINGH | IP Registration no.: IBBI/IPA-002/IP-N00471-2017-2018/11372
20	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	SHAILENDRA SINGH H-29, FF, Jungpura Extension,New Delhi - 110014 shailendralaw@gmail.com
21	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	H-29, FF, Jungpura Extension, New Delhi - 110014 devpolyplasticirp@gmail.com
22	Further Details are available at or with	Details can be sought from H-29, FF, Jungpura Extension, New Delhi - 110014 Or email at devpolyplasticirp@gmail.com
23	Date of publication of Form G	14-06-2019

SHAILENDRA SINGH
Resolution professional
In the matter of Dev Poly Plast Private Limited
IP Registration no.: IBBI/IPA-002/IP-N00471-2017-2018/11372
Registered address: H-29, 1st Floor, Jungpura Extension, New Delhi 110014
E Mail ID: devpolyplasticirp@gmail.com, shailendralaw@gmail.com
Place :New Delhi
Date: 13.06.2019

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI COMPANY APPLICATION (CAA) 62/PB/2019 CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION (CAA) 41/PB/2019

In the matter of the Companies Act, 2013. And In the matter of Sections 230 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013. And In the matter of Scheme of Arrangement and Demerger between M&B Footwear Private Limited and KPS Products Private Limited and their respective shareholders and creditors:

M&B Footwear Private Limited, A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at B-2/3 Mohan Co-Operative Industrial Estate, Mathura Road, Badarpur, New Delhi-110044.

......**Petitioner Company 1/Demerged Company**

KPS Products Private Limited, A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Plot-3, Block-II, Ground Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044.

.......**Petitioner Company 2/Resulting Company**

NOTICE OF PETITION

A petition under sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, for sanction of Scheme of Arrangement and Demerger was jointly presented by M&B Footwear Private Limited and KPS Products Private Limited on the 22nd day of April, 2019, and the said petition is fixed for hearing before the National Company Law Tribunal on the 8th day of July, 2019. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Dated :14th day of June, 2019 SD/-
Adv Rajeev Kumar, Agarwal Law Associates, (Advocate for petitioners),
34, Babar Lane, First Floor, Bengali Market, New Delhi – 110 001

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
सेक्टर बी-1, डव पब्लिक स्कूल कैम्पस, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, टेली नं. 011-26899161

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2)/ 8 (6) के अंतर्गत
बिक्री के विषय में सूचना देने के लिये ऋणधारकों के लिये सूचना (30 दिनों की सूचना)

शाखा, ऋणधारक (कों)/ मार्टगैजर (रों)/ गारन्टर (रों)/ सह आवेदक/ सह-देनदार का नाम/ पता	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य / मांग सूचना तिथि	कब्जा सूचना की तिथि
ऋणधारकों i) मिस वेमुलापल्ली मालविका सी-2 ए, डीडीए एमआईजी फ्लैट, भूतल, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 ii) श्री वी श्रीनिवास सी-2 ए, डीडीए एमआईजी फ्लैट, भूतल, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 iii) श्रीमती वी पदमा सी-2 ए, डीडीए एमआईजी फ्लैट, भूतल, मुनिरका, नई दिल्ली-110067	सी-2 ए, डीडीए फ्लैट एमआईजी, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 में स्थित भूमि एवं भवन-आवासीय माप लगभग 85 वर्ग मी. से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः फ्लैट नं. 2-बी, पश्चिमः खुला, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः फ्लैट नं. 1-बी	रु. 13700000/- 2.1.2019	15.5.2019

जैसा कि उपरोक्त तिथि के अनुसार धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना द्वारा मेरे/बैंक द्वारा की गई मांग के बावजूद आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा कर लिया गया है। सम्पत्ति का कब्जा कर लेने के बावजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव, इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद ई-नीलामी आमंत्रित कर उपरोक्त सम्पत्ति का बिक्री करना आवश्यक हो गया है। नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता का विवरण अलग से जारी की जाने वाली बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की जायेगी। चूंकि सम्पत्ति की बिक्री हम दोनों को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन निजी संधि द्वारा अथवा लोगों से कोटेशन प्राप्त कर भी की जा सकती है, यदि आपके पास निजी संधि अथवा लोगों से कोटेशन आमंत्रित कर सम्पत्ति की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव हो तो आप इस पत्र/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर हमें उसकी सूचना दे सकते हैं अन्यथा यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा हम निविदा/ सार्वजनिक नीलामी/ ई-नीलामी/ निजी संधि आमंत्रित कर सम्पत्ति/मशीनरी की ब्रिकी की कार्रवाई शुरू करेंगे। पुनः यह ध्यान रहे कि यदि आप उपरोक्त बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को या पूर्व इस तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज सहित मांग सूचना में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 13.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
जोनल आफिस-II, बी-38/39, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नारायणा, नई दिल्ली - 110028
ई-नीलामी सूचना

चल/अचल बैंक सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना.
ईएमडी (धरोहर राशि) तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 28.06.2019 को सांय 4.00 बजे तक

[illegible] **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** [illegible] (2002 का 54) [illegible] **"जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है"** [illegible] (https://www.disposalhub.com/PSB) [illegible]

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा एवं खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि (सुरक्षित ऋण)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का विवरण	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	ई-नीलामी की तिथि/समय
1	पीएसबी, महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली श्रीमती बबिता रानी और श्री हिमांशु	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड डीडीए जनता फ्लैट नं. 351, भूतल, सी ए टी -ए पॉकेट- 7, नासीरपुर, द्वारका, सैक्टर-1ए, नई दिल्ली-110045 में स्थित (क्षेत्रफल 22 वर्ग मी.)	17-07-2017 रु. 14,08,736/- दिनांक 31.05.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।	ACCOUNT NO. 11791000007383 A/C Name: EMD AUCTION A/C Babita Rani Name of the beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE, PSIB0021179	₹ 10.17 लाख ₹ 1.17 लाख ₹ 25,000	[illegible] Email: d0105@psb.co.in Mob.: 9910023999	26-06-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक	29-06-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
2	पीएसबी, जनकपुरी, नई दिल्ली श्री सुनिल कुमार सोलन्की	Etios G Petrol (KI) कार पंजीकरण नं. DL-10CE-3764, इंजन नं. 2NRD011750 (Feb'2013 Model)	04-07-2016 रु. 3,96,103.51 दिनांक 31.05.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।	Account No. 01051000094461 A/c Name : EMD AUCTION A/C SUNIL KUMAR SOLANKI Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE, PSIB0000105	₹ 1.80 लाख ₹ 0.18 लाख ₹ 10,000	[illegible] Email: d0105@psb.co.in Mob.: 9910023999	24-06-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक	29-06-2019 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक
3	पीएसबी, राजेन्द्रा प्लेस मैसर्स एन [illegible] एक्सपोर्टर्स प्रा. लि. और श्री मनजीत सिंह ओबरॉय और सुश्री [illegible] कौर और संदीप सिंह ओबरॉय पुत्र श्री मनजीत सिंह ओबरॉय	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूतल, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति नं. बी-63 का हिस्सा, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 273.5 वर्ग गज, गाँव पोसांगी, कृष्णा पार्क, मैन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित	15-02-2017 रु. 25,84,99,637.19 दिनांक 31.05.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।	ACCOUNT NO. 06061100068519 A/c Name : EMD AUCTION A/C Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE, PSIB0000606	₹ 222.00 लाख ₹ 22.20 लाख ₹ 0.50 लाख	[illegible] Email: d0606@psb.co.in Mob.: 9801435681	26-06-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक	29-06-2019 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक

नियम व शर्तें-
1. ई-नीलामी **"जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जोभी है"** आधार पर आयोजित की जा रही है
2. [illegible]
3. **बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने की बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।**
4. **इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए हैल्प लाईन न. +91-124 4233933, +91 95100 29926, हैल्प लाईन ई-मेल आईडी: csd@disposalhub.com से सम्पर्क कर सकते हैं**
5. [illegible]
6. दिनांक 28.06.2019 [illegible]
7. [illegible] 25% [illegible] 48 [illegible] 75 [illegible] 15वें [illegible]
8. [illegible] **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** [illegible] **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible] **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** की वेबसाइट **https://www.disposalhub.com/PSB** [illegible]

सरफासी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

तिथि : 13.06.2019 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

फरार स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ आरोप पत्र दायर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

दिल्ली में अपने आश्रमों में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में फरार स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु विरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दायर किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने यहां की विशेष अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में दीक्षित पर बलात्कार और आपराधिक धमकी के कड़े आरोप लगाए हैं। दीक्षित फरार हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उस पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया है।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बीते साल तीन जनवरी को इस बाबत मामला दर्ज किया गया था। दीक्षित आध्यात्मिक विद्यालय का प्रमुख था। उनपर आध्यात्मिक गुरु बनकर महिलाओं को बंधक बनाने और उनके साथ बलात्कार करने के आरोप हैं। बकील सीबीआइ उन्होंने शिकायती व पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया। एजंसी का कहना है कि विरेंद्र देव दीक्षित कथित तौर पर धमकी देकर लड़कियों व परिजनों को चुप कर देता था। वो उनपर पूरी तरह से हावी था।

भरत नगर की घटना, दूध वाले ने दी थी पुलिस को खबर, बहन की लाश सड़ी हालत में मिली

घर में मृत मिले बुजुर्ग भाई-बहन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

भरत नगर थाना क्षेत्र में रह रहे बुजुर्ग भाई-बहन की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी बुधवार को पुलिस को उस वक्त मिली, जब सुबह दूध वाले ने उनके पड़ोसियों को बताया कि कई दिनों से दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस ने बताया कि दोनों में से किसी के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। इस कारण मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। मृतक भाई-बहन की पहचान चमन लाल खोसला (95) और उनकी बहन राज कुमारी (75) के तौर पर हुई है। इस मकान में केवल दोनों भाई-बहन रहते थे और दोनों अविवाहित भी थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल कुछ भी कह पाना संभव नहीं है।

बुजुर्ग भाई-बहन इसी घर में रहते थे।

पुलिस के मुताबिक, चमन लाल खोसला और उनकी बहन राजकुमारी ए-20/3, राणा प्रताप बाग, भरत नगर में अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। राजकुमारी का शव सड़ने की हालत में पहुंच गया था, जिससे माना जा रहा है कि राजकुमारी की मौत पहले हुई होगी। चमन लाल के शरीर में लकवा मारा हुआ था। इस कारण वह पूरी तरह अपनी बहन पर आश्रित थे। उनकी छोटी से छोटी जरूरत भी राजकुमारी ही पूरी करती थी। ऐसे में संदेह है कि राजकुमारी की मौत के बाद चमन लाल कुछ कर नहीं पाए और उनकी भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि इलाके में रहने वाले दो बुजुर्ग कई दिनों से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची जब अंदर गई तो दोनों के शव पड़े थे। दोनों की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। इस कारण शव से बदबू भी आने लगी थी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को कोई साजिश नहीं लग रही है। ऐसे में पुलिस दोनों की स्वभाविक मौत मान कर चल रही है। राजकुमारी और चमन लाल अविवाहित थे। दोनों साथ में ही रहते थे।

पड़ोसियों से नहीं था संबंध

चमन लाल के पड़ोसी राकेश कुमार ने बताया कि परिवार का पुश्तैनी मकान है। इसका निर्माण 1958 में कराया गया था, तब से सभी यहीं रहते थे। चमन लाल और उनकी बहन राजकुमारी पड़ोसियों से मिलते-जुलते नहीं थे। चमन लाल को पड़ोसियों ने पिछले करीब सात महीने से नहीं देखा था। राजकुमारी ही घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलती थीं। अक्सर पड़ोसी उन्हें बस दरवाजे पर दूध लेने के लिए निकलते हुए देखते थे।

चमन लाल भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) से सेवानिवृत्त थे, जबकि उनकी बहन डाकघर से सेवानिवृत थीं। राज कुमारी को मिलने वाला पेंशन से घर का खर्च चलता था। करीब 10 साल पहले एक हादसे में चमन लाल के दोनों पैर खराब हो गए थे।

अलग-अलग हुए सड़क हादसों में महिला समेत दो की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

राजधानी में अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। पहली घटना नजफगढ़ में अनाज मंडी के पास की है, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से 21 साल की निशा की मौत हो गई। वहीं, बुराड़ी में 60 साल के रमेश चंद को वाहन चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें पहुंची थीं, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने घटना के समय हेलमेट लगा रहा था, लेकिन वह डिवाइडर से टकरा कर टूट गया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है।

पुलिस के मुताबिक, नजफगढ़ के अनाज मंडी के पास से स्कूटी सवार राजेश अपनी पत्नी निशा और दो साल की बेटी के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने ओवरटेक करने के दौरान उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में निशा ट्रक के पहिया के नीचे आ गई। गनीमत रही कि राजेश दूसरी ओर गिरे। उन्होंने समय रहते बच्ची को अपनी ओर खींच लिया था। इस कारण बच्ची की जान बच गई। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस निशा को पास के अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने राम किशोर नामक आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

वहीं, बुराड़ी पुलिस को बुधवार रात में बुराड़ी अथॉरिटी चौक के पास दुर्घटना की जानकारी मिली। पुलिस को घटनास्थल पर एक शख्स घायल हालत में मिला। साथ ही एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में मिली। पुलिस घायल हालत में 60 साल के रमेश चंद को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले थे।

पत्नी की हत्या कर बुजुर्ग ने की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

जगतपुरी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में व्यक्ति ने खुद भी पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह पुलिस को दी गई थी। मृतक की पहचान मानक चंद बेदी (70) के रूप में हुई है, जबकि पत्नी की पहचान लक्ष्मी देवी (35) के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि छह महीने पहले मानक चंद ने लक्ष्मी से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के बीच घरेलू कलह शुरू हो गई थी। लक्ष्मी देवी ने मानक चंद और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दे रखी थी। इसमें प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त मेघना यादव ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्या के आरोपी ने भी आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस किसी बाहरी शख्स के हाथ होने की आशंका से इनकार कर रही है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

आरोपी की फाइल फोटो। घटना को अंजाम देने के बाद खुद की भी जान ले ली।

पुलिस के मुताबिक, मानक चंद बेदी अपने तीन बेटों के साथ बलदेव पार्क में रहते थे। करीब सात साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके तीनों बेटे पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर अपने परिवार के साथ रहते थे। वह भूतल पर रहते थे। मानक चंद ने कुछ समय पहले अपने तीनों बच्चों में संपत्ति का भी बंटवारा कर दिया था। इसी बीच छह महीने पहले अकेलापन दूर करने के लिए लोनी निवासी लक्ष्मी से गुरुद्वारे में शादी कर ली थी। उसके बाद दोनों साथ में रह रहे थे। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही दंपति में लड़ाई शुरू हो गई। कई बार परिजनों ने बीच-बचाव किया। पर बाद में मामला पुलिस तक जा पहुंचा। लक्ष्मी ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से कर दी। बाद में लक्ष्मी अपने माइके जाकर रहने लगी।

बताया जा रहा है कि तीन-चार दिन पहले मानक चंद पत्नी को मनाकर अपने साथ ले आया था। बुधवार रात भी दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गुरुवार सुबह पोता जब मानक चंद से मिलने के लिए पहुंचा तो उन्हें घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने काफी आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो दोनों के शव अंदर पड़े थे। लक्ष्मी देवी का सिर फटा हुआ था। पास में खून से सनी एक ईंट पड़ी थी। कमरे में ही मानक चंद फंदे के सहारे फांसी पर लटका हुआ था। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस दोनों को पास के अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कोट नहर में चार साल के बच्चे का मिला शव

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 13 जून।

थाना दादरी इलाके में जीटी रोड स्थित कोट नहर में करीब चार साल के बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं, नहर में बुधवार शाम से डूबे युवक का शव अभी तक नहीं मिला है। उसकी तलाश में दो दर्जन गोताखोर लगे हुए हैं। युवक के डूबने के बाद पुलिस ने नहर को बंद करा दिया था। नहर में जलस्तर घटने के बाद बच्चे का शव गोताखोरों को दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक गत बुधवार शाम को कोट नहर में नहाने गए कोट गांव के रहने वाले युवक गौरी के डूबने पर पुलिस ने नहर को बंद करा दिया। गौरी अपने दोस्तों के साथ कोट पुल नहर में नहाने गया था। दो दर्जन गोताखोर समेत एनडीआरएफ के सदस्य उसकी तलाश में लगे हैं। ग्रामीण भी नहर किनारे मौजूद रहकर गोताखोरों का सहयोग कर रहे हैं। नहर में पानी कम होने पर करीब चार साल के बच्चे का शव मिला।

युवक ने की खुदकुशी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 13 जून।

थाना फेज-2 में इलाहबांस गांव में गुरुवार दोपहर एक युवक ने दुपट्टे के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। नोट पर उसने अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर लिखा है और लिखा है कि प्यारे भतीजे के लिए रुपए निकाल लेना। सूत्रों के मुताबिक, मृतक पिछले काफी दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था।

पुलिस के अनुसार मूल रूप से हरदोई का रहने वाला करण उर्फ भगवान दास (22) एक निजी कंपनी में काम करता था। वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। गुरुवार को वह काम पर नहीं गया और घर में अकेला था। इसी बीच उसने कमरे में लगे पंखे की मदद से फांसी लगा ली। करीब एक घंटे बाद जब परिजन आए, तो करण का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें मृतक ने अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर लिखा है। साथ ही लिखा है कि प्यारे भतीजे के लिए रुपए निकाल लेना। परिजनों के मुताबिक करण काफी दिनों से तनाव में था।

मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश महिला दोस्त के साथ गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात बदमाश और उसकी महिला दोस्त को गिरफ्तार किया है। बदमाश और पुलिस टीम के बीच बुधवार देर रात को मुठभेड़ हुई थी। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान रोहिणी निवासी श्रीकांत उर्फ अप्पू (34) के तौर पर हुई है। इस दौरान श्रीकांत को एक गोली भी लग गई थी। हालांकि, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कुछ समय पहले चोरी की गई बुलेट और लूटे गए सोने के चेन, पिस्तौल और कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 12 संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि 12-13 जून की देर रात को थाने की पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान एसआइ हिमांशु और हेड

पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, स्थिर है हालत

मुठभेड़ से पहले आरोपी ने दो लोगों के साथ लूटपाट की थी

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 12 संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं

कांस्टेबल सुमित के पास अर्जुन नामक एक शख्स आया। उसने बताया कि कुछ समय पहले कुख्यात बदमाश श्रीकांत ने हथियार के बल पर उसकी बुलेट लूट ली। विरोध करने पर गोली मारने की धमकी भी दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी। इसी बीच एक अन्य पीड़ित राजेश मिला, जिसने शिकायत की कि बुलेट सवार एक बदमाश ने उसकी सोने की चेन लूट ली। उसके एक साथ एक लड़की भी थी।

कुछ घंटे के अंदर हुई दो घटनाओं ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी। पुलिस टीम बदमाश को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गई। पुलिस टीम ने पीछा कर आरोपी को रिंग रोड पर देख लिया। पुलिसकर्मियों ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन श्रीकांत ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी श्रीकांत पर गोली चलाई, जो उसे जा लगी, जिसके बाद वह सड़क पर गिर गया। इसी बीच पूजा नामक उसकी महिला मित्र फरार होने में कामयाब रही। घायल हालत में श्रीकांत को पुलिस हिरासत में भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पूजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पता चला कि आरोपी श्रीकांत के खिलाफ हत्या, लूटपाट, डकैती समेत 12 मामले नेताजी सुभाष प्लेस थाने में दर्ज हैं। यह इलाके का कुख्यात बदमाश था। लूटपाट का विरोध करने पर यह लोगों को गोली मार देता था।

महिला और बच्चों की जान बचाने वाले जवान के परिजनों को दी गई आर्थिक मदद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

दिल्ली रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने महिला और बच्चों की जान बचाने वाले जवान के परिवार को एक लाख 93 हजार 600 रुपए की आर्थिक मदद दी है। ये रुपए जीआरपी के कर्मचारियों ने चंदा कर चुकाए हैं। गुरुवार को रेलवे पुलिस उपायुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने जवान जगबीर सिंह की पत्नी को चेक दिया। इस दौरान दिवंगत जगबीर सिंह के परिजन मौजूद रहे।

उपायुक्त दिनेश गुप्ता ने बताया कि बीती 22 अप्रैल को आरपीएफ के जवान जगबीर सिंह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन पर होशियारपुर एक्सप्रेस आ रही है। कुछ दूरी पर एक महिला ट्रेन की चपेट में आने वाली है। उन्होंने दौड़कर महिला की जान बचाई।

जीआरपी ने जवान के लिए परिवार को एक लाख 93 हजार 600 रुपए की मदद की है

ये रुपए जीआरपी के कर्मचारियों ने चंदा कर चुकाए हैं

इसी दौरान रेलवे लाइन की दूसरी ओर देखा कि तीन बच्चे कूड़ा फेंकने के लिए रेलवे लाइन की ओर आ रहे हैं। उन्होंने उन अपनी जान की परवाह किए। बच्चों को बचा लिया, लेकिन वह कालका शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपायुक्त ने बताया कि उनके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए यह धनराशी दी गई है, ताकि परिजनों को परेशानी न हो।

बोड़ाकी से रेवाड़ी | **प्रत्येक 40 किलोमीटर पर होगा फ्रेट कॉरिडोर का स्टेशन**

गौतम बुद्ध नगर में 11 किमी लंबे डीएफसी के एलिवेटेड ट्रैक के लिए बनेंगे 24 पुल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 13 जून।

बोड़ाकी से रेवाड़ी तक बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का 11 किलोमीटर लंबा हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में है। कुल 128 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के इस हिस्से में यमुना से लेकर बोड़ाकी की 130 मीटर चौड़ी सड़क पर 24 पुल बनाए जाएंगे। पूरी तरह से ऊपरगामी (एलिवेटेड) ट्रैक पर करीब डेढ़ किलोमीटर तक लंबी मालगाड़ी दौड़ेगी। जिसका वजन करीब 13.5 हजार टन होगा। ट्रेन की लंबाई और वजन के आधार पर इस कॉरिडोर को नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाली एक्वा लाइन के ऊपर से निकाला जाएगा।

एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ 45 मीटर चौड़ी सड़क और एक्वा लाइन के ऊपर से निकलने वाले पुल झट्टा गांव से उठेगा। पुल के खंभों की मजबूती के लिए तीन फाउंडेशन (आधार) बनाए जाने हैं। पहला 45 मीटर सड़क के किनारे, दूसरा एक्सप्रेस-वे पथ विभाजक (सेंट्रल वर्ज) और तीसरा सर्विस लेन के पास बनाया जाएगा। आगामी चार-पांच दिन में यह काम शुरू होगा। एक्वा लाइन के दोनों तरफ भी खंभे बनाए जाएंगे। जिस पर गार्डर डाला जाएगा।

फाइल फोटो

बोड़ाकी से रेवाड़ी तक बनाए जा रहे कॉरिडोर के प्रत्येक 40-40 किलोमीटर पर

बोड़ाकी में दिल्ली-हावड़ा लाइन के पास बनेगा नया दादरी स्टेशन

एक्वा लाइन के ऊपर से गुजरने वाले डीएफसी के पुल बनाने का काम अगले सप्ताह से होगा शुरू

स्टेशन बनाए जाएंगे। बोड़ाकी में दिल्ली हावड़ा लाइन के पास इसका नया स्टेशन दादरी नाम से होगा। स्टेशन में यार्ड भी बनाया जाएगा। परियोजना अधिकारियों के अनुसार यहां आने वाले सामान को ट्रक से उतार कर नहीं लादा जाएगा बल्कि पूरे ट्रक लोड (माल) की बुकिंग होगी। बुकिंग स्टेशन पर होगी। जिसके बाद पूरे ट्रक को ही मालगाड़ी में लाद दिया जाएगा। जिस वजह से पहले जो ट्रक कोलकाता से मुंबई के बीच एक्सप्रेस-वे या एनसीआर के हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, वे इस मालगाड़ी का इस्तेमाल कर सीधे जा सकेंगे। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर ट्रकों की संख्या काफी कम हो जाएगी।

सेक्टर-146 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का नियंत्रण कक्ष (कमांड कंट्रोल रूम) बनाया जा रहा है। इसी के साथ हैवी हॉल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एचएचआरआइ) भी बनाया जा रहा है। इस संस्थान में हैवी हॉल यानी भारी भरकम मालगाड़ी और ट्रैक को अत्याधुनिक बनाने पर शोध किया जाएगा। काम करने वालों के लिए आवास समेत पूरे परिसर को 22.5 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि प्राधिकरण इस जमीन को लीज होल्ड के बजाए फ्री होल्ड दे रहा है। जमीन का भुगतान प्राधिकरण को कर दिया गया है। 2021 तक एचएचआरआइ और नियंत्रण कक्ष शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएफसी के इस हिस्से की एक्वा लाइन से करीब 5.4 मीटर और एक्सप्रेस-वे से तकरीबन 6.58 मीटर ऊंची होगी।

डीएफसी के लिए बनाया जा रहा नया दादरी स्टेशन को दादरी डिपो से सीधा जोड़ा जाएगा। इस स्टेशन से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से भी सीधा संपर्क होगा। जहां से औद्योगिक इकाइयों का माल लेकर ट्रक सीधे नया दादरी स्टेशन जा सकेंगे। गौतम बुद्ध नगर के अलावा रेवाड़ी, अलवर, मेवात, पलवल और फरीदाबाद आदि भी कॉरिडोर के इस हिस्से से जुड़ जाएंगे। डीएफसी की नोएडा इकाई के उप मुख्य परियोजना प्रबंधक के मुताबिक खंभों का आधार बनाने के लिए प्राधिकरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए डिजाइन जमा कर दी गई है। निर्माण के दौरान यातायात को डायवर्ट (वैकल्पिक रास्तों) करना होगा। 2021 तक बोड़ाकी से रेवाड़ी तक के एलाइनमेंट पर संचालन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है।

आबकारी विभाग ने क्लब का लाइसेंस किया निरस्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जून।

दक्षिणी दिल्ली के क्लब में बिना टैक्स की विदेशी शराब परोसने के मामले में कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने संबंधित क्लब का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। विभाग ने जांच के दौरान इस क्लब में बिना टैक्स वाली शराब परोसते हुए कर्मचारियों को पकड़ा था। इसके लिए बुधवार देर रात एक छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां आबकारी विभाग ने 52 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की थीं।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : ग्रीष्म उत्सव और शास्त्रीय संगीत, सीडी देशमुख सभागार, 40 मैक्समूलर मार्ग, साम छह बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और पेरू दूतावास : पेरू पर प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्स), मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, 18 जून तक।

डकैत ने महिलाओं को पीटा, निर्वस्त्र घुमाया

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 13 जून।

चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का धौलपुर और करौली जिलों में आतंक फिर शुरू हो गया है। उसने गुरुवार को जिले के एक गांव में महिलाओं से मारपीट करने के बाद उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया। इससे पहले उसने बुधवार को बाडी कस्बे में फायरिंग कर दुकानदारों और लोगों से मारपीट कर दहशत फैला दी थी। दस्यु जगन गुर्जर के लगातार इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने की घटनाओं से आम आदमी में डर बैठ गया है।

पुलिस के अनुसार डकैत जगन ने बुधवार देर शाम बसईडांग थाना इलाके के करणसिंह का पुरा गांव में अपने हथियारबंद साथियों के साथ पहुंच कर जमकर आतंक फैलाया। उसने गांव के एक घर में घुस कर महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उसने बंदूक की नोक पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। पीड़ित परिवार ने इस मामले में बसईडांग पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। घायल महिलाओं को बाडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार डकैत जगन अपने चार साथियों के साथ स्कार्पियो गाड़ी से गांव में पहुंचा। उसने हवाई फायरिंग कर गांव वालों को डराया। महिलाओं के बचाव में आए बच्चों के साथ डकैतों ने बेरहमी से मारपीट की। जगन गुर्जर ने बुधवार को भी जिले के तीन थाना इलाकों में फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इन सब मामलों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। इन मामलों में घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार डकैत जगन गुर्जर ने बुधवार को सवेरे धौलपुर जिले के बाडी कस्बे में अपने साथियों के साथ जमकर फायरिंग कर दहशत फैलाई। उसने दुकानदारों और थड़ी-ठेले वालों से मारपीट कर उनका सामान सड़क पर बिखेर दिया। इसके बाद डकैतों का दल करौली जिले के मासलपुर इलाके में पहुंच गया और वहां अपने विरोधियों के घरों पर जमकर फायरिंग की। धौलपुर के एसपी का कहना है कि पुलिस की पांच टीमें बना कर डकैत गिरोह को दबोचने की कोशिश की जा रही है।

डकैत जगन कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया है और अब लगातार दहशत फैलाने में लग गया है। उसके आतंक का असर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले के चंबल इलाके में सबसे ज्यादा है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन को फटकारा

देहरादून, 13 जून (भाषा)।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक वकील की हत्या के आरोपी को अदालत में मुकदमा लड़ने से अपने सदस्यों को रोकने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करने के लिए कोटद्वार बार एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाई। ऐसे प्रस्ताव की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा के खंडपीठ ने मामले पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है तो यह अस्वीकार्य है।

पीठ ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव वकीलों द्वारा आरोपी के अपराध को मुकदमे से पहले ही सिद्ध किए जाने के समान है जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। वादियों के प्रति वकीलों का वृहद दायित्व है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर कोई मुझे गोली मार दे तो भी आप अदालत में आरोपी का प्रतिनिधित्व करने से इनकार नहीं कर सकते। यहां तक कि कसाब को भी अदालत में प्रतिनिधित्व देने से इनकार नहीं किया गया।

Quick Heal
Security Simplified

QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

CIN - L72200MH1995PLC091408
Registered Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Viman Nagar, Pune - 411 014, India; **Phone:** +91 (20) 6681 3232
E-mail: cs@quickheal.co.in; **Website:** www.quickheal.co.in; **Contact Person:** Mr. Vinav Agarwal, Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

This post Buyback public announcement (**"Post Buyback Public Announcement"**) is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"Buyback Regulations"**) regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement published on April 16, 2019 (**"Public Announcement"**) and the Letter of Offer dated May 8, 2019 (**"Letter of Offer"**). All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1 Quick Heal Technologies Limited (**"Company"**) had announced the Buyback of upto 6,363,636 (Six million three hundred and sixty three thousand six hundred and thirty six) fully paid-up equity shares of Rs. 10/- (Rupee ten only) each (**"Equity Shares"**), approximately 9.02% and 9.04% of the total paid-up Equity Shares of the Company as at March 31, 2019 and as at March 31, 2018 respectively, from the Shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date i.e. April 26, 2019 (**"Record Date"**), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of Rs. 275/- (Rupees Two hundred and seventy five only) per Equity Share for an amount aggregating up to ₹1,750 Million (Rupees One Thousand Seven Hundred and Fifty Million only) (**"Maximum Buyback Size"**, and such buyback of shares, the **"Buyback"**). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisors' fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, GST, stamp duty, etc. The Buyback Size is 23.87% and 24.31% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2018.

1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) vide circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments thereof, issued by SEBI.

1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Monday, May 20, 2019 and closed on Friday, May 31, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1 6,363,636 (Six million three hundred and sixty three thousand six hundred and thirty six) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 275/- (Rupees Two Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback is Rs. 1,749,999,900 (Rupees One thousand Seven hundred and forty nine million nine hundred and ninety nine thousand and nine hundred only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisors' fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, GST, stamp duty, etc.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited (**"Registrar"**), considered 24,773 valid bids for 15,589,773 (Fifteen Million Five Hundred and Eighty Nine Thousand Seven Hundred Seventy Three) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 244.98% the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Sr. No.	Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
1	Reserved category for Small Shareholders	954,546	23,522	3,231,988	338.59%
2	General Category for all other Equity Shareholders	5,409,090	1,251	12,357,785	228.46%
	Total	**6,363,636**	**24,773**	**15,589,773**	**244.98%**

2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection have been dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on Wednesday, June 12, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by Clearing Corporation on Wednesday, June 12, 2019. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders.

2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on Wednesday, June 12, 2019. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Seller Member / custodians by the Clearing Corporation on Wednesday, June 12, 2019. No Equity Shares held in physical form were tendered or accepted under the Buyback.

2.7 The extinguishment of 6,363,636 (Six million three hundred and sixty three thousand six hundred and thirty six) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before Wednesday, June, 19, 2019.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback#		Post Buyback#	
		No. of Equity Shares	Amount (in ₹ Million)	No. of Equity Shares	Amount (in ₹ Million)
1.	Authorised Share Capital	75,000,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	750.00	75,000,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	750.00
2.	Issued, Subscribed and Fully Paid-Up Share Capital	70,565,154 fully paid-up Equity Shares of ₹ 10/- each	705.65	64,201,518* fully paid-up Equity Shares of ₹ 10/- each	642.02*

** Subject to extinguishment of 6,363,636 Equity Shares*

#On April 4, 2019, the Company had allotted 1,500 Equity Shares pursuant to exercise of stock options under the Company's Employee stock option scheme. As the process of completing the corporate action in regard to these Equity Shares was underway, the 1,500 Equity Shares were not disclosed in the Letter of Offer as part of the Issued, Subscribed and Fully Paid-Up Share Capital of the Company (both pre and post Buyback). The requisite corporate action has since been completed and the 1,500 Equity Shares have been included as part of the Issued, Subscribed and Fully Paid-Up Share Capital of the Company (both pre and post Buyback) in the table above.

3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been accepted under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares (%)
1.	Sanjay Sahebrao Katkar	1,716,671	26.98%	2.67%
2.	Kailash Sahebrao Katkar	1,716,671	26.98%	2.67%
3.	Anupama Kailash Katkar	418,800	6.58%	0.65%
4.	Chhaya Sanjay Katkar	418,800	6.58%	0.65%
5.	Sequoia Capital India Investment Holdings III	408,749	6.42%	0.64%
6.	National Westminster Bank PLC as Trustee Of The Jupiter India Fund	86,006	1.35%	0.13%
7.	Ramesh Damani	74,660	1.17%	0.12%

3.3 The shareholding pattern of the Company pre and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre Buyback#		Post Buyback#	
	Number of Shares	% to existing share capital	No. of Shares post Buyback*	% holding post Buyback*
Promoter and persons acting in concert	51,030,720	72.32%	46,759,778	72.83%
Foreign Investors (OCBs/ FIIs/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies and foreign mutual funds)	6,071,903	8.60%	17,441,740	27.17%
Indian Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds/ Govt. Companies	155,007	0.22%		
Public including other Bodies Corporate#	13,307,524	18.86%		
Total	**70,565,154**	**100.00%**	**64,201,518**	**100.00%**

** Subject to extinguishment of 6,363,636 Equity Shares.*

#On April 4, 2019, the Company had allotted 1,500 Equity Shares pursuant to exercise of stock options under the Company's Employee stock option scheme. As the process of completing the corporate action in regard to these Equity Shares was underway, the 1,500 Equity Shares were not disclosed in the Letter of Offer as part of the Issued, Subscribed and Fully Paid-Up Share Capital of the Company (both pre and post Buyback). The requisite corporate action has since been completed and the 1,500 Equity Shares have been included as part of the Issued, Subscribed and Fully Paid-Up Share Capital of the Company (both pre and post Buyback) in the table above.

4. MANAGER TO THE BUYBACK

NOMURA

Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited
Ceejay House, Level-11, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai- 400018
Tel: + 91 (22) 4037 4037; **Fax:** +91 (22) 4037 4111
Contact Person: Mr. Vishal Kanjani
Email: quickhealbuyback@nomura.com
Website: www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html
SEBI Registration Number: INM000011419
Validity Period: Permanent Registration

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
Quick Heal Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kailash Katkar	**Sanjay Katkar**	**Vinav Agarwal**
Managing Director & CEO	Joint Managing Director & CTO	Compliance Officer
DIN: 00397191	DIN: 00397277	Membership No. A40751

Date: June 13, 2019
Place: Pune

CONCEPT

(This is only an advertisement for information purpose and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution or indirectly outside India)

anand
RAYONS LTD.

ANAND RAYONS LIMITED

Corporate Identification Number: U51909GJ2018PLC104200

Our Company was originally formed and registered as a partnership firm under the Partnership Act, 1932 ("Partnership Act") in the name and style of "**M/s Anand Enterprise**", pursuant to a deed of partnership dated July 01,1987. Subsequently, the partnership firm was reconstituted on April 3,1992, October 8, 1999 and March 09, 2018. Thereafter, the partnership firm was converted in to a public limited company on September 20, 2018 under Part I chapter XXI of the Companies Act, 2013 in the name and style of "**M/s. Anand Rayons Limited**" and received a certificate of incorporation dated October 02, 2018 from the Deputy Registrar of Companies, Central Registration Center, Ministry of Corporate Affairs. The Corporate Identification Number of our Company is CIN: U51909GJ2018PLC104200. For further details, please refer to chapter titled "Our History and Certain Corporate Matters "beginning on page no. 74 of the Prospectus.

Registered Office : 305-306, Jay Sagar Complex, Opp. Sub Jail, Khatodra, Surat-395002 Gujarat.
Tel No: - 0261-2635621; **Website:** www.anandrayons.com; **E-Mail:** anandrayonsltd@gmail.com;

Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Rahul Makwana

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. ANAND BAKSHI

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 46,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF ANAND RAYONS LIMITED ("ARL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1265.76 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH WILL FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 64.80 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 44,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1200.96 LACS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.29% AND 29.68 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 128 OF THE PROSPECTUS.

THE ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, THE "SEBI ICDR REGULATIONS")

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 27 PER EQUITY SHARE

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 2.7 TIMES OF THE FACE VALUE. THE APPLICATION MUST BE MINIMUM OF 4,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 4,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

In terms of Regulation 256 of SEBI ICDR Regulation read with the SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015, all the investors applying in public issue shall use only Applications Supported by Blocked Amount(ASBA) facility for making payment providing details of bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") including UPI mode (as applicable). For further details, please refer the chapter titled 'Issue Procedure' beginning on page 135 of the Prospectus.
In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15% per annum for the period of delay.

ASBA* **Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!!**
*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

UPI Now available in ASBA for retail individual investors

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON : JUNE 18, 2019 (Tuesday)

ISSUE CLOSES ON : JUNE 24, 2019 (Monday)

ASBA has to be availed by all the investors. Unified Payments Interface (UPI) may be availed by Retail individual Investors pursuant to the circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018 is introduced w.e.f January 01, 2019 as a payment mechanism with ASBA for applications by Retail Individual Applicant through intermediaries.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Offer Document was filed with SEBI. In terms of the SEBI ICDR Regulations, SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" on page 122 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SME PLATFORM OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page 122 of the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the SME Platform of BSE".

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE : This being the first Public Issue of our Company, there has been no formal market for the securities of our Company. The face value of the shares is ₹ 10 per Equity Shares and the issue price is 2.7 times of the face value. The Issue Price (as determined by our Company in consultation with the Lead Manager) as stated in the chapter titled on "Basis for Issue Price" beginning on page 49 of the Prospectus should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our Company or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

GENERAL RISKS : Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares offered in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 12 of the Prospectus.

CREDIT RATING: This being an issue of Equity Share, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEES: As this is an issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

CONTENTS OF MAIN OBJECTS AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY: For information on the main objects of the Company, please see "History and Certain Corporate Matters" on page 74 of the Prospectus and clause 3 of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 176 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: Authorised share capital is Rs. 15,00,00,000 divided into 1,50,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/- each. Issued, Subscribed and Paid up Share Capital prior to the issue is Rs. 10,29,67,210/- divided into 1,02,96,721 fully paid equity shares of Rs.10/-each. Proposed post issue paid up share capital Rs. 14,98,47,210/-divided into 1,49,84,721 equity shares of Rs.10/-each. For details of the share capital of the company, please refer to chapter titled "Capital Structure" on page no. 31 of the Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of company is limited by shares.

NAME OF THE SIGNATORIES TO MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND THE NUMBER OF SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Mr.Gokul Bakshi 36,86,195, Mr. Anand Bakshi 35,05,920, Mrs. Shilpa Bakshi 10,04,860 Mrs. Vasuben Bakshi 19,13,880, Mrs. Hema Mishra 1,75,542, Mrs. Jigisha Chorwala 504 and Mrs. Nilaben Gandhi 9,820 were the original subscribers to the Memorandum of Association.

LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the BSE SME Platform. In terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an approval on March 26, 2019 from BSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be BSE SME Platform ("BSE").

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
GUINESS *Redefining Services* **GUINESS CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED** 18 Deshapriya Park Road, Kolkata - 700 026, West Bengal, India **Tel:** +91 - 33 - 30015555 **Fax:** +91 - 33 - 3001 5531 **Email:** gcapl@guinessgroup.net **Investor Grievance Email:** gcapl.mbd@guinessgroup.net **Website:** www.guinessonline.net **Contact Person:** Mr. Devendra Shah **SEBI Registration No.:** INM 000011930	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai-400059 **Tel No:** +91-022-62638200 **Fax No:** +91-022-62638299 **Email Id:** ipo@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **SEBI Registration No:** INR000001385 **Contact Person:** Mr. Ashish Bhope **Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com	anand RAYONS LTD. **ANAND RAYONS LIMITED** **Mr. Rahul Makwana** 305-306, Jay Sagar Complex Opp. Sub Jail, Khatodra Surat Gujarat-395002. **Tel No:** 0261-2635621 **E-mail:** anandrayonsltd@gmail.com **Website:** www.anandrayons.com Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer and/or the Registrar to the Issue and/or the Lead Manager(s) in case of any pre-issue or post-issue related grievance, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of fund by electronics mode etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS : Investors should note that Investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of our Company at www.anandrayons.com.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Registered Office of Anand Rayons Limited and the Lead Manager to the Issue – Guiness Corporate Advisors Private Limited. Application form shall be available at selective location of registered brokers, Bankers to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and at the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of BSE at www.bseindia.com & SEBI at www.sebi.gov.in.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT(ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 135 of the Prospectus.

Basis for Issue Price: For information on the issue price of the share, please see Chapter "Basis for Issue Price" on page 49 of the Prospectus.

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 12 of the Prospectus.

Banker to the Issue and Refund Banker to the Issue: HDFC Bank Limited

For, **ANAND RAYONS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anand Bakshi
Managing Director

Date: June 14, 2019
Place : Surat, Gujarat

Anand Rayons Limited is proposing, subject to market conditions, an initial public issue of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.guinessonline.net, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.anandrayons.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 12 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and will not be issued or sold with in the United States or to, or for the account or benefit of "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Garima Advt

जनसत्ता

आतंक की चुनौती

जब भी इस बात के संकेत मिलने लगते हैं कि अब आतंक से त्रस्त कश्मीर में शांति की कोशिशें सकारात्मक रास्ते की ओर जा सकती हैं, तभी आतंकी संगठनों की ओर से कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाता है, जो समूची कवायदों को भटका देता है। बुधवार को एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ। इससे साफ है कि समस्या के ठोस समाधान की स्थिति पैदा होने से पहले ही आतंकी गिरोह उसे बाधित कर देते हैं। हालांकि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहले ही आम लोगों की आवाजाही वाली जगहों, खासकर बस स्टैंड पर हमले की चेतावनी साझा की थी। इसके बावजूद अनंतनाग के केपी रोड पर मौजूद एक व्यस्त बस स्टैंड पर आतंकियों ने दिनदहाड़े हमला किया और उन्हें रोकने की पूर्व तैयारी नहीं थी। इस हमले में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए और तीन अन्य जवान घायल हो गए। हमला होने के बाद जब सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो एक आतंकी भी मारा गया।

इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी गुट अल-उमर मुजाहिदीन ने ली है, जिसे पिछले काफी समय से निष्क्रिय माना जा रहा था। लेकिन जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाले अधिकारियों ने इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने की आशंका जताई है। छिपी बात नहीं है कि घाटी में आतंकवादी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है और अलग-अलग चेहरों के साथ हमलों को अंजाम देने और भ्रम पैदा कर सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। पिछले कुछ समय से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को केंद्र में रख कर राज्य में आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ समय से निष्क्रिय पड़ा कोई संगठन यह दावा करता है, तो उसे भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, भले उसका मकसद महज चर्चा में आना हो। हालांकि राज्य की प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने वाले सुरक्षा बल वहां की जटिलता को ज्यादा बेहतर समझते हैं और उसी के मुताबिक काम करते हैं। मगर जब खुफिया सूचना के बावजूद आतंकी हमले में हमारे पांच जवानों की जान चली जाती है, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि सावधानी में चूक कहां हुई!

अक्सर देखा गया है कि जब भी हालात सामान्य होने लगते हैं, तो आतंकी हमले के जरिए एक खास तरह का संदेश देने की कोशिश की जाती है। जाहिर है, वे हमेशा आतंक और अराजकता के हालात बनाए रखना चाहते हैं, ताकि स्थानीय जनता के बीच उन्हें लेकर एक भ्रम बना रहे। इसके पीछे सीमा पार से आतंकवादी संगठनों को मिल रही शह से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठनों पर लगाम लगाने का सवाल कई बार उठा है। लेकिन इस दिशा में अब तक पाकिस्तान ने ठोस कदम नहीं उठाए। यों कहने को वह अक्सर कहता है कि अपनी सीमा से आतंकी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। पुलवामा हमले में बयालीस जवानों की शहादत के बाद माना जा रहा था कि सुरक्षा-व्यवस्था से लेकर खुफिया-तंत्र को इतना मजबूत और सक्रिय किया जाएगा कि वैसी घटना दोबारा न हो। पर ताजा हमले से एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि राज्य में फिलहाल आतंकवादियों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

महंगाई की रफ्तार

मुद्रास्फीति के ताजा अंकड़ों में खाने-पीने की वस्तुओं में महंगाई की दर कुछ बढ़ी हुई दर्ज हुई है। मई महीने में बढ़ कर यह 3.05 फीसद पर पहुंच गई। यह आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। पिछले सात महीनों में इसे सबसे ऊंची दर बताया जा रहा है। अप्रैल में खुदरा वस्तुओं में महंगाई की दर 2.99 फीसद थी, जिसके नीचे गिर कर 2.92 फीसद पर रहने का अनुमान लगाया गया था। मगर वह अनुमान विफल हुआ। खुदरा वस्तुओं में मुद्रास्फीति बढ़ने से आम लोगों को खाने-पीने की वस्तुओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है। स्वाभाविक ही इससे न सिर्फ लोगों की जेबों, बल्कि बाजार पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। मगर पिछले साल की इसी अवधि में मुद्रास्फीति की दर को देखें, तो यह 4.87 थी। उसके बाद पिछले साल अक्तूबर में यह दर घट कर 3.38 फीसद पर पहुंच गई थी। इससे तुलना करें, तो पिछले महीने की खुदरा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि को चिंताजनक नहीं कहा जा सकता। मगर सरकार जिस तरह महंगाई की दर पर काबू पाने को लेकर गंभीर है, उसमें यह वृद्धि उसे सोचने पर विवश जरूर करती है।

अप्रैल-मई का महीना खाने-पीने की वस्तुओं के लिहाज से बहुत महंगा नहीं माना जाता, क्योंकि इस मौसम में गेहूं, आलू, प्याज, दालों आदि की बाजार में आवक भरपूर रहती है। सब्जी, खाद्य तेल आदि के मामले में भी किसी तरह की किल्लत नहीं होती। पिछले दो महीनों में मौसम भी खराब नहीं रहा, जिससे कि फसलों पर बुरा असर पड़ा हो। ऐसे में महंगाई की दर कुछ बढ़ी हुई दर्ज हुई है, तो चिंता की बात कही जा सकती है। मगर इसकी कुछ वजहें भी समझी जा सकती हैं। पिछले कुछ समय से डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़त पर है। फिर ईरान से तेल न खरीद पाने की अमेरिकी बंदिश भी है। सरकार ने कुछ महीने से तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर जो हाथ रोक रखा था, उसे चुनाव बाद खोल दिया है। जाहिर है, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर माल ढुलाई पर पड़ता है और जब माल ढुलाई का किराया बढ़ता है, तो उसका असर खुदरा वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। मुद्रास्फीति के ताजा अंकड़ों के पीछे यह एक बड़ा कारण माना जा सकता है।

हालांकि महंगाई की दर केवल फसलों की आवक, डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर नहीं होती। इसमें लोगों की क्रयशक्ति, बाजार में पूंजी का प्रवाह आदि तत्त्व भी काम करते हैं। छिपी बात नहीं है कि कुछ समय से इन दोनों पहलुओं पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसीलिए केंद्रीय बैंक ने इस महीने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए रेपो दर में पच्चीस आधार अंक की कटौती की। निश्चय ही खुदरा बाजार पर भी इसका सकारात्मक असर नजर आएगा। फिर खेतों से बाजार तक वस्तुओं की समुचित पहुंच न हो पाने से भी खुदरा बाजार की कीमतों में असंतुलन पैदा होता है। कई बार देखा जाता है कि एक ही वस्तु की कीमत में ग्रामीण और शहरी बाजार में भारी अंतर होता है। यह सिर्फ ढुलाई की कीमत बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि कृषि उत्पाद के विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी होता है। महंगाई की दर पर काबू पाने के लिए कृषि उत्पाद की बाजार तक सही ढंग से पहुंच बनाने और भंडारण आदि की सुविधाओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत होती है।

कल्पमेधा

हिंसा और बल प्रयोग अपने पीछे घृणा और दुश्मनी के भाव छोड़ जाते हैं।
-थॉमस ब्राउन

शिक्षा नीति और भाषा का सवाल

कौशलेंद्र प्रपन्न

स्कूली बच्चों का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने, अक्षर ज्ञान, लिखने आदि कौशल में पिछड़ रहा है। वे भाषायी पठन, समझ और लेखन कौशल से महरूम रह जा रहे हैं। यही बच्चे जब कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो या तो भाषा-अध्ययन छोड़ देते हैं या फिर भाषा एवं साहित्य अध्ययन में रुचि नहीं लेते।

बहुभाषी समाज में हमारी मातृभाषा के अलावा क्षेत्र और राज्य की भाषा भी समाहित होती है। इन्हें अलग कर हम एक धनाढ्य भाषायी परिवार की कल्पना नहीं कर पाएंगे। इन्हें हम विभिन्न शैक्षिक नीतियों और समितियों की संस्तुतियों में भी देख-पढ़ सकते हैं, चाहे त्रिभाषा सूत्र हो या फिर भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षाविदों की समीक्षा। इन तमाम दस्तावेजों की रोशनी में देखने की कोशिश करें तो पाएंगे कि 1964-66 की कोठारी समिति में प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र कहीं न कहीं प्रकारांतर से बहुभाषायी परिवेश को मजबूत करने पर बल देता है। भाषा आधारित विमर्श समय-समय पर शैक्षणिक जमीन पर उगते रहे हैं। यदि सावधानी एवं पूर्वाग्रह से हट कर इनकी समीक्षा नहीं की गई और कार्यान्वयन की योजना बना ली तो समस्याएं खड़ी होती हैं। आजादी के बाद और खासकर 1960 के आसपास भाषा को आधार बना कर हुआ देशव्यापी संघर्ष इतिहास में दर्ज है। उसमें एक राज्य या खास भाषा को जब दूसरे राज्यों को भी पढ़ने-लिखने, बोलने के लिए प्रस्तावित किया गया तो उसका विरोध कुछ राज्यों ने किया था।

सन 1986 में हमारी शिक्षा नीति बनी थी। उसके बाद हमारे पास ताजा और समयानुसार शैक्षणिक नीति की आवश्यकता थी। इसमें पूर्व में 2015 से काम होना शुरू हुआ था। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा विद्वत समाज को सौंपा जा चुका है। इसमें पूर्व में हिंदी भाषा को अन्य राज्यों में भी पढ़ने-पढ़ाने की वकालत की गई थी, जिस पर व्यापक प्रतिक्रियाएं आने लगीं। इन विमर्शों में विरोध के स्वर हिंदी के प्रति तो थे ही। लेकिन यदि कल्पना करें कि हिंदी के स्थान पर संस्कृत, पंजाबी, गुजराती आदि भाषा भी रखी जाती तो विरोध तो उठते ही, बेशक वह राज्य कोई और होता। यदि मंथन करें तो पाएंगे कि भाषाओं को लेकर अपनी-अपनी धारणाएं हर समाज में रही हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों में सावधानी और विवेकपूर्ण निर्णय लेना अपेक्षित होता है। तभी इस मसौदे से हिंदी शिक्षण की अनिवार्यता को हटा दिया गया। यदि व्यापक परिदृश्य में समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि भाषाएं हमारे समाज को जोड़ने में एक मजबूत सूत्र के रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं। इस सूत्र को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण पर बहुत कम सुझाव और रणनीतियां इस शिक्षा नीति में नजर आती हैं। एक बड़ा हिस्सा- 'बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षाः सीखने की बुनियाद' (ईसीसीई) पर खर्च किया गया है। गौरतलब है कि ईसीसीई को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया था। इसे भी आरटीई का हिस्सा बनाया जाए, इसको लेकर पिछले छह-सात वर्षों से विभिन्न संस्थाएं वकालत कर रही हैं। आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूल पूर्व और पूर्व प्राथमिक स्कूलों के साथ कैसे बाल्यावस्था देखभाल एवं रखरखाव को जोड़ा जाए, इस पर यह मसौदा शिद्दत से विमर्श करता है।

भाषायी विमर्श कहीं न कहीं हमें अपनी भाषा-बोली-बानी से जोड़ता है। हमें एक ऐसे बहुभाषी समाज का हिस्सा बनाता है जहां भाषाओं की छटाएं पग-पग पर सुनने, बोलने और पढ़ने को मिलती हैं। भारत की यात्रा पर निकलें तो कुछ-कुछ किलोमीटर पर भाषायी विविधताओं का दर्शन होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुभाषी समाज में जीने वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता उसके जीवन के हर क्षेत्र में देखी-सुनी जा सकती है। इस बहुभाषी समाज को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षा में बहुभाषायी दक्षता को सीखने का अवसर मिले। हालांकि कई रिपोर्ट हमें समय-समय पर ताकीद करती रही हैं कि हमारे समाज से रोज कोई न कोई भाषा-बोली खत्म हो रही है। बोलियों का लुप्त होना एक गंभीर संकेत है। यह दीगर बात है कि फिर भी हम अपनी भाषा बोली को बचाने, संरक्षण करने, सीखने-सिखाने के प्रति कोई खास गंभीर नजर नहीं आते। इसका एक प्रमाण तो यही है कि हर साल यू-डाइस, असर, पीसा, जीईएमआर आदि की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती हैं कि हमारे बच्चों में भाषायी कौशल दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। हमारे बच्चे स्कूली स्तर पर भाषा का बुनियादी कौशल भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। स्कूली बच्चों का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने, अक्षर ज्ञान, लिखने आदि कौशल में पिछड़ रहा है। भाषायी पठन, समझ और लेखन कौशल से महरूम रह जा रहे हैं। यही बच्चे जब कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो या तो भाषा-अध्ययन छोड़ देते हैं या फिर भाषा एवं साहित्य अध्ययन में रुचि नहीं लेते।

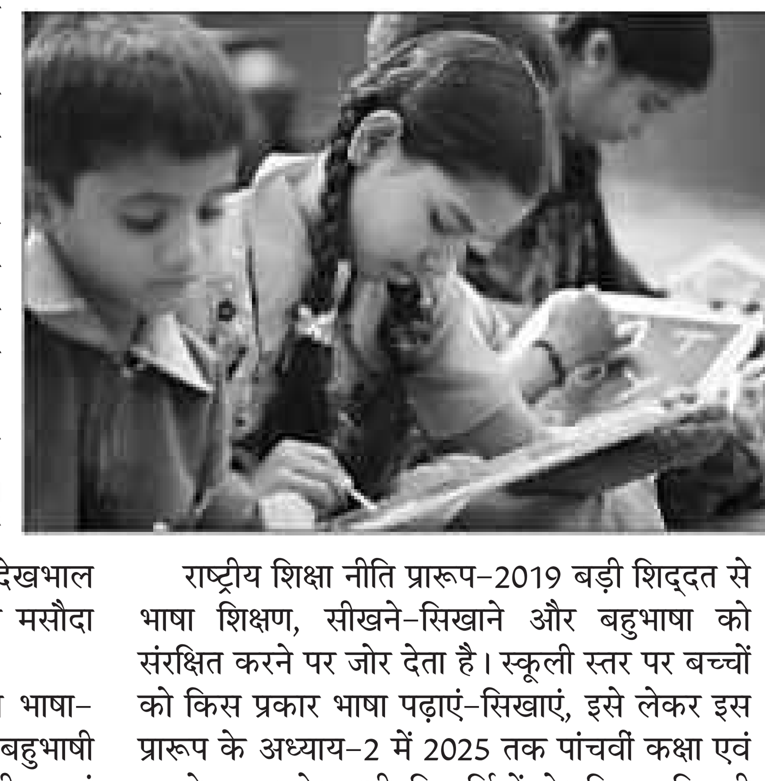

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप-2019 बड़ी शिद्दत से भाषा शिक्षण, सीखने-सिखाने और बहुभाषा को संरक्षित करने पर जोर देता है। स्कूली स्तर पर बच्चों को किस प्रकार भाषा पढ़ाएं-सिखाएं, इसे लेकर इस प्रारूप के अध्याय-2 में 2025 तक पांचवीं कक्षा एवं उससे ऊपर के सभी विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित करने की बात कही गई गई है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए बच्चों को उनकी मातृभाषा, घर की भाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा दिए जाने पर जोर है। उस अध्याय में नीति स्पष्ट करती है कि किसी भी बच्चे पर अन्य भाषा सीखने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, बल्कि बच्चों को उनकी मातृभाषा, घर की भाषा, स्थानीय भाषा में सीखने-सिखाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस नीति का मानना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में किसी भी विषय को सहज और रुचि से जल्द सीखते हैं। बच्चों को अपनी भाषा के चुनाव के अवसर भी मिलेंगे, खासकर पांचवीं के बाद और आठवीं कक्षा में अपनी भाषा बदल सकते हैं।

इस नीति में भाषा के चुनाव में लचीलापन रखा गया है। यदि और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए जरूरी भाषायी माहौल प्रदान करने वाला प्रावधान भी है कि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में हर दिन गणित और पढ़ने के घंटे एवं चौथी व पांचवीं कक्षा के लिए एक अतिरिक्त घंटा लेखन के लिए तय किया जाए। वर्ष में कई बार भाषा मेला एवं गणित मेला जैसे कार्यक्रम आयोजित हों। साप्ताहिक रूप से भाषा एवं गणित केंद्रित स्कूल सभा हो और भाषा एवं गणित संबंधी गतिविधियों के माध्यम से लेखकों और गतिणज्ञों की वर्षगांठ आदि को उत्सवों के रूप में मनाया जाए।

भाषायी सरोकार को अमलीजामा पहनाने के लिए यह दस्तावेज मानता है कि भाषा-शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दस्तावेज के अध्याय-22 में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा संकाय की स्थापना की जाएगी, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करें। ये प्रशिक्षित शिक्षक देश के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे। नई शिक्षा नीति के इस दस्तावेज के अनुसार तमाम भारतीय भाषाओं के विकास और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। पाली, फारसी व प्राकृत भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाएगी। समग्रता में समझने की कोशिश करें तो नीति के स्तर पर भाषा, बहुभाषिकता, भाषा-शिक्षा-शिक्षण आदि पर विशेष बल दिया गया है। हालांकि भाषा शिक्षण इस नीति का एक पक्ष है। इसके अलावा पेशेवर शिक्षक तैयार करना, उनकी कार्यदक्षता और बेहतर शिक्षक बनाने जैसी योजनाओं का जिक्र इसमें है। योजना, नीति आदि के स्तर पर यह दस्तावेज पहली नजर में पूर्ण नजर आता है। लेकिन स्कूलों से लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालयों तक में जिस भारी तादाद में शिक्षकों की कमी है, उस सूरत में अलग से भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं दिखता। एक ओर जब हम पूर्व के रिक्त पदों को नहीं भर पा रहे हैं, ऐसे में नए पदों को कब और कैसे भरेंगे, यह बड़ा सवाल है।

नशे की राह

दुनिया मेरे आगे

वंदना तिवारी

महानगरीय सभ्यता और संस्कृति धीरे-धीरे इतनी डरावनी और विकृत हो रही है कि मनुष्यता का दम घुट जाए। किसी भी समाज का भविष्य वहां के युवा होते हैं। आज युवाओं के बीच नशे का प्रचलन आम है। यह तब और भी दुखद हो जाता है जब इस तरह के नशे के केंद्र विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान भी पाए जाते हैं। पिछले करीब दस सालों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के आसपास शराबखाने, बीयर बार, हुक्का बार आदि की काफी दुकानें खुल चुकी हैं। यह फैशनपरस्ती का नया मुकाम है। तेज आवाज, जिसे शोर कहना ज्यादा सही होगा। कम कपड़ों को आधुनिकता मान कर नशे में झूमते शरीर और भटकते मन अक्सर इन जगहों पर दिखाई देते हैं। स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों के भीतर भविष्य के सुनहरे रंग भरे जाते हैं। लेकिन आजकल स्कूल और कॉलेज के छात्र और छात्राओं की ऐसी बड़ी तादाद है जो नशे के दलदल में फंसती जा रही है।

नशा शब्द की उत्पत्ति 'नाश' शब्द से हुई है। इस अर्थ की सापेक्षता में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कुप्रभाव कितना गहरा और भयानक होगा। नशे के प्रति युवाओं का आकर्षण सहज न होकर कई बार फैशन के रूप में सामने आता है। शुरुआत में हम नकल करते हुए किसी नशे का स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। उसमें दिलचस्पी जगने के बाद हम अक्सर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। धीरे-धीरे वह हमारी आदत में शुमार हो जाता है। संबंधों का अपनापन युवाओं में कमतर हो रहा है। तकनीकी वस्तुओं पर आधारित संवेदनाओं का आदान-प्रदान हमें मानवीय नहीं, मशीनी जीवन में परिवर्तित कर देता है।

संवेदनाएं और उनकी अभिव्यक्ति मनुष्यता और पशुता की विभाजन रेखा है। हमारे आज के युवाओं के अंदर आत्मविश्वास है, पर धैर्य नहीं। किसी भी काम में तुरंत और मनोनुकूल परिणाम की आकांक्षा ने जीवन के संघर्ष की परिभाषा बदल दी है। संबंध बनते हैं, पर टिकते नहीं, क्योंकि संबंध तो हैं, पर उनमें न संवेदना है और न समर्पण। अगर कुछ है तो सिर्फ समीकरण। इन सबका नतीजा है निजता का संकट और संवेदनात्मक असुरक्षा। इन परिस्थितियों में कभी किसी मामूली नशे की संगत में आते हैं और बाद में वही लत में तब्दील हो जाता है और धीरे-धीरे वह नशा हमें सुकून देने लगता है। नशा जीवन की मुख्यधारा से हमें विलग कर तात्कालिक रूप से भौतिक सुखों से जोड़ देता है। लेकिन उस सुख की प्रतिक्रिया बेहद नकारात्मक होती है।

पहले गांव में बड़े-बुजुर्ग के बीच हुक्के का प्रचलन था। इधर के कुछ वर्षों में फिर से हुक्के की आधुनिक शक्ल सामने आई है। इसकी जद में आए युवा हुक्के में नशीले पदार्थों को मिला कर धुएं के छल्लों में अपनी अमूल्य जिंदगी को तलाशते हैं। यह सोच और व्यवहार के बीच पसरा भ्रम ही है कि नशा मस्ती और खुशहाली के रूप में संज्ञापित होने लगा है। लेकिन सच यह है कि जीवन के संघर्षों से पलायन का नाम है नशा। यह हमें एक काल्पनिक लोक में ले जाता है जो यथार्थ से अलग होता है और मानवीय चिंताओं से दूर कर धीरे-धीरे हमारे आत्मविश्वास को निगल लेता है।

नशे में डूबते युवा वर्ग और उसके नतीजों के बेलगाम फैलाव को देखते हुए तो यही लगता है कि इसमें सरकार की मूक भागीदारी है। दरअसल, बाजार का अपना व्याकरण और समाजशास्त्र है। बाजार सिर्फ लाभ के अनुशासन को स्वीकार करता है। नशे के लिए बेची जाने वाले कई वस्तुएं बाजार के लिए काफी लाभप्रद हैं। सस्ती चीजों को आकर्षक रूप में परोस कर युवा पीढ़ी को लुभाना बाजार बेहतर तरीके से जानता है। अगर खुले शब्दों में कहें तो नशे से सबंधित चीजों का अचानक उभार युवाओं के बीच बाजार का एक प्रयोग जैसा है। लेकिन प्रश्न सिर्फ बाजार का नहीं है, हमारे सामाजिक और सरकारी उत्तरदायित्व का भी है। सरकार के न जाने कितने संस्थान और संगठन हैं, जो नशा मुक्ति के कार्यों में संलग्न हैं, लेकिन परिणाम चिंताजनक हैं। बिना सरकार की सहमति से खुलेआम नशे को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता।

हैरानी तब होती है, जब स्वयंसेवी संगठनों का रुख भी सरकारी संस्थानों जैसा होता जा रहा है। विरोध की जगह सिर्फ खानापूर्ति है। क्या सचमुच हम ऐसे समय और समाज में जी रहे हैं, जहां नैतिक मूल्यों का ह्रास ही हमारी प्रगति का परिचायक बनता जा रहा है? ऐसा लगता है कि समाज किंकर्तव्यविमूढ़ है। न कोई विरोध, न स्पंदन, न हलचल! सबके सब लगभग निर्जीव की तरह व्यवहार शून्य। क्या आने वाली पीढ़ी हमें माफ करेगी? हम उनके लिए कैसा भविष्य बुन रहे हैं? कुछ समय पहले तक नशे के सार्वजनिक प्रदर्शन से युवा परहेज करते थे, लेकिन आजकल नशा सामग्री की सहज उपलब्धता और बेलगाम उपयोग ने सामाजिक डर को खत्म कर दिया है। परिवार, समाज और सरकार की संयुक्त भागीदारी से ही हम इस संकट से युवा पीढ़ी को बचा सकते हैं।

सत्ता और समाज

राजनीति और समाज का अंतर्संबंध तेजी से बदला है। जब कभी सामाजिक आंदोलनों के विस्तार का दौर आया है, तब राजनीति अपनी विलास-सामग्री से नजर हटा कर उन आंदोलनों में शरीक हुई है। राजनीति ने सामाजिक आंदोलनों से उठने वाले सैलाब को नतमस्तक, या कहें मजबूर होकर स्वीकार किया है। यह वह दौर था जब हमारा लोकतंत्र अपनी जड़ें विकसित कर रहा था।

देश के विकासवान लोकतांत्रिक मूल्यों ने राजनीति के भीतर जनहित को स्थापित किया। राजनीति और सत्ताएं तब जनता से भय खाती थीं। इस भय के मूल विश्लेषण की तह में देखने पर एक बात तो साफ हो जाती है कि तब जनता नए-नए लोकतंत्र से मिलने वाले सम्मान और अधिकारों से खुश थी और उसे राजनीति से कुछ अपेक्षाएं व उम्मीदें थीं। जनाकांक्षाएं सत्ता और राजनीति के गलियारों में विलासितापूर्ण रवैयों को कोई अवसर नहीं दे रही थीं। मठाधीशों को यह सब रास नहीं आ रहा था लेकिन देश के तमाम ताकतों के बीच खेलने के आदी नेता सत्ता से बाहर भी नहीं रहना चाहते थे।

वर्तमान राजनीति ने अपना स्वरूप बदला है। टेक्नोलॉजी और सूचना तंत्र का जितना इस्तेमाल देश के नागरिकों को अपनी जागरूकता बनाए रखने के लिए करना जरूरी था, उससे कहीं अधिक इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों ने अपना एजेंडा जमाने में किया। चुनावों में अब पार्टियों को जनता के भीतर भरे उस गुबार को जान पाना कठिन नहीं रह गया, जिसके चलते कई बार मजबूत सरकारों की नींवें तक भरभराकर गिर पड़ीं। अब सूचना-तंत्र के कई मंच विकसित हुए हैं जिनसे हर नागरिक समान रूप से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया आदि पर जनभावनाओं का अंबार लगा हुआ है। सरकार की अच्छी नीतियों से लेकर गलत निर्णयों तक पर जनता की प्रतिक्रियाएं आसानी से मिल जाती हैं। मीडिया के इस्तेमाल से लैस पार्टियां व सरकारें इन प्रतिक्रियाओं को अपनी अदृश्य उपस्थिति के साथ आकलित करती रहती हैं। इस तरह इन मंचों पर व्यक्त जनाकांक्षाएं व जनाक्रोश से सत्ताएं 'फीडबैक' लेने का कार्य करती हैं और यहीं से राजनीति जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जाति, धर्म आदि गुटबंदियों को लेकर जनभावना क्या है, इसका सर्वे करने का काम पार्टी मुख्यालयों से होना शुरू होता है। तमाम तरह के अपराधों में सजा का क्या प्रावधान हो इस बारे में जनता का अधिकांश हिस्सा जिस आक्रोशित बिंदु पर जाकर रुकता है, सरकारें उसकी हिमायती बनने लगती हैं। यह करना उनके लिए आसान होता है।

जनभावनाओं पर इस तरह न्योछावर सरकारों की तारीफें जरूर हो सकती हैं पर यह देखना भी बहुत जरूरी है कि क्या ये सत्ताएं सभी मुद्दों पर यही तरीका अपनाती हैं या फिर चुनिंदा मुद्दों पर। जब इस बिंदु पर गहराई से विचार किया जाता है तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकारें यहां पर चुनिंदा नजरिये से ही कार्य करती हैं। इससे फायदा यह हुआ है कि अब सामाजिक आंदोलनों का दबाव सरकारों पर कम पड़ता है। अब सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग सामाजिक आंदोलनों के वक्त उन्मादी व अराजक मुद्दों पर जनभावनाओं को भड़काने लगते हैं। अब जब भी कोई मुद्दा जनभागीदारी से उठता है तो उसमें पार्टीगत विचारधारा के कार्यकताओं को उस अभियान में प्रतिनिधित्व के लिए भेज दिया जाता है। इससे जनता की मूल मांगें रास्ते से भटक जाती हैं और सरकारों का काम आसान हो जाता है।

● *आशीष कुमार तिवारी, अलीगढ़ विवि*

मौत के बोरवेल

हमारे देश में बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। कई साल पहले प्रिंस नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया था जिसे बचा लिया गया था मगर तब से अनेक मासूम बोरवेल में गिर कर जान गंवा चुके हैं। ताजा घटना पंजाब के संगरूर में हुई है जहां दो साल का बच्चा खेलते-खेलते बोरवेल में जा गिरा। चार दिन तक प्रशासन उसे बचाने में जुटा रहा लेकिन अंत में विफलता हाथ लगी। इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर बोरवल खुले छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करके ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है?

● *बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

त्वरित न्याय

दुष्कर्म के मामलों में अव्वल रहने वाला मध्यप्रदेश अब दुष्कर्म पीड़िताओं को त्वरित न्याय दिलाने में आगे दिखाई दे रहा है। प्रदेश में पिछले साल दुष्कर्म के चौदह मामलों में जिला न्यायालयों ने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई थी। मंदसौर में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में पुलिस ने वारदात के 42वें दिन चालान पेश कर दिया और अदालत ने 15 दिन के भीतर सजा सुना दी। जब मध्यप्रदेश में के तीन माह भीतर चौदह मामलों में दुष्कर्मियों को सजा सुनाई जा सकती है, तो अन्य राज्यों में ऐसा संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? कटनी में तो इसी तरह के मामले में तेरह दिन के अंदर सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करके आठ दिन के भीतर चालान पेश कर दिया गया और अदालत ने लगातार पांच दिन सुनवाई करके पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाकर इतिहास रचने का काम किया था। इसलिए सरकार को समझ लेना चाहिए कि यौन हिंसा तभी रुकेगी जब क्रूरता का माकूल जवाब दिया जाएगा।

● *रितेश कुमार उपाध्याय, संत कबीर नगर*

प्यार के दुश्मन

किशोरावस्था में विपरीत-लिंग के प्रति आकर्षण सामान्य व्यवहार है। अक्सर किशोर इसे प्रेम समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे आकर्षण को कुछ युवक सच्चा प्रेम मानकर युवतियों से भी उसी प्रकार के प्रेम की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करने लगते हैं और अपना प्रस्ताव रख देते हैं। ज्यादातर मामलों में लड़कियां प्रस्ताव ठुकरा देती हैं। यह स्वाभाविक भी है। प्रेम इकतरफा नहीं बल्कि दोनों ओर से अभिव्यक्त होने वाली भावना है। इस तथ्य को न समझने वाले ज्यादातर लड़के अपना प्रस्ताव ठुकराए जाने से आहत हो जाते हैं। वे इसे अपना अपमान समझते हैं और उसका बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। नतीजतन, तेजाब डाल देने, जलाकर मारने या फिर किसी दूसरे तरीके से उस लड़की को आहत करने का फैसला कर बैठते हैं। वे इसे 'सबक सिखाना' कहते हैं।

अगर इसी का नाम प्यार है तो फिर प्रेम की परिभाषा गहरे संकट में हैं। ऐसे लोग लड़कियों को उपभोग की वस्तु समझते हैं। वे 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं' जैसी बर्बर सोच से फैसले करते हैं। ऐसे लोगों से प्रेम और प्रेमियों दोनों को ही खतरा है। ये लोग उतने ही खतरनाक हैं जितने कि 'ऑनर किलिंग' करने वाले कथित सम्मान के रक्षक!

● *मोहम्मद आसिफ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया*

नई फिल्म

- 'कबीर सिंह
- 'फंसते फंसाते

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
भारत	168 करोड़
एक्स मैन	17.15 करोड़
दे दे प्यार दे	90.35 करोड़
गॉडजिला 2	17.25 करोड़

13 जून तक की कमाई

जन्मदिन

मिथुन चक्रवर्ती	16 जून
इम्तियाज अली	16 जून
लिजा हेडेन	17 जून
नीतू चंद्रा	20 जून

मेरे पापा हैं सबसे अच्छे पापा...

आरती सक्सेना

मां की ममता का एहसास तो हर किसी को होता है लेकिन पिता का प्यार कभी खुल कर सामने नहीं आता। पिता का प्यार, कर्तव्य, फर्ज और सीख के चलते कहीं दब कर रह जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मां जीवन देती है तो पिता जीवन संवारता है। फादर्स डे, 16 जून, पर हमने कुछ बॉलीवुड सितारों से ये जानने की कोशिश की है कि फादर्स डे को लेकर उनका क्या कहना है? इन सितारों की नजर में उनके पापा दुनिया के नंबर वन पापा क्यों है? जानने की कोशिश की फादर्स डे स्पेशल परिचर्चा के दौरान ...

फादर्स डे

अमिताभ बच्चन

मुझे तो लोग शायद कुछ समय बाद भूल जाएं, लेकिन बाबूजी को लोग कभी नहीं भूलेंगे। वे एक महान कवि थे जिनकी कविताएं स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। बाबूजी जितने अनुभवी थे उतनी ही सादगी से जीवन जीते थे। मुझे उनकी यही बात बहुत पंसद थी। आज इतने सालों के बाद भी मैं उनकी कमी महसूस करता हूं। फादर्स डे तो एक ही दिन होता है, अपने पिता को याद करने के लिए। हमारे लिए तो हमेशा फादर्स डे है क्योंकि हम लगभग हर दिन अपने पिता को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करते हैं।

श्रद्धा कपूर

मेरे डैड ने अपने अभिनय कैरियर में सात सौ से ज्यादा फिल्में की हैं। उनकी छवि फिल्मों में विलेन की रही है बावजूद इसके वे मेरे असली हीरो हैं। फिल्मों में जो एक हीरो करता है, उसे मेरे पिता ने असल जिंदगी में कर दिखाया है। फिल्म जगत में बिना किसी सिफारिश के अपनी अलग पहचान बनाना, अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना, हम बच्चों को एक दोस्त की तरह पाल पोसकर बड़ा करना एक असल हीरो ही कर सकता है। इसलिए मैं उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट पापा मानती हूं। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूं। वे मेरी जिंदगी के स्तंभ हैं।

शाहरुख खान

मेरे वालिद काफी हैडसम थे। जब वे रास्ते पर चलते थे तो लोग उनको मुड़- मुड़ कर देखते थे। बचपन में मैं उनकी उंगली पकड़ कर जब रास्ते पर चलता था और लोगों को उनकी तरफ देखते पाता था, तो मुझे ये सब देखकर अपने वालिद पर बहुत गर्व होता था। मैं काफी छोटा था जब मैंने उन्हें खो दिया था। लेकिन उनके साथ बिताई धुंधली यादें आज भी मेरे जहन में कहीं न कहीं कैद हैं। मेरे पिता अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, उनकी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती थी। उनके लिये उनका परिवार ही सब कुछ था। अपने पिता का यही गुण मेरे अंदर भी है। मैं अपने परिवार का साथ जिंदगी भर चाहता हूं।

रणबीर कपूर

किसी ने सच ही कहा है अगर मां नरम दिल और सीधी सादी होती है तो पिता नारियल की तरह होते हैं। मेरे पिता, ऋषि कपूर, भी कुछ ऐसे ही हैं। वे भले ही ऊपर से सख्त हों लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें फिल्म 'संजू' में मेरी अदाकारी बहुत पसंद आई थी तो उन्होंने ट्वीट करके मेरी तारीफ की। तब मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए नहीं हुई कि वे मेरे पिता हैं और उन्होंने मेरी तारीफ की। बल्कि इसलिए हुई क्योंकि वे भी एक कलाकार हैं और बतौर कलाकार मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। फादर्स डे के अवसर पर मैं अपने पिता के बारे में यही कहना चाहूंगा कि वे महान हैं एक कलाकार के तौर पर भी, एक पिता के तौर पर भी और एक आलोचक के तौर पर भी।

कपिल शर्मा

मेरे डैड ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी, वो ये कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं हमेशा हसंते रहो और हसांते रहो। मैं अपने डैड को याद करता हूं तो मुझे गर्व के साथ दुख भी होता है कि वे कैसे भयानक बीमारी में भी हमेशा हंसते रहते थे। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे फादर जैसा बनने के लिए अभी मुझे बहुत सब्र और जतन करना पड़ेगा। वे इतने महान थे कि मैं उनके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं हूं। उनके जैसा महान इंसान मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक नही देखा। वे मेरे आदर्श, मेरी प्रेरणा हैं। मैं उनके जैसा अगर पचास फीसद भी बन पाया, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया।

जाह्नवी कपूर

मां के जाने के बाद मेरे पापा ही हैं, जिन्होंने मुझे मां और पिता दोनों का प्यार दिया है। फादर्स डे के अवसर पर मैं अपने पिता को अच्छी जिंदगी देने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे मेरे पापा को हमेशा खुश रखें। मैंने उनको कई बार अकेले में रोता देखा है। वे मां को बहुत याद करते हैं लिहाजा मेरी और खुशी की कोशिश रहती है कि पापा कभी दुखी न हो। मैं इतनी मेहनत भी इसलिए कर रही हूं कि पापा मुझ पर गर्व कर सकें। फादर्स डे के मौके पर मैं पापा को ढेर सारा प्यार देना चाहूंगी।

क्रिकेट के रंग

नाटिंघम में भारत-न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप मैच में बारिश का साया पड़ा, पर क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

कृष्ण की लीलाओं से बंधा समा

शशिप्रभा तिवारी

नृत्योत्सव

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। स्पीक मैके की ओर से आयोजित इस समारोह में भरतनाट्यम नृत्यांगना मालविका सरूकई ने शिरकत की। उनकी रससिक्त प्रस्तुति देखकर हर दर्शक का मन आनंदित हो गया। उनके साथ मनोहारी संगत करने वाले कलाकारों में शामिल थे, नटुवंगम पर श्रीलता, मृदंगम पर एन बालाजी, वायलिन पर श्रीलक्ष्मी वेंकटरमणी और गायन किया मुरली पाथर्सारथी ने।

भरतनाटयम नृत्यांगना मालविका सरूकई ने सात वर्ष की उम्र से नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने बारह वर्ष की उम्र में अपनी पहली प्रस्तुति अरंगेत्रम पेश की। इसके बाद वह लगातार सीखतीं रहीं और देश-विदेश में नृत्य प्रस्तुत करती रहीं। उनकी कला को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादेमी सम्मान से सम्मानित किया गया है।

इस समारोह में उन्होंने अपनी प्रस्तुति का आगाज नृत्य 'शंभू महादेव' से किया। यह संत त्यागराज की रचना 'शंभो महादेव शंकर गिरिजारमण' पर आधारित थी। यह रचना राग पंतुवराली और रूपकम ताल में निबद्ध थी। संचारी भाव से पगे नृत्य में शिव के अनेक रूपों को भंगिमाओं और हस्तकों से उन्होंने दर्शाया। गंगा अवतरण प्रसंग का चित्रण करते हुए, मृदंगम और नटुवंगम के ताल अवर्तन पर हस्त संचालन और पद संचालन के जरिए शिव की जटा और गंगा के प्रवाह को मोहक अंदाज में दिखाया। आदि शंकराचार्य रचित श्रृंगारलहरी पर आधारित उनकी अगली पेशकश थी। रचना 'श्रृंगारलहरी आश्रितजन शुभकरी' में देवी पार्वती के सौंदर्य का मनोरम वर्णन पेश किया। उनकी अगली पेशकश वरणम की तरह थी।

भक्ति श्रृंगार रस की पराकाष्ठा अगली पेशकश 'कृष्णाकर्णामृत' में दिखी। यह राग मालिका और ताल मालिका में निबद्ध थी। नायक कृष्ण के श्याम वर्ण को प्यासी गाय नदी समझती हैं, मोर श्याम मेघ समझते हैं और गोपिका उन्हें नव पल्लवयुक्त वृक्ष समझती है। इसके बाद, भी गोपिका सखी से पूछती है कि कृष्ण कौन है? इन भावों को आंगिक अभिनय, नेत्रों और चेहरे के भावों से बहुत ही मनभावन अंदाज में नृत्यांगना मालविका सरूकई ने पेश किया। कृष्ण के आगमन के दृश्य को पद्यांश 'मौलीचंद्रकभूष मरकत स्तंभ अभिराम' में गोपिका की चंचल मनोदशा को संचारी भावों के जरिए नृत्यांगना ने दर्शा कर, दर्शकों को विमुग्ध कर दिया। वहीं इस प्रस्तुति का समापन वल्लभाचार्य के मधुराष्टकम के कृछ अंशों से किया। कृष्ण के मधुर रूप 'अधरं मधुरं वदनं मधुरं' के वर्णन से समां बंध गया। वास्तव में, स्थूल से सूक्ष्म अथवा साकार से निराकार का प्रतिपादन भारतीय शास्त्रीय कलाओं की देन है। इसे मालविका सारूकई ने अपने नृत्य के जरिए वाकई साकार कर दिया। उन्होंने तिल्लाना और वंदे मातरम को अपनी प्रस्तुति में समाहित किया। तिल्लाना बाला मुरली कृष्ण की रचना थी। यह राग वृंदावनी और आदि ताल में निबद्ध थी। इसमें भरतनाट्यम की तकनीकी बारीकियों को सशक्त पद व अंग संचालन में पेश किया। वहीं, उन्होंने अंतिम प्रस्तुति वंदे मातरम में भारत देश की समृद्धि और संपन्नता की कामना की। सच, मालविका सरूकई नृत्य प्रस्तुति का साक्षी होना, अपने-आप में अद्भुत संयोग होता है, जो दिल्लीवासियों को कभी-कभी ही मिल पाता है।

जीवन

(14 जून, 1920-27 जनवरी, 1992)

खुद 'बैजू बावरा' बनाना चाहते थे भारत भूषण

गणेशनंदन तिवारी

चेहरे पर अजीब शांति, अपार करुणा, शाश्वत भलमनसाहत के साथ भारत भूषण ने कई ऐतिहासिक किरदारों को परदे पर उतारा। अक्सर उनकी आलोचना होती थी कि उनके चेहरे पर कोई भाव आते ही नहीं। बावजूद इसके भारत भूषण ने फक्कड़ कबीर हो या संगीत प्रेमी बाज बहादुर, बदले की आग में जलने वाला बावरा बैजू हो या मिर्जा गालिब सभी के साथ न्याय किया और जनता ने उन्हें खूब पसंद भी किया।

भारत भूषण के करिअर में आए उत्थान और पतन की कहानी तो हमेशा ही सुनाई जाती है कि कैसे एक के बाद एक हिट देकर खूब पैसा कमाने, मुंबई और पुणे में घर, आलीशान कारें खरीदने वाले भारत भूषण का मुफलिसी में निधन हुआ। उन्होंने सारी फिल्में अपने भाई के नाम से बनाई। उनके नाम पर कुछ नहीं था। मगर इस किस्से में कहीं भारत भूषण के संगीत, साहित्य का शौक और सिनेमा की दुनिया को दिया गया उनका योगदान हाशिए पर चला जाता है। यह बात उपेक्षित रह जाती है कि बंगले और कारें बिकने का जितना मलाल भारत भूषण को नहीं हुआ, उतना अपनी किताबें बेचने पर हुआ था।

भारत भूषण ने 'कबीर', 'सुहागरात', 'बैजू बावरा', 'बसंत बहार', 'रानी रूपमति', 'मिर्जा गालिब', 'चैतन्य महाप्रभु', 'बरसात की एक रात' जैसी कई फिल्मों में काम किया। लगातार सफलता ने उन्हें चोटी का हीरो बना दिया था। भारत भूषण अभिनीत 'बैजू बावरा' हिंदी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है, जिसका असर बाद की कई फिल्मों पर दिखाई दिया।

हमारी याद आएगी

'बैजू बावरा' को बॉलीवुड की धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। फिल्म का 'भजन ओ दुनिया के रखवाले...' मोहम्मद रफी ने गाया, नौशाद ने उसकी धुन बनाई थी और साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा था और तीनों ही मुसलमान थे। मगर 'बैजू बावरा' इसलिए भी उल्लेखनीय थी क्योंकि इस फिल्म ने भारत भूषण और मीना कुमारी को फिल्मजगत में जमा दिया था। संगीतकार नौशाद की फिल्म जगत पर पकड़ मजबूत की थी। साथ ही इस धारणा को ध्वस्त कर दिया था फिल्मों में शास्त्रीय संगीत नहीं चलता है। उस्ताद आमिर खान और डीवी पलुस्कर जैसे शास्त्रीय गायकों की जुगलबंदी 'आज गावत मन मेरो झूम के...' फिल्म का आकर्षण थी। 'बरसात' (1949) से हिंदी सिनेमा-संगीत का रुख मोड़ देने वाले वाले शंकर- जयकिशन ने 'बैजू बावरा' से प्रभावित होकर भारत भूषण की बनाई 'बंसत बहार' में अविस्मरणीय संगीत दिया। बैजू और तानसेन की जुगलबंदी से प्रभावित होकर निर्देशक एसएन त्रिपाठी ने 1957 में 'रानी रूपमति' में रूपमति और तानसेन की जुगलबंदी करवाई और शास्त्रीय संगीत की ताकत सिनेमा के जरिए सामने रखी। एक तरह से 'बैजू बावरा' का असर बाद की कई फिल्मों और उनके संगीत पर हुआ।

'बैजू बावरा' को भारत भूषण खुद बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें संगीत से भी लगाव था। लोगों ने समझाया कि क्यों संखिया (जहर) खाने पर तुले हो। हीरोइन नई और फिल्म का विषय शास्त्रीय संगीत... इसे कौन देखेगा? फाइनेंसर इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे। भारत भूषण खूब भटके। अंत में फिल्मकार विजय भट्ट के पास गए। विजय भट्ट इसमें नरगिस और दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। नरगिस साइन की जा चुकी थी। दिलीप कुमार के महंगे मेहनताने को देखते हुए उन्होंने भारत भूषण को फिल्म का हीरो बना दिया। बड़े भाई शंकरभाई भट्ट ने भी विजय भट्ट को रोकने की कोशिश की। तमाम विरोधों के बावजूद 'बैजू बावरा' बनी और उसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म ने डायमंड जुबिली (60 हफ्ते) मनाई। इसके बाद तो भारत भूषण चोटी के हीरो में शुमार किए जाने लगे थे।

निर्माता के रूप में भारत भूषण ने अपने भाई का नाम फिल्मों में दिया था। उन्होंने 'मीनार' (1954), 'बसंत बहार' (1956, जिसमें भीमसेन जोशी से गवाया) 'बरसात की रात' (1960), 'दूज का चांद' (1964) जैसी फिल्में बनाई। करिअर के आखिरी दौर में एक्स्ट्रा कलाकार का काम तक करना पड़ा।

खबर कोना

दीपिका बनेंगी रियल लाइफ से रील लाइफ में रणवीर की पत्नी

दीपिका पादुकोण रियल लाइफ से रील लाइफ में भी रणवीर सिंह की पत्नी बनने जा रही हैं। खबरों की मानें तो दीपिका फिल्म '83' में रणवीर सिंह की पत्नी की अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। यह जोड़ी कई फिल्मों में साथ दिख चुकी है लेकिन शादी के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। दीपिका 1983 वर्ल्ड कप पर आधारित फिल्म '83' में रणवीर सिंह की पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में रणवीर क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं और दीपिका उनकी पत्नी रोमी देव का किरदार निभाती दिखेंगी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर फिल्म के निर्देशक कबीर खान के साथ तस्वीरें साझा करते हुए यह जानकारी दी। रणवीर ने एक पोस्ट में लिखा, 'मेरी पत्नी से ज्यादा अच्छी तरह मेरी पत्नी का किरदार कौन निभा सकता है।' दीपिका ने लिखा, 'अगला पड़ाव ... इस सम्मान के लिए शुक्रिया कबीर खान।' फिल्म '83' कपिल देव की कप्तानी में 1983 में जीते पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप की कहानी है। फिल्म के 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होने की संभावना है।

कंगना से नहीं है प्रकाश कोवेलामुदी को शिकायत

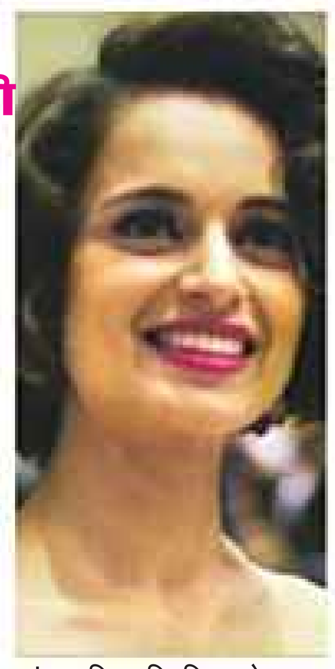

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा विवादों में रहती हैं। हालिया विवाद उनकी फिल्म 'मेंटल है क्या' को लेकर है। कंगना पर फिल्म की शूटिंग में हस्तक्षेप करने और फिल्म के दृश्यों को दोबारा फिल्माने का आरोप लगा है। हालांकि 'मेंटल है क्या' के निर्देशक प्रकाश कोवेलामुदी ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, 'कंगना एक अभिनेत्री हैं, प्रोफेशनल है और सृजनात्मक रूप से अहम हैं। कंगना और राजकुमार राव, दोनों का प्रदर्शन बेजोड़ है दोनों को निर्देशित करने में मुझे मजा आता है। मैं यह देखकर खुश हूं कि उनके किरदार कैसे बदल गए।' निर्देशक ने इस बात से इंकार किया कि फिल्म के एक हिस्से को दोबारा फिल्माया गया है। निर्देशक ने कहा, 'हमने पहले चरण की शूटिंग का समापन मुंबई में किया है, दूसरा चरण लंदन में और तीसरा एवं अंतिम एक बार फिर मुंबई में। इसका अंतिम कार्यक्रम पिछले महीने ही पूरा हुआ है। बस इतना ही। अन्य सभी अनुमान निराधार हैं।'

'बागी 3' में टाइगर और श्रद्धा के साथ दिखाई देंगे रितेश देशमुख

एक्शन ड्रामा फिल्म 'बागी 3' में इस बार टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के साथ रितेश देशमुख भी दिखाई देंगे। फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने कहा कि वह रितेश के इस फिल्म का हिस्सा बनने से काफी रोमांचित हैं। साजिद ने कहा, 'रितेश मेरी 'हाउसफुल' फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और अब वह 'बागी' शृंखला से भी जुड़ गए हैं। 'हाउसफुल' और 'हे बेबी' के बाद उनके साथ यह मेरी छठी फिल्म होगी।' उन्होंने कहा, 'हमारे बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उनके लिए 'लय भारी' (मराठी फिल्म) लिखना सुखद रहा। रितेश ने हमेशा अपनी भूमिकाएं शानदार तरीके से निभाई हैं और हम उनके इस फिल्म से जुड़ने से खुश हैं।' मालूम हो कि 'बागी' शृंखला की पहली फिल्म में श्रद्धा दिखाई दी थीं जबकि 2018 में आए इसके सीक्वल में दिशा पटनी दिखाई दी थीं।

'द स्काई इज पिंक' की शूटिंग चुनौतीपूर्ण रही : प्रियंका चोपड़ा

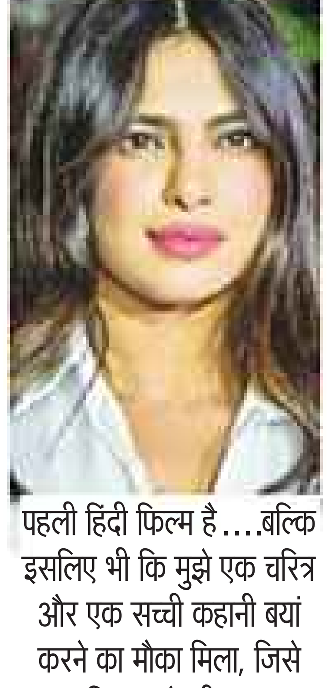

प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि फिल्म 'द स्काई इज पिंक' की शूटिंग का अनुभव बेहद चुनौतीपूर्ण और शानदार था। 2016 में हॉलीवुड का रुख करने के बाद यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है। प्रियंका ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर रखी गई पार्टी की तस्वीरें साझा की। उन्होंने कहा, ' फिल्म की शूटिंग पूरी...। यह फिल्म कई मायने में मेरे लिए खास है। केवल इसलिए नहीं कि यह सिद्धार्थ रॉय कपूर और रोनी स्क्रूवाला के साथ मेरी पहली हिंदी फिल्म है....बल्कि इसलिए भी कि मुझे एक चरित्र और एक सच्ची कहानी बयां करने का मौका मिला, जिसे बयां किए जाने की जरूरत थी।' यह फिल्म 'मोटिवेशनल स्पीकर' आयशा चौधरी के माता-पिता की प्रेम कहानी है। यह फिल्म 11 अक्तूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

‘वायु’ ने बदला रास्ता

गुजरात छोड़ ओमान की ओर बढ़ा

● रेलवे ने चक्रवात जोखिम वाले क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर 77 प्रमुख ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह और 33 अन्य प्रमुख ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से रोका।

● गुरुवार शाम हालात की समीक्षा करने के बाद रूपाणी ने कहा कि चक्रवात से अब कोई खतरा नहीं है लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों को लेकर प्रशासन अभी भी सचेत रहेगा।

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
अमदाबाद/नई दिल्ली, 13 जून।

चक्रवात ‘वायु’ ने ओमान का रुख करने से पहले भले ही गुजरात के अछूता छोड़ दिया है लेकिन राज्य के तटवर्ती इलाकों में अभी भी भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का खतरा बना हुआ है। अधिकारियों ने यहां बताया कि हालांकि ‘तूफान का केंद्र’ यहां से दूर चला गया है, लेकिन चक्रवात के बाहरी दायरे का तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव अभी भी होगा। राज्य प्रशासन तटवर्ती क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले करीब तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा चुका है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि मौसम विभाग की बुलेटिन के अनुसार, गुजरात की ओर आ रहा चक्रवात ‘वायु’ अब ओमान की ओर मुड़ गया है। लेकिन प्रशासन अगले 24 घंटे तक हाई अलर्ट पर रहेगा। तटवर्ती जिलों सौराष्ट्र और कच्छ के स्कूल एहतियात के तौर पर शुक्रवार को बंद रहेंगे।

गुरुवार शाम हालात की समीक्षा करने के बाद रूपाणी ने कहा कि चक्रवात से अब कोई खतरा नहीं है लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों को लेकर प्रशासन अभी भी सचेत रहेगा। उन्होंने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा कि मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात से अब कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह तटवर्ती क्षेत्र को छुए बगैर ओमान की ओर मुड़ गया है।

इससे पहले, भारतीय मौसम विभाग ने गुरवार को राहत भरी सूचना दी। विभाग ने बताया कि

चक्रवात वायु की आशंका को देखते हुए गुरुवार को मछलीमार नौका को सुरक्षित जगह ले जाते हुए मछुआरे।

चक्रवात ‘वायु’ ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब इसके गुजरात तट से टकराने की आशंका नहीं है जिससे व्यापक जानमाल के नुकसान का खतरा टल गया है। लेकिन इसके असर से राज्य के कई तटीय जिलों में भारी बारिश होगी। इन जगहों पर कच्चे मकानों में रह रहे तीन लाख से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने बताया कि मौसम संबंधी बदलावों व ताजा परिस्थितियों के चलते चक्रवात वायु की दिशा व तीव्रता बदल गई है और अब इसके तट से टकराने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके चलते इसका जो प्रभाव वहां होगा उसमे तेज हवाएं चलना और भारी बारिश होना शामिल है। राजीवन ने कहा कि बड़ी राहत की बात यह है कि इसने (चक्रवात वायु) थोड़ा सा पश्चिम की तरफ रुख कर लिया है जिससे यह तट से टकराकर भारी तबाही मचाने की बजाय गुजरात तट के किनारे-किनारे अरब सागर के अंदर से ही गुजरेगा। जिससे कुछ प्रभाव हो सकता है। पहले लगाए गए पूर्वानुमान में ऐसी आशंका थी कि चक्रवात 13 जून तक गुजरात के तट से टकराएगा।

इससे पहले, मौसम विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक मनोरमा मोहंती ने अहमदाबाद में कहा कि चक्रवात की दिशा मामूली सी बदल गई है। उन्होंने बताया कि अत्यंत भीषण चक्रवात ‘वायु’ सौराष्ट्र तट पर नहीं टकराएगा, लेकिन यह तट के किनारे से गुजरेगा और गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका जिलों व केंद्र शासित क्षेत्र दीव को प्रभावित करेगा।

मोहंती ने कहा कि चक्रवात का केंद्रीय हिस्सा गुजरात में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन आधा चक्रवात यानी इसकी बाहरी परिधि राज्य में प्रवेश करेगी और तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। विभाग ने कहा है कि 14 जून को उत्तरी अरब सागर और गुजरात तट पर सुबह 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चलने की आशंका है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 15 जून तक उत्तर अरब सागर और उससे सटे इलाकों तथा गुजरात तट और पूर्वी मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र तट से सटे इलाकों में समुद्र में न जाएं। गुजरात के गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारका में नुकसान की आशंका है और कार्रवाई के लिए सुझाव दिए गए हैं। रेलवे ने कहा कि पश्चिमी रेलवे ने चक्रवात जोखिम वाले क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर 77 प्रमुख ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह और 33 अन्य प्रमुख ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से रोकने का फैसला किया है। तटरक्षक बल, सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षाबल हाई अलर्ट पर हैं।

पैतृक गांव में हुआ दरवेश यादव का अंतिम संस्कार

● पश्चिमी यूपी की अदालतों में कामकाज ठप

● मुख्यमंत्री ने कहा, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन व न्यायपालिका के साथ राज्य सरकार, उच्च न्यायालय परिसर व जिला न्यायालयों के परिसर में समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध।

एटा, 13 जून (जनसत्ता/भाषा)।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की आगरा में एक समारोह के दौरान हत्या किए जाने के बाद गुरुवार को उनके पैतृक गांव चांदपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कानून मंत्री बृजेश पाठक शामिल हुए। भारी संख्या में अधिवक्ताओं, नेताओं, अधिकारियों और आम लोगों ने दरवेश यादव को श्रद्धांजलि दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या को दुखद बताते हुए बुधवार रात गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने आगरा के जिलाधिकारी को तत्काल घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रभावी विवेचना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार काउंसिल, बार एसोसिएशन व न्यायपालिका के साथ राज्य सरकार, उच्च न्यायालय परिसर व जिला न्यायालयों के परिसर में समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय परिसर में हत्या होना दुखद घटना है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाते हुए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

दरवेश यादव को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी दुखदायी और इतनी बड़ी घटना है, जिसकी कल्पना कभी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस सरकार से न्याय का भरोसा जनता नहीं कर सकती है। मैं चाहूंगा कि राज्यपाल से मिलकर यह मुद्दा उठाऊं, क्योंकि बंगाल का वे (भाजपा) मुद्दा उठा रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था बची है। बंगाल में तो वे सरकार गिराना चाहते हैं। तो यहां के राज्यपाल क्या कर रहे हैं, यहां की सरकार नहीं हटनी चाहिए क्या?

अखिलेश ने कहा कि कम से कम गवर्नर साहब इस बात को कहें कि आज उत्तर प्रदेश किनके हाथों में है और क्यों आम जनता की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतों में गुरुवार को कामकाज ठप हो गया, क्योंकि वकीलों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया।

मुजफ्फरनगर के जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष सैयद नसीर हैदर ने कहा कि वकीलों ने एक शोकसभा में घटना की निंदा की। बहिष्कार का आह्वान राज्य बार काउंसिल ने किया था। बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और शामली में न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा।

पाक ने पूर्वी सीमा से सटे हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई

लाहौर, 13 जून (भाषा)।

पाकिस्तान ने भारत से लगे अपने वायु क्षेत्र में बाहरी विमानों के प्रवेश पर पाबंदी की अवधि तीसरी बार 28 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पाकिस्तान के नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) ने नोटिस जारी किया है।

भारतीय वायुसेना के बालाकोट (पाकिस्तान) में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के शिविरों पर हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने 26 फरवरी से अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। भारत ने जम्मू-कश्मीर में पुलवामा में भारतीय सुरक्षाकर्मियों पर आतंकवादी हमले के बाद बालकोट की कार्रवाई की थी। सीएए द्वारा गुरुवार को जारी नोटिस के अनुसार, ‘भारत से लगी अपनी पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र 28 जून तक बंद रहेगा।’

पहले आतंकवाद रोके पाक, तभी होगी बात

पेज 1 का बाकी

के बीच हुई बातचीत की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी विशेष तौर पर इसके लिए सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए काम किए जाएं। वुहान सम्मेलन की तरह की अगली अनौपचारिक बातचीत भारत में करने का प्रस्ताव देते हुए मोदी ने शी को भारत आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति शी इसी साल भारत के दौरे पर आएंगे। गुरुवार की बैठक में भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव गोखले के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच बेहतर हो रहे संबंधों का ही नतीजा है कि लंबे समय से अट-के पड़े मुद्दों को सुलझा लिया गया है। इनमें बैंक ऑफ चाइना की भारत में शाखा खोलने और मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी सूची में शामिल करने के मुद्दे प्रमुख हैं। गोखले ने बताया कि इस साल भारत और चीन संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच 70 कार्यक्रम करने का भी प्रस्ताव रखा गया। इसमें 35 कार्यक्रम भारत में और 35 चीन में किए जाने का प्रस्ताव है। नरेंद्र मोदी के दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से यह उनकी पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया, ‘चीन के साथ संबंध और गहरे हो रहे हैं। एससीओ सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हुई। दोनों नेताओं ने संबंधों को और मजबूत बनाने पर बात की।’ प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘राष्ट्रपति शी के साथ बेहद सफल मुलाकात हुई। बातचीत में भारत-चीन संबंधों पर गंभीर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।’

पश्चिम बंगाल में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा

● तृणमूल कांग्रेस की ओर से बैठक में पार्टी के महासचिव और राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी गए थे।

कोलकाता, 13 जून (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने राज्य में राजनीतिक हिंसा खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ सुझाव दिए लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें पार्टी से चर्चा करने की जरूरत है।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से बैठक में पार्टी के महासचिव और राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी गए थे। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री बनर्जी ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक बुलाने के राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाया और बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर बैठक बुलाई गई।

मजूमदार ने कहा कि बैठक से साबित हो गया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने कुछ सुझाव दिए। हमने कहा कि हम इन सुझावों का पालन करने को तैयार हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के ‘मित्र’ ने कहा कि उन्हें नेतृत्व से चर्चा करने की जरूरत है। माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं।

सरकार ने ईएसआइ अंशदान को घटाकर चार फीसद किया

पेज 1 का बाकी

अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए दिसंबर, 2016 से जून, 2017 तक नियोक्ता और कर्मचारियों के विशेष पंजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया और योजना का करवेज लाभ विभिन्न चरणों में देश के सभी जिलों तक बढ़ाने का फैसला किया। कवरेज में वेतन की सीमा एक जनवरी, 2017 से 15,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह कर दी गई।

धोखाधड़ी मामले में पोंटी चड्ढा का बेटा मनप्रीत गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

पास कई सुविधाओं से युक्त एक आलीशान सोसाइटी बनाने का वादा किया था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। उन पर करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी मनप्रीत के खिलाफ कई लोगों ने शिकायतें की हैं कि 12 साल के बाद भी उन्हें घर नहीं मिले हैं।

दरअसल 2005-06 में चड्ढा परिवार गाजियाबाद में बड़ी टाउनशिप बनाने के लिए वेव सिटी नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया। ग्राहकों को बताया गया कि ये 1500 एकड़ में फैला होगा। इसमें स्कूल, स्विमिंग पुल, क्लब, अस्पताल और हेलिपैड जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह भी कहा गया कि प्लॉट का कब्जा आठ महीने में जबकि घर 18 महीने के अंदर मिल जाएगा। सैकड़ों लोगों ने इस सपनों के शहर में घर पाने के लिए करोड़ों रुपए दिए। कंपनी की तरफ से कहा गया कि सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और मास्टर प्लान भी बनकर तैयार है, लेकिन 2011 तक जब वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो लोगों ने मनप्रीत की कंपनी से जुड़े लोगों को घेरना शुरू किया।

आरोप है कि कंपनी में बाउंसर रख लिए गए जिससे लोग किसी से मिल न पाएं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक जहां वेवसिटी बननी थी वहां जानवर चरते हैं और किसान खेती कर रहे हैं। पता चला है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट सरकार से मंजूर ही नहीं हुआ है।

2012 में पोंटी चड्ढा और हरदीप चड्ढा की आपसी गोलीबारी में पिता पोंटी चड्ढा की मौत के बाद मनप्रीत चड्ढा ने कारोबार की जिम्मेदारी संभाली थी। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर स्थित एक फार्म हाउस में शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप चड्ढा के बीच गोलीबारी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े विवाद में हुई थी।

वरुणास्त्र टारपीडो की आपूर्ति के लिए भारत डायनमिक्स व नौसेना में समझौता

हैदराबाद, 13 जून (भाषा)।

भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) ने मंगलवार को भारतीय नौसेना को ज्यादा शक्तिशाली वरुणास्त्र टारपीडो की आपूर्ति के लिए 1,187.82 करोड़ रुपए के ठेके पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने एक बयान में बताया कि बीडीएल के निदेशक (तकनीकी) एनपी दिवाकर और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और क्रय प्रबंधक (मैरीटाइम एवं सिस्टम्स) निधि छिब्बर ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

कंपनी हथियारों की आपूर्ति 42 महीने में पूरी करेगी। ये हथियार डीआरडीओ के सहयोग से बीडीएल की विशाखापत्तनम संयंत्र में बनाए जाएंगे। अधिक शक्तिशाली टारपीडो या वरुणास्त्र टारपीडो में लक्ष्य को खुद ढूंढने की डिजिटल प्रणाली लगी है।

पोम्पिओ बोले, ‘मोदी है तो मुमकिन है’

पेज 1 का बाकी

पोम्पिओ इस क्षेत्र के चार महत्त्वपूर्ण देशों की यात्रा कर रहे हैं।

पोम्पिओ नई दिल्ली से कोलंबो जाएंगे, जहां वे ईस्टर के मौके पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ श्रीलंका के लोगों के प्रति अमेरिकी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद पोम्पिओ जी20 देशों के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में ओसाका जाएंगे। यात्रा के अंत में वे दक्षिण कोरिया जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के ओसाका में 28-29 जून को होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के इतर भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक में पोम्पिओ प्रस्तावित बैठक के एजंडे पर भी बात करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के लिए नई दिल्ली की अपनी यात्रा के बारे में कहा कि दोनों देशों को इतना मजबूत संबंध बनाना चाहिए, जितना कभी नहीं रहा है। पोम्पियो ने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका का भारत के साथ लंबा जुड़ाव रहा है और इस संबंध को और प्रगाढ़ करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इस व्यक्तिगत दोस्ती को औपचारिक रूप देना चाहिए, दोनों देशों के लिए एक कूटनीतिक ढांचा बनाना चाहिए। पोम्पिओ ने ‘इंडिया आइडियाज समिट ऑफ अमेरिका-इंडिया बिजनेस काउंसिल’ में भारत नीति संबंधी अपने भाषण में कहा कि कुछ ‘बड़े विचार और बड़े अवसर’ द्विपक्षीय संबंध को नए मुकाम पर ले जा सकते हैं।

पोम्पिओ ने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका रक्षा सहयोग को एक नए मुकाम पर लेकर गया है, उन्होंने हिंद-प्रशांत के लिए साझे दृष्टिकोण को मजबूत किया है और आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान के अस्वीकार्य सहयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उनके पास अपने नए समकक्ष जयशंकर के रूप में मजबूत साझेदार हैं। जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे हैं।

सभी 13 जवानों के शव मिले

पेज 1 का बाकी

निकाला है और उन्हें लाने के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। मृतकों में छह वायुसेना अधिकारी और सात एअरमैन हैं। भारतीय वायुसेना का एएन-32 विमान जिस स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां गुरुवार सुबह सर्च टीम पहुंची।

टीम को यहां किसी के भी जिंदा बचने के सबूत नहीं मिले। इसके बाद वायुसेना ने एएन-32 विमान हादसे में शहीद हुए जवानों के नाम जारी कर दिए। इनके नाम हैं- विंग कमांडर जीएम चार्ल्स, स्क्वाड्रन लीडर एच विनोद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर थापा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए तंवर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मोहंती, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एमके गर्ग, वारंट ऑफिसर केके मिश्रा, सार्जेंट अनूप कुमार, कॉरपोरल शेरिन, लीडिंग एअरक्राफ्ट मैन एसके सिंह, लीडिंग एअरक्राफ्ट मैन पंकज, नॉन कॉम्बैटेंट (ई) पुतली और नॉन कॉम्बैटेंट (सी) राजेश कुमार।

वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना तीन जून 2019 को एएन-32 (विमान) के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले वायुसेना के बहादुर जांबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और वह मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। उनकी (मृतकों की) आत्मा को शांति मिले।’ रूस निर्मित एएन-32 विमान तीन जून को असम के जोरहाट से चीन की सीमा के पास मेनचुका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जा रहा था। उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद उसका रडार से संपर्क टूट गया। विमान के लापता होने के बाद से जारी तलाशी अभियान में सफलता तब मिली, जब वायुसेना के एक हेलिकॉप्टर ने सियांग और शी-योमी जिलों की सीमा पर स्थित गाट्टे गांव के पास 12,000 फुट की ऊंचाई पर विमान का मलबा देखा था। इससे पहले, विमानों और हेलिकॉप्टरों के बेड़े तथा जमीनी बलों ने आठ दिनों तक व्यापक खोज अभियान चलाया था। बचावकर्मियों की 15 सदस्यीय एक टीम बुधवार को दुर्घटनास्थल की तरफ रवाना की गई थी, जिनमें से आठ लोग गुरुवार को दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। लीपो गांव के घने जंगलों में विमान का मलबा मिलने के बाद वायुसेना ने इसकी तस्वीर जारी की थी। दुर्गम पहाड़ी इलाके से विमान के दुर्घटनाग्रस्त स्थल की जो तस्वीर जारी की गई, उसमें मलबा बिखरा हुआ और आसपास के पेड़ जले हुए दिख रहे थे। इससे यह आशंका जताई गई थी कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने के बाद इन पेड़ों में आग लगी होगी।

वायुसेना ने तलाशी अभियान में सुखोई-30, सी130 जे सुपर हर्क्युलिस, पी8आइ विमान, ड्रोन और उपग्रह के जरिए विमान का पता लगाने की कोशिश की। इस मिशन में वायुसेना के अलावा नौसेना, सेना, खुफिया एजंसियां, आइटीबीपी और पुलिस के जवान लगाए गए थे। खोजी विमानों ने कई घंटे की इमेजिंग की फुटेज हासिल की और नौसेना के टोही विमान पी8आइ को भी अभियान में लगाए रखा।

चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या का रेकार्ड टूटा

पेज 1 का बाकी

लाई। नैनीताल के राजीव लोचन शाह का कहना है कि अशांत कश्मीर घाटी में पर्यटकों का जाना लगभग बंद हो गया है। गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ी इलाकों की सैर करने के लिए उत्तराखंड की ओर पर्यटकों का रुझान बढ़ा है। परंतु उत्तराखंड में उस हिसाब से ढांचागत सुविधाएं नहीं हैं। इस कारण पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वैसे उत्तराखंड तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का घालमेल सा हो गया है। जिस कारण चारधाम यात्रा में कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। पहले तीर्थयात्री धार्मिक भावना से चारों धामों के दर्शन करने आते थे और अब पर्यटकों ने उत्तराखंड के तीर्थाटन का स्वरूप ही बिगाड़ दिया है।

उत्तराखंड पर्यटन विभाग की नॉडल अधिकारी सीमा शर्मा का कहना है कि इस बार पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से जमकर प्रचार किया। इस कारण भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के चारधामों के कपाट खुलने की शुरुआत 7 मई को अक्षय तृतीया के दिन हो गई थी। उस दिन वैदिक विधि विधान के साथ गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। अन्य तीन धामों यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के कपाट 10 मई तक खुल गए थे। जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को खोले गए थे। 7 मई से 10 जून तक 35 दिन में तीर्थयात्रियों की तादाद 17 लाख पार कर चुकी है।

केवल 10 जून के ही दिन चारों धामों और हेमकुंड साहिब में से सबसे ज्यादा 36 हजार 27 तीर्थयात्री केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे और केदारनाथ की यात्रा शुरू होने के एक महीने बाद अब तक 5 लाख 90 हजार 200 तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं, जो अपने में एक रेकार्ड है। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में केवल 10 जून के दिन ही 24 हजार 124 तीर्थयात्रियों ने एक दिन में भगवान बद्रीश के दर्शन किए और अब तक एक महीने में 5 लाख 45 हजार 637 तीर्थयात्री बद्रीश धाम के दर्शन के लिए आ चुके हैं।

चारों धामों में अब तक सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। गंगोत्री के दर्शन के लिए 35 दिन में 2 लाख 88 हजार 751 तथा यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए 2 लाख 90 हजार 537 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 10 जून को 7 हजार 834 तथा यमुनोत्री में 5 हजार 492 तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन के लिए पहुंचे। उधर, हेमकुंड साहिब में एक जून से लेकर 10 जून तक दस दिन में 61 हजार 584 तीर्थयात्री दर्शन के लिए जा चुके हैं। 10 जून को एक दिन में 5 हजार 250 तीर्थयात्रियों ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। इस बार उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड के चारों धामों और हेमकुंड साहिब में आने वाले तीथर्यात्रियों की संख्या के आंकलन के लिए विशेषज्ञों की एक टीम तैनात कर रखी है।

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल शुरुआती 30 दिन में केदारनाथ में 4 लाख 39 हजार 473, बदरीनाथ में 4 लाख 16 हजार 697, गंगोत्री में 1 लाख 27 हजार 51 तथा यमुनोत्री में 1 लाख 27 हजार 556 तीर्थयात्री आए थे।

हारने के बाद मीसा ने सांसद निधि की योजनाएं वापस ली

पेज 1 का बाकी

खुलासा नहीं करने की शर्त पर बताया कि अचानक लिए गए फैसले के कारण वे परेशानी में पड़ गए हैं।

लगभग छह करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई थी। अब हमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई पर समय और ऊर्जा खर्च करनी होगी।

हालांकि, मीसा इस पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो सकीं। बहरहाल, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वे इस मामले में कुछ नहीं कह सकते।

वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ‘टाइगर’ ने कहा कि इससे जनता के बीच बहुत गलत संदेश जाता है। किसी विशेष क्षेत्र के लोगों ने आपके लिए वोट किया है या नहीं, इसके आधार पर भेदभाव अलोकतांत्रिक है।

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिनके वोट उसे नहीं मिले। चुनावी हार के कारण परियोजनाओं को वापस लेना उचित नहीं है। राजद की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेम चंद्र मिश्रा ने भी मीसा के इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए कहा कि एक बार परियोजना को मंजूरी मिल जाने के बाद इसे लागू किया जाना चाहिए। अनुमोदन को वापस लेना उचित नहीं।

साल 2008 के परिसीमन से अस्तित्व में आई पाटलिपुत्र लोकसभा सीट लालू परिवार के लिए हमेशा प्रतिष्ठा का मुद्दा बनी रही है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद खुद 2009 में इस सीट पर अपने पुराने विश्वासपात्र और जदयू उम्मीदवार रंजन यादव के हाथों पराजित हो गए थे।

वर्ष 2014 में लालू द्वारा अपनी बड़ी पुत्री मीसा भारती को इस सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर बगावती रुख अपनाते हुए उनके विश्वासपात्र रहे रामकृपाल यादव भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के टिकट पर उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा और मीसा को पराजित किया था।

LARSEN & TOUBRO LIMITED

MAKES A CASH OFFER OF RS. 980 PER EQUITY SHARE TO THE SHAREHOLDERS OF MINDTREE LIMITED

ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 (AS AMENDED) AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF MINDTREE LIMITED

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru - 560059, Karnataka, India.
(**Telephone:** +91-80-67064000, **Fax:** +91-80-67064100, **Website:** https://www.mindtree.com), **Corporate Identification Number:** L72200KA1999PLC025564

TENDERING PERIOD: JUNE 17, 2019 (MONDAY) TO JUNE 28, 2019 (FRIDAY)

Open offer by Larsen & Toubro Limited ("Acquirer") to acquire up to 5,13,25,371 (Five Crore Thirteen Lakh Twenty Five Thousand Three Hundred and Seventy One) Equity Shares ("Offer Shares") representing 31.00% (Thirty One Percent) of the Voting Share Capital, under the SEBI SAST Regulations, to the Shareholders of Mindtree Limited ("Target Company") at per Equity Share price of Rs. 980 (Rupees Nine Hundred and Eighty only) ("Offer")

This advertisement and corrigendum is being issued by Axis Capital Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited (**"Managers to the Offer"**), for and on behalf of the Acquirer, pursuant to and in accordance with Regulation 18(7)of the SEBI SAST Regulations in respect of the Offer (**"Offer Opening Public Announcement and Corrigendum"**).

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with:

(a) the public announcement in connection with the Offer, made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirer to NSE and BSE on March 18, 2019 (**"Public Announcement"** or **"PA"**);

(b) the detailed public statement in connection with the Offer, published on March 26, 2019 in the following newspapers: (a) Financial Express (all editions); (b) Jansatta (all editions); (c) Vishwavani (Bangalore edition); and (d) Navshakti (Mumbai edition) (**"DPS"**); and

(c) the letter of offer dated June 6, 2019 in connection with the Offer (**"Letter of Offer"** or **"LoF"**).

For the purpose of this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum:

(a) **"Identified Date"** means May 31, 2019, being the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period;

(b) **"SEBI SAST Regulations"** means the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended);

(c) **"Shareholders"** means all the shareholders of the Target Company, other than the Acquirer, parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA, pursuant to and in compliance with the SEBI SAST Regulations;

(d) **"Tendering Period"** means the following period: Monday, June 17, 2019 to Friday, June 28, 2019 (both days inclusive); and

(e) **"Voting Share Capital"*** means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period of the Offer based on publicly available data but which may change on account of any future corporate actions

* The Target Company has informed the Acquirer after the Public Announcement *vide* its letter dated March 22, 2019 that the number of outstanding units under the Mindtree Employee Restricted Stock Purchase Plan 2012 as on March 15, 2019 are 3,69,650. We understand based on publicly available information that 13,51,673 convertible instruments of the Target Company (which includes the aforementioned outstanding units under the Mindtree Employee Restricted Stock Purchase Plan 2012) are capable of being allotted during the Offer and have therefore considered the same for determining the Voting Share Capital in the Public Announcement, the DPS, the Draft Letter of Offer and the Letter of Offer. The Target Company on May 2, 2019 has disclosed to the Stock Exchanges that it has granted further 3,57,525 restricted stock units to certain identified employees on that date. Given that the calculation of Voting Share Capital in the Offer documents, on a conservative basis without knowing the intent of the Target Company to grant or withhold some grants, already takes into account all outstanding restricted stock units capable of being granted and converted in future, the grant of May 2, 2019 does not impact the calculation of Voting Share Capital in the Offer documents.

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

1. <u>**Offer Price**</u>: The Offer Price is Rs. 980 (Rupees Nine Hundred and Eighty only) per Offer Share. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 5 beginning on Page 32 of the Letter of Offer.

2. <u>**Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company**</u>: The committee of independent directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on June 12, 2019 in the same newspapers where the DPS was published. The relevant extract of the recommendation of the IDC is given below:

Chairperson of the IDC	Ms. Apurva Purohit
Members of the IDC	1. Ms. Apurva Purohit 2. Mr. Milind Shripad Sarwate 3. Mr. Bijou Kurien 4. Mr. Akshaya Bhargava
Recommendation of the IDC on the Offer, as to whether or not the Offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that, as on the date of the PA, the Offer Price of Rs. 980 offered by the Acquirer: 1. is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and 2. appears to be fair and reasonable.
Summary of reasons for the recommendation of the IDC	The IDC has perused the PA, DPS, DLoF and LoF issued on behalf of the Acquirer. The members of IDC draw attention to the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and BSE Limited ("**BSE**") as on the date of this recommendation, i.e. June 10, 2019, being Rs 975.50 per Equity Share and Rs 974.65 per Equity Share, respectively, which is lower than the Offer Price. Based on the review of the PA, DPS, DLoF, LoF, and the report dated June 7, 2019, issued by ICICI Securities Limited to the IDC in regard to the Offer Price, the IDC is of the opinion that as on the date of the Public Announcement, the Offer Price of Rs 980 offered by the Acquirer: (a) is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) appears to be fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer.
Details of independent advisors, if any, of the IDC	Khaitan & Co (Legal Advisor) ICICI Securities Limited

3. <u>**Other details of the Offer:**</u>

3.1. The Offer is being made under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations to the Shareholders of the Target Company.

3.2. The Acquirer's Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations. There was no competing offer to the Acquirer's Offer and the last date for making such competing offer has expired.The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations.

3.3. The dispatch of the Letter of Offer to all the Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by June 8, 2019.The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) from which the Shareholders can download / print the same.

4. <u>**Instructions to the Shareholders:**</u>

4.1. <u>**In case the Equity Shares are held in physical form**</u>: As per the proviso to Regulation 40(1) of the LODR Regulations (notified by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated December 3, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a Depository. Since the Tendering Period for the Offer opens only after April 1, 2019, **the Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.**

4.2. <u>**In case the Equity Shares are held in dematerialised form**</u>: Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective stock broker by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in the Letter of Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Paragraphs 7.8 and 7.9 of the Letter of Offer. **Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE or NSE which will be made available by BSE and NSE, before the closure of the Tendering Period.**

5. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on April 2, 2019 (**"Draft Letter of Offer"** or **"DLoF"**). SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/13697/1 dated May 30, 2019 (**"Observation Letter"**), issued its comments on the Draft Letter of Offer.

6. <u>**Material Updates**</u> (from the date of the Public Announcement):

6.1. There have been no material changes in relation to the Offer since the date of the Public Announcement, save as otherwise disclosed below (in Paragraph 6.2, 6.3 and 7.1), in the DPS, Draft Letter of Offer and/or the Letter of Offer.

6.2. The Acquirer on April 26, 2019 deposited an amount of Rs. 4,452 Crore (Rupees Four Thousand Four Hundred and Fifty Two Crore Only) in the Escrow Account (**"Second Deposit"**). Pursuant to the First Deposit of Rs. 578 Crore (Rupees Five Hundred and Seventy Eight Crore Only) and this Second Deposit, the Acquirer has deposited an aggregate amount of INR 5,030 Crore (Rupees Five Thousand and Thirty Crore Only) in the Escrow Account, which constitutes the Maximum Offer Consideration. The Second Deposit has been invested in an interest bearing fixed deposit and confirmed *vide* a confirmation letter dated April 30, 2019 issued by Escrow Bank.

6.3. As on June 13, 2019, the Acquirer holds 4,74,53,808 Equity Shares (representing 28.90% of the Equity Share Capital and 28.66% of the Voting Share Capital). The Acquirer has not acquired any Equity Shares from the date of the Public Announcement till the date of the Draft Letter of Offer (whether pursuant to the SPA, the Purchase Order or otherwise). Thereafter, post receipt of the Statutory Approvals and after complying with the provisions of Regulation 22(2) of the SEBI SAST Regulations (i.e. (i) depositing the Maximum Offer Consideration in the Escrow Account and (ii) expiry of 21 Working Days from the date of DPS):

(a) the Acquirer has acquired 3,27,60,229 Equity Shares (representing 19.95% of the Equity Share Capital and 19.79%* of the Voting Share Capital), pursuant to the SPA (one of the triggering transactions), on April 30, 2019, by way of a block deal on BSE;

*The figures "19.94%" and "19.78%" given in the para under the table in para 2.1.4 on page 11 of the LOF should be read as "19.95%" and "19.79%" respectively.

(b) the Acquirer has acquired an aggregate of 1,46,93,579 Equity Shares (representing 8.95% of the Equity Share Capital and 8.87% of the Voting Share Capital), pursuant to the Purchase Order (one of the triggering transactions) *via* open-market, as on June 11, 2019, details of which are set out below:

Date	No. of Equity Shares acquired by the Acquirer	Average Price per Equity Share (INR)	Total Consideration (INR)
April 30, 2019	22,474	979.91	22,022,497.34
May 02, 2019	29,167	979.72	28,575,493.24
May 03, 2019	87,875	970.96	85,323,110.00
May 06, 2019	11,59,261	979.93	1,135,994,631.73
May 07, 2019	14,66,531	979.93	1,437,097,722.83
May 08, 2019	37,58,776	979.96	3,683,450,128.96
May 09, 2019	33,05,775	980.00	3,239,659,500.00
May 14, 2019	1,168	972.00	1,135,296.00
May 16, 2019	8,86,438	979.81	868,540,816.78
May 17, 2019	13,440	979.98	13,170,931.20
May 20, 2019	73,953	979.99	72,473,200.47
May 21, 2019	71,835	979.97	70,396,144.95
May 22, 2019	1,29,063*	979.78	126,453,346.14^
May 23, 2019	4,50,687	979.91	441,632,698.17
May 24, 2019	24,99,619	980.00	2,449,626,620.00^
May 27, 2019	2,30,135	979.93	225,516,190.55
May 28, 2019	3,56,738	979.98	349,596,105.24
May 29, 2019	97,815	980.00	95,858,700.00
May 30, 2019	26,974	980.00	26,434,520.00
June 06, 2019	25,000	971.03	24,275,750.00
June 07, 2019	855	967.50	8,27,212.50

*While the disclosure made by the Acquirer pursuant to Regulation 18(6) of the SEBI SAST Regulations provides the number of Equity Shares purchased on May 22, 2019 as 1,29,065, the same has been reduced by 2 Equity Shares to 1,29,063 Equity Shares taking into account the short delivery of 2 Equity Shares out of the Equity Shares purchased on May 22, 2019 and the same has been reported to the Stock Exchanges and the Target Company on May 28, 2019.

^The total consideration amount given in the table in para 2.2.7(b) on page 16 of the LOF for May 22, 2019 and May 24, 2019 should be read as "126,453,346.14" and "2,449,626,620" instead of "126,455,305.70" and "2,449,624,660" respectively.

The disclosures for the above noted acquisitions have been made by the Acquirer to NSE and BSE and the Target Company, within the timelines prescribed, and as required, under Regulation 18(6), 29(1) and 29(2) of the SEBI SAST Regulations. SEBI has *vide* the Observation Letter provided its comments on the Draft Letter of Offer wherein it has stated for the following to be disclosed in this Letter of Offer: *"With regard to completion of transaction by way of bulk deals by the Acquirer, SEBI is examining it separately and appropriate action, if any, in this regard may be taken by SEBI against the Acquirer."*

7. <u>**Status of Statutory and Other Approvals:**</u>

7.1. As of the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer except the following approvals, which have been received:

(a) approval from the Competition Commission of India, received on April 4, 2019;

(b) approval under Section 39(1) of the 'Act against Restraints of Competition' from Bundeskartellamt in Germany, received on April 4, 2019;

(c) anti-trust approval required for the transaction in United States of America, deemed to have been received with effect from 9:29 AM (Indian standard time) on April 4, 2019 pursuant to rules for Certain Mergers and Acquisitions as applicable in the United States of America.

7.2. In the event, however, any further statutory or other approval becomes applicable prior to completion, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s) being obtained.

7.3. All Shareholders, including non-residents holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender their Equity Shares in the Offer (including without limitation, approval from the RBI) and submit copies of such approvals, along with the other documents required for accepting this Offer. In the event copies of such approvals / documents are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.

7.4. If the holders of the Equity Shares are non-residents (including non-resident Indians (NRIs), overseas corporate bodies (OCBs) and foreign portfolio investors (FPIs)) had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit copies of such previous approvals, obtained for holding the Equity Shares, in order to tender the Equity Shares held by them in this Offer, along with all the other documents required for accepting this Offer. In the event copies of such approvals / documents are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.

8. <u>**Revised Schedule of Activities**</u>: The schedule of major activities under the Offer is set out below:

Name of Activity	Original Schedule of Activities (as disclosed in the Draft Letter of Offer)	Revised Schedule of Activities
	Day and Date	**Day and Date**
Issue of Public Announcement	Monday, March 18, 2019	Monday, March 18, 2019
Publication of the DPS in newspapers	Tuesday, March 26, 2019	Tuesday, March 26, 2019
Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday, April 2, 2019	Tuesday, April 2, 2019
Last date for public announcement for competing offer(s)	Tuesday, April 16, 2019	Tuesday, April 16, 2019
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Managers to the Offer)	Thursday, April 25, 2019	Thursday, May 30, 2019*
Identified Date	Monday, April 29, 2019	Friday, May 31, 2019
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Shareholders of the Target Company	Tuesday, May 7, 2019	Saturday, June 8, 2019
Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Shareholders of the Target Company for this Offer	Friday, May 10, 2019	Thursday, June 13, 2019
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Monday, May 13, 2019	Friday, June 14, 2019
Date of publication of Offer Opening Public Announcement and Corrigendum, in the newspapers in which the DPS has been published	Monday, May 13, 2019	Friday, June 14, 2019
Date of commencement of the Tendering Period	Tuesday, May 14, 2019	Monday, June 17, 2019
Date of closure of the Tendering Period	Monday, May 27, 2019	Friday, June 28, 2019
Last date of communicating the rejection / acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Shareholders of the Target Company	Tuesday, June 11, 2019	Friday, July 12, 2019^
Last date for publication of Post-Offer public announcement in the newspapers in which the DPS has been published	Tuesday, June 18, 2019	Friday, July 19, 2019

* Actual date of receipt of SEBI's final observations on the Draft Letter of Offer.
^ The Acquirer shall complete the payment of consideration to the tendering shareholders on or before July 12, 2019.

9. ***Other Information:***

9.1. The Acquirer and its board of directors accept full responsibility for the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum, and for the Acquirer's obligations under the Offer. Except as mentioned otherwise in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum, all the information pertaining to the Target Company has been obtained from the information published and from publicly available sources and the accuracy thereof has not been independently verified by the Acquirer or Managers to the Offer.

9.2. In this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum, all references to "Rs." Or "INR" are references to the Indian Rupee.

9.3. This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in).

Issued on behalf of the Acquirer by the Managers to the Offer:

AXIS CAPITAL

Axis Capital Limited
Axis House, 1st Floor, C-2, Wadia International Center,
P. B. Marg, Worli, Mumbai 400 025
Tel: +91 22 43252183, **Fax:** +91 22 43253000
Website: www.axiscapital.co.in
Email: ml.openoffer@axiscap.in
Contact person: Ms. Mayuri Arya
SEBI Registration Number: INM000012029

citi

Citigroup Global Markets India Private Limited
1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098
Tel: +91 22 61759999; **Fax:** +91 22 61759898
Website: www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm
Email: mindtree.openoffer@citi.com
Contact person: Ms. Garima Maheshwari
SEBI Registration Number: INM000010718

Registrar to the Offer

LINK Intime

Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
Tel : + 91 22 49186200
Fax : + 91 22 49186195
Website: www.linkintime.co.in
Email: mindtree.offer@linkintime.co.in
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058

On behalf of the Acquirer

Sd/-
Authorised Signatory

Place: Mumbai
Date: June 13, 2019

Adfactors 125

अतीक अहमद पर अब सीबीआइ का शिकंजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जून।

सीबीआइ ने लखनऊ के एक कारोबारी के कथित अपहरण के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। इस मामले में कारोबारी को लखनऊ से अगवा करके देवरिया जेल ले जाया गया था जहां जेल में बंद अहमद और उनके साथियों ने कथित रूप से कारोबारी को पीटा और अपना कारोबार उन्हें हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया। सीबीआइ ने पूर्व सांसद अहमद के खिलाफ आपराधिक साजिश, फिरौती, ठगी, जालसाजी, लूट और डराने धमकाने के आरोपों के तहत एक मामला दर्ज किया है।

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः अमित एंड अमित
पता : 5 कि.मी. स्टोन, हापुड़ गढ़ी रोड, ग्राम पटना, गाजियाबाद, उ.प्र.

अमित एंड अमित (फर्म) के हमारी डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 86.50 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 36.96 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.10.2005 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
अमित अग्रवाल

अमित अग्रवाल
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः चीनू प्लास्ट
पता : एल-36, सेक्टर-1, फेज-1, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-38

चीनू प्लास्ट (फर्म) को हमारी न्यू सब्जी मंडी, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएं एफबी/एनएफबी के साथ रु. 130.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 75.00 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.12.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
कश्मीरी बब्बर
चीनू प्लास्ट

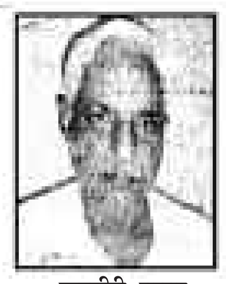

कश्मीरी बब्बर
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः क्रू बॉस प्रॉडक्ट्स लि.
पता : 624, जैना टावर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

क्रू बॉस प्रॉडक्ट्स लि. (फर्म) को हमारी एमसीयू, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएं एफबी/एनएफबी के साथ रु. 15.00 करोड़ की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 3.83 करोड़ है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 28.1.2013 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
तरुण ओबराय
क्रू बॉस प्रॉडक्ट्स लि.

तरुण ओबराय
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः हाइट्स ट्रेड प्रा.लि.
पता : ए-104, समन्वय अपार्टमेन्ट, सेक्टर-56, गुड़गाँव-122011
: 412, मार्केट के निकट, सेक्टर-40, गुड़गाँव-02

हाइट्स ट्रेड प्रा.लि. (फर्म) को हमारी साउथ सिटी, गुड़गाँव शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 0.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 102.98 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.01.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
धीरज कुमार विश्वकर्मा

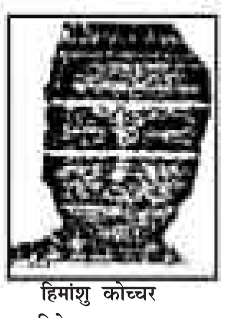

हिमांशु कोच्चर
(निदेशक/गारन्टर)

(एन.ए.)
गीतिका कोच्चर
(निदेशक/गारन्टर)

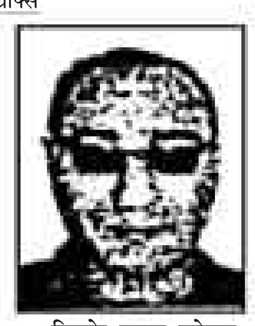

किशोर कुमार कोच्चर
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः केवी ट्रॉलीज प्रा. लि.
पता : एफ-70, सेक्टर-3, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110038

केवी ट्रॉलीज प्रा. लि. (फर्म) को हमारी न्यू सब्जी मंडी, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएं एफबी/एनएफबी के साथ रु. 113.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 80.00 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.12.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
केवी ट्रॉलीज प्रा. लि.

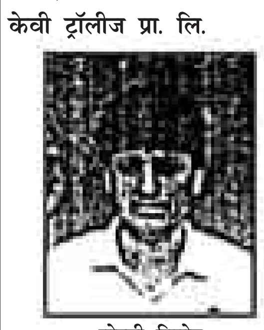

गोल्डी बिनोद
(निदेशक/गारन्टर)

(एन.ए)
बिलास बब्बर
(निदेशक/गारन्टर)

गोल्डी सोनी
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः महावीर एंड सन्स पब्लिशर्स
पता : एच.नं. 2/16, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

महावीर एंड सन्स पब्लिशर्स (फर्म) को हमारी निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 25.00 करोड़ की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 29.09 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.12.2013 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
कौशल कुमार अत्री
महावीर एंड सन्स पब्लिशर्स

कौशल कुमार अत्री
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः ओम चामुण्डाय इलेक्ट्रॉनिक्स
पता : मैन रोड, गली नं. 5, सविता पब्लिक स्कूल के निकट, वजीराबाद, नई दिल्ली

ओम चामुण्डाय इलेक्ट्रॉनिक्स (फर्म) को हमारी गाजियाबाद शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाऐं एफबी/एनएफबी के साथ रु. 40.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 51.51 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.3.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
विक्की सिंह
ओम चामुण्डाय इलेक्ट्रॉनिक्स

विक्की सिंह
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः मै. रैडिकल फूड्स लि.
पता : रैडिकल हाउस, 28, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017

मै. रैडिकल फूड्स लि. (फर्म) को हमारी एमसीयू, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाऐं एफबी/एनएफबी के साथ रु. 3000.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 3218.00 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.03.2016 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
मै. रैडिकल फूड्स लि.

अंजू चौधरी
(निदेशक/गारन्टर)

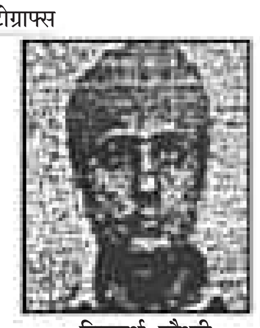

सिद्धार्थ चौधरी
(निदेशक/गारन्टर)

(हस्ता./- अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली)

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः मै. श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लि.
पता : ए-257, रोड नं. 6, एनएच-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037

मै. श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लि. (फर्म) को हमारी नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 203.78 करोड़ की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 194.18 करोड़ है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 2.11.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
मै. श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लि.

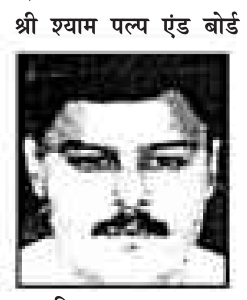

अमित कुमार गुप्ता
(निदेशक/गारन्टर)

नरेश कुमार गुप्ता
(निदेशक/गारन्टर)

(हस्ता./- अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली)

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः मै. सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लि.
पता : प्रेम सदन, 11, रोजन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

मै. सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लि. (फर्म) को हमारी ....शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 13400.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 10057.00 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 16.7.2012 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
मै. सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लि.

सोमेश कुमार जैन
(निदेशक/गारन्टर)

रोहित चौधरी
(निदेशक/गारन्टर)

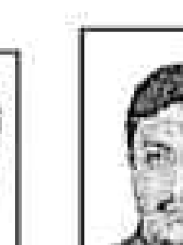

संजय जैन
(निदेशक/गारन्टर)

(हस्ता. अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली)

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स
पता : ई-186, कृष्णा मार्केट, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024
पता : सी-1, सेक्टर-26, नोएडा-201301

त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (फर्म) को हमारी नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 480.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 332.76 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 30.06.2009 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स

(एन.ए.)
संतोष कुमार राय
(निदेशक/गारन्टर)

राजीव रंजन कुमार
(निदेशक/गारन्टर)

(हस्ता./- अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली)

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः वरुण उद्योग
पता : एच. नं. 615, सेक्टर-7 बी, फरीदाबाद, हरियाणा एवं प्लॉट नं. 26-27, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बल्लभगढ़, एनआईटी, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन-121001

वरुण उद्योग (फर्म) को हमारी सेक्टर-28, फरीदाबाद शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 148.41 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 76.13 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 31.03.2007 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
वरुण उद्योग

एके मारवाहा
(निदेशक/गारन्टर)

जसबीर सिंह बूरा
(निदेशक/गारन्टर)

विक्रम मारवाहा
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता./- अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः धीरज कुमार विश्वकर्मा
पता : डी-38, पॉकेट-डी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली एवं प्लॉट नं. 279, 2रा तल, ब्लॉक-जे, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद-201001

धीरज कुमार विश्वकर्मा (फर्म) को हमारी निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली शाखा से आवास ऋण के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 37.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 40.47 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 30.6.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
धीरज कुमार विश्वकर्मा

रेखा विश्वकर्मा
(निदेशक/गारन्टर)

धीरज कुमार विश्वकर्मा
(निदेशक/गारन्टर)

(हस्ता./- अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली)

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः एमवीएल इंडस्ट्रीज लि.
पता : मीडिया हाउस, बी-861, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली-110020

एमवीएल इंडस्ट्रीज लि. (फर्म) को हमारी एफसीसी, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 3700.50 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 3258.00 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 13.04.2012 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
प्रेम अदीप रिशी
एमवीएल इंडस्ट्रीज लि.

राकेश गुप्ता
(निदेशक/गारन्टर)

प्रेम अदीप रिशी
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता./- अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विलफुल डिफॉल्टर्स का फोटोग्राफ

ऋणधारक का नामः मै. सनराइज ऑटोमोटिव लि.
पता : 80/64, गुरुद्वारा के सामने, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

सनराइज ऑटोमोटिव लि. (फर्म) को हमारी कनॉट प्लेस, नई दिल्ली शाखा से व्यवसाय के लिये सुविधाएँ एफबी/एनएफबी के साथ रु. 1269.00 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई थी। वर्तमान बकाया शेष रु. 184.00 लाख है। बैंक को बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण इस खाता को 13.12.2010 को एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा भेजी गई विभिन्न सूचनाओं/शुरू की गई कार्रवाईयों के बावजूद ऋणधारक ने बैंक की बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक द्वारा ऋणधारक फर्म/कम्पनी एवं उसके निदेशक (कों)/प्रवर्त्तक (कों)/गारन्टर (रों) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया है तथा आम जनता की जानकारी के लिये उनके नामों की सूचना क्रेडिट इन्फार्मेशन कम्पनियों को भेज दी गई है।

विलफुल डिफॉल्टर का नाम एवं फोटोग्राफ्स

प्रॉप्राईटर/पार्टनर/निदेशक/गारन्टरः
सनराइज ऑटोमोटिव लि.
सुधीर वैश्नवी

सुधीर वैश्नवी
(निदेशक/गारन्टर)

हस्ता./- अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय : ग्रीन पार्क, नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **01/03/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री मनोज कुमार गिरधर एवं श्रीमती कोमल गिरधर**, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.26,60,622/- (छब्बीस लाख साठ हजार छः सौ बाइस रूपये मात्र) अर्जित ब्याज के साथ** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 11 जून, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.26,60,622/- (छब्बीस लाख साठ हजार छः सौ बाइस रूपये मात्र) इसके अलावा 01/03/2019 से ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट सं.66, ब्लॉक-बी, सेक्टर - सिग्मा-III, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301.

तिथिः 11/06/2019
स्थानः गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पानीपत क्लस्टर
हेड कार्यालय

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत फेडरल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (यहां के बाद नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 15 जून, 2018 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार**:

1. **मैसर्स लाला खुशी राम गुप्ता चैरीटेबल सोसाइटी**, पंजीकरण सं. आरओएस-165 दिनांक 04.01.2007 के माध्यम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी जिसका पंजीकृत कार्यालय 146बी, सेक्टर-13, मेन मार्केट अर्बन एस्टेट, करनाल-132001 एवं इसका प्रतिनिधित्व कार्यालयः गैस सर्विस, सेक्टर-13, मेन मार्केट, अर्बन एस्टेट, करनाल-132001, हरियाणा, प्रतिनिधित्व इसके सचिव, **श्री नितेश गुप्ता पुत्र श्री राम मोहन गुप्ता**
2. **श्री राम मोहन पुत्र श्री खुशी राम** निवासी निवासी लघु राम खुशी राम, पखोवाल रोड क्रॉसिंग, कैनाल रोड, जवाहद्दी, लुधियाना, पंजाब
3. **श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता पत्नी श्री नितेश गुप्ता** निवासी मकान नं. 146बी, सेक्टर-13, मेन मार्केट करनाल, मकान नं. 1221 के सामने, एस्टेट करनाल-132001, हरियाणा
4. **श्री आशीष कुमार पुत्र श्री राम मोहन** निवासी मकान नं. बी-36/328, विकास नगर, वार्ड नं. 42, लुधियाना, जिला लुधियाना, पंजाब।
5. **श्रीमती सुधा गुप्ता पुत्र श्री राम मोहन**, निवासी मकान नं. बी-36/328, विकास नगर, वार्ड नं. 42, लुधियाना, जिला लुधियाना, पंजाब।
6. **श्री अनूप कुमार पुत्र श्री बनारसी दास**, निवासी मकान नं. 1046, वार्ड नं.-4, शांति नगर, दत्त रोड मोगा, पंजाब-142001
7. **श्रीमती अंचल बंसल पत्नी श्री आशीष कुमार** मकान नं. बी-36/328, विकास नगर, वार्ड नं. 42, लुधियाना, जिला लुधियाना, पंजाब।
8. **श्री नितेश गुप्ता पुत्र श्री राम मोहन गुप्ता** निवासी अभिनव गैस सर्विस सेंटर, विकास नगर, वार्ड नं. 42, लुधियाना, जिला लुधियाना, पंजाब, को सूचना में उल्लिखित राशि आपके कैश क्रेडिट खाता सं.16495500000074 के अंतर्गत 31.05.2018 को आपकी और संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग बकाया राशि रु.2,06,38,527.00 (दो करोड़ छह लाख अड़तीस हजार पांच सौ सत्ताइस रुपए), आपके प्रोपर्टी पावर (टर्म लोन टीएल1) खाता सं. 16496900000029 के अंतर्गत 31.05.2018 को आपकी और संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग बकाया राशि रु.34,73,851.00 (चौंतीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ इक्यावन रुपए) और आपके प्रोपर्टी पावर (टर्म लोन टीएल2) खाता सं 16496900000037 के अंतर्गत 31.05.2018 को आपकी और संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग बकाया राशि रु.33,03,530.90 (तैंतीस लाख तीन हजार पांच सौ तीस रुपए एवं नब्बे पैसे) अर्थात् हमारे बैंक की करनाल शाखा में 31.05.2108 को बकाया कुल राशि रु.2,74,15,908.90 (दो करोड़ चौहत्तर लाख पन्द्रह हजार नौ सौ आठ रुपए एवं नब्बे पैसे) का पुनर्भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था।

कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त नियम के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले उपर्युक्त अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत उन्हें को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **12 जून, 2019** को ले लिया है।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति (प्रतिभूत परिसम्पत्तियों) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन फेडरल बैंक लि. को आपके कैश क्रेडिट खाता सं. 16495500000074 के अंतर्गत 12.06.2019 को आपकी और संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग बकाया राशि रु. 2,39,92,586.70 (दो करोड़ उनतालीस लाख बयानबे हजार पांच सौ छियासी रुपए एवं सत्तर पैसे), आपके प्रोपर्टी पावर (टर्म लोन टीएल1) खाता सं.16496900000029 के अंतर्गत 12.06.2019 को आपकी और संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग बकाया राशि रु. 34,13,318.92 (चौंतीस लाख तेरह हजार तीन सौ अठारह रुपए एवं बयानबे पैसे) और आपके प्रोपर्टी पावर (टर्म लोन टीएल2) खाता सं.16496900000037 के अंतर्गत 12.06.2019 को आपकी और संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग बकाया राशि रु. 29,94,249.06 (उनतीस लाख चौरानबे हजार दो सौ उनचास रुपए एवं छह पैसे) अर्थात् बकाया कुल राशि रु. 3,04,00,154.68 (तीन करोड़ चार लाख एक सौ चौवन रुपए एवं अड़सठ पैसे) प्लस आगे लागत एवं अन्य प्रभार का भुगतान करने के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. गांव रम्भा, तहसील एवं जिला करनाल में सभी सम्बद्ध अधिकारों के साथ खेवट नं. 189 मिनि खतौनी नं. 264 मिनि, रेक्ट नं. 147 खसरा नं. 3/1/1 (2-4), रेक्ट नं. 138, खसरा नं. 18/1 (1-11), 22/2 (1-3), 23/2 (4-13), रेक्ट नं. 147, खसरा नं. 2/2/1 (3-6) में स्थित भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं हिस्से, परिमाप 13के 07एम, पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 7263/1 दिनांक 23.12.2008 में शामिल जो निम्नानुसार घिरी है: उत्तर में अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति, पूर्व में रोड और दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति।
2. गांव रम्भा, तहसील एवं जिला करनाल में सभी सम्बद्ध अधिकारों के साथ बुद्धा कॉलेज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में स्थित खेवट नं. 766, खतौनी नं. 1066, रेक्ट नं. 267, खसरा नं. 2/1 (33-3), रेक्ट नं. 267, खसरा नं. 2/2 (26-2), रेक्ट नं. 267, खसरा नं. 2/4 (6-14) में शामिल बेसमेंट के रूप में भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं हिस्से परिमाप 07के-02 एम, 65के-19एम का 142/1319 हिस्सा म्यूटेशन नं. 578 के साथ पठित पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 7867/1/2009 में पंजीकृत जो निम्नानुसार घिरी है: उत्तर में अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति, पूर्व में रोड और दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति।
3. गांव रम्भा नामतः बुद्धा कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, तहसील एवं जिला करनाल में सभी सम्बद्ध अधिकारों के साथ खेवट नं. 166 (नया नं. 209), खतौनी नं. 243 (नया नं. 287) रेक्ट नं. 115, खसरा नं. 25/2 (लाइला से कम), रेक्ट नं. 138, खसरा नं. 5/2 (3-12), 6/1/1(1-15), 7/1 (0-3) रेक्ट नं. 139, खसरा नं. 1/2/1 मिनि (3-2) में शामिल निर्मित भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं हिस्से परिमाप 08के-12 एम (1.075 एकड़), म्यूटेशन नं. 5916 के साथ पठित पंजीकृत गिफ्ट डीड नं. 6757/1 दिनांक 28.12.2007 में पंजीकृत जो निम्नानुसार घिरी है: उत्तर में रोड, दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति, पूर्व में रोड और दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति।

दिनांक : 12.06.2019
स्थान : करनाल

प्राधिकृत अधिकारी
दि फेडरल बैंक लि.

ओमान की खाड़ी में नार्वे के तेल टैंकर पर हमला

ओस्लो, 13 जून (एएफपी)।

नार्वे के तेल टैंकर जहाज फ्रंट अल्टेयर पर ओमान की खाड़ी में गुरुवार को हमला किया गया। घटना में तीन धमाके हुए लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। नार्वे के समुद्री प्राधिकरण ने बयान में कहा कि इसी इलाके में पोत कोकुका करेजियस को भी निशाना बनाया गया है। फ्रंट अल्टेयर एक लाख 11 हजार टन क्षमता वाला तेल टैंकर है। घटना के बाद इसमें आग लग गई और वहां पर आपातकालीन चालक दल को देखा गया। 13 जून की सुबह छह बजकर तीन मिनट पर अमीरात और ईरान के बीच फ्रंट अल्टेयर पर हमला किया गया। इस टैंकर पर मार्शल द्वीप का झंडा लगा हुआ है। घटना में तीन धमाके होने की बात कही गई है। इसके चालक दल पास से गुजर रहे एक दूसरे जहाज में सवार हो गए व कोई घायल नहीं हुआ।

तेल के दाम तीन फीसद बढ़े

लंदन, 13 जून (एएफपी)।

ओमान की खाड़ी में तेल के दो टैंकरों से जुड़ी एक घटना को लेकर विरोधाभासी खबरों के बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में तीन प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई।

कार्रवाई पर अब भी पलट सकता है पाक : अमेरिका

वाशिंगटन, 13 जून (भाषा)।

एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी समूहों के खिलाफ कुछ 'महत्त्वपूर्ण' कदम उठाए हैं लेकिन वह अब भी पलट मार सकता है।

दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विदेश मंत्रालय की विशेष अधिकारी एलिस जी वेल्स ने एशिया, प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार के लिए विदेश मामलों में सदन की उपसमिति को बताया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन तब तक अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बने रहेंगे, जब तक वे पाकिस्तान में आजादी से काम करने में सक्षम हैं।

उन्होंने अपील की कि पाकिस्तानी नेतृत्व देश में काम कर रहे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सतत कार्रवाई करे। एलिस ने एक बयान में कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा करने वाले पुलवामा आतंकवादी हमले ने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की महत्ता और तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।'

असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण पर गेंद अब अदालत के पाले में

लंदन, 13 जून (भाषा)।

विकीलीक्स मामले में मुख्य आरोपी जूलियन असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने इस संबंध में अमेरिका के अनुरोध के बाद एक आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। हालांकि अब गेंद अदालत के पाले में चली गई है जिसे असांजे के प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला करना है।

ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावेद ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के विकिलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण के अनुरोध के बाद एक आदेश पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका ने यह अनुरोध किया ताकि असांजे के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में कंप्यूटर हैकिंग के आरोप में मुकदमा चलाया जा सके।

पाकिस्तानी मूल के मंत्री ने कहा कि फैसले पर विश्लेषण अब ब्रिटेन की अदालतों को करना है कि यह मामला असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण के लिए जरूरी पैमानों पर खरा उतरता है या नहीं। जावेद ने एक समाचार चैनल से कहा कि असांजे अभी सलाखों के पीछे हैं। अमेरिका की तरफ से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया था जो शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा लेकिन बुधवार को मैंने प्रत्यर्पण आदेश पर दस्तखत कर दिये और इसे प्रमाणित किया।

जापान के प्रयास नाकाम

ईरान का अमेरिका से वार्ता से इनकार

तेहरान, 13 जून (एएफपी)।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमेनी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है जबकि अमेरिका और इस्लामी गणराज्य में तनाव को दूर करने के लिए जापान कोशिशों में लगा हुआ है।

आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित टिप्पणी में खुमेनी ने कहा कि ईरान का अमेरिका में कोई विश्वास नहीं है और किसी भी तरह से अमेरिका के साथ पूर्व में हुए वार्ता के कटु अनुभवों को दोहराना नहीं चाहेगा। खुमेनी का यह बयान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अभूतपूर्व ईरान दौरे के दौरान उनसे मुलाकात के बाद आया है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद किसी जापानी प्रधानमंत्री का यह पहला ईरान दौरा है।

मुलाकात के दौरान खुमेनी ने आबे को बताया, 'आपकी सद्भावना और गंभीरता पर हमें कोई संदेह नहीं है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपको जो भी बताया और उसके बारे में आपने जो कहा उसके संदर्भ में, मैं ट्रंप को ऐसा व्यक्ति नहीं मानता जो संदेशों के आदान-प्रदान के योग्य है।' यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब ओमान के समुद्र में दो तेल टैंकरों पर संदिग्ध हमला किया गया। इनमें से एक जहाज जापानी कंपनी का है जिससे खाड़ी में एक बार फिर तनाव बढ़ा है।

CMI LIMITED

CIN L74599DL1967PLC018031

Regd. Office: Flat No. 601-603, New Delhi House 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

Ph.: 011-49570000 | Fax No.: 011-23739902 | Website: www.cmilimited.in | Email: info@cmilimited.in

NOTICE

Notice is hereby given that the following share certificates have been lodged with the company by the transferee for transfer under SEBI circular dated 06/11/2018 i.e. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139. Any person(s) claiming/ having any interest in the said shares or any person(s) having objection to the aforesaid transfer should write/send his/her objection to the company within 30 days from the publication, after which no claim will be entertained and the company will proceed to consider the transfer on merit.

SL. NO	FOLIO NO.	CERTIFICATE NO.	SHARES	SELLER'S NAME	BUYER'S NAME	ADDRESS	REMARKS
1.	12192	20470	100	Shalani Sochi	Suman Sethi	AC-98, Shalimar Bagh, Delhi-110088	Signature Differ
2.	14430	21592	100	Pawan Kumar	Dhani Ram Sharma	DA-8, 2nd Floor, Vikas Marg Shakarpur, Delhi-110092	Signature Differ
3.	127	10717	100	Krishna Kishore Maheshwari	Jawahar Kapoor	05 Amul Park Society Bunglow Area, Kuber Nagar, Ahmedabad -382340	Signature Missing

Date: 13.06.2019
Place: New Delhi

For CMI Limited
Subodh Kr. Barnwal
(Company Secretary)

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK

(A Govt. of India Undertaking)

विशिष्ट संपत्ति रिकवरी प्रबंधक शाखा (एस ए आर एम), प्रथम तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन 011-23418746, 23418750, ई-मेल bm3102@andhrabank.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो आंध्रा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का रचनात्मक/भौतिक कब्जा आंध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जैसा है, जहां है", जैसा है जो है" और जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर मैसर्स ट्रूथ इण्डिया हाउसिंग (प्रा.) लि. तथा गारंटर/बंधककर्ता (1) श्री ज्ञान चंदा यादव (2) श्री विनोद कुमार यादव (3) श्रीमती आशा यादव (4) श्री नितेश गुप्ता एवं (5) मैसर्स ट्रूथ रोयल डेवलेपर्स से आंध्रा बैंक की बकाया राशि रु. 3,69,46,531.50 (तीन करोड़ उनहत्तर लाख छियालिस हजार पाँच सौ इकतीस एवं पचास पैसे केवल) दिनांक 31.03.2018 तक व आगे का ब्याज, लागत और शुल्क एवं अन्य प्रभार की वसूली हेतु दिनांक 29.06.2019 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य और ईएमडी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा:

क्रम सं.	संपत्ति का विवरण	रचनात्मक/ भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)
1.	प्लॉट सं. आर-11, मापक्षेत्र 1500 वर्ग मीटर आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र खशखेड़ा नजदीक करौली गांव, जिला अलवर राजस्थान में स्थित जो कि मैसर्स ट्रूथ इण्डिया हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड के नाम में है। चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट सं. आर-10, पश्चिम: 9 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट सं. आर-14, दक्षिण: 9 मीटर चौड़ी सड़क	भौतिक	रु. 1,15,00,000/- (रु. एक करोड़ पंद्रह लाख केवल)	रु. 11,50,000/- (रु. ग्यारह लाख पचास हजार केवल)
2.	दुकान सं. 147, मापक्षेत्र 301.12 वर्ग फुट पहली मंजिल श्री कृष्णा टॉवर, प्लॉट सं. सीसी-1, आरआईआईसीओ नीमराना तहसील बहरोड़, जिला अलवर राजस्थान में स्थित जो कि श्रीमती आशा यादव के नाम में है। चौहद्दी: पूर्व: सिड़ियां, पश्चिम: दुकान सं. 148, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: दुकान सं. 160.	भौतिक	रु. 10,36,000/- (रु. दस लाख छत्तीस हजार केवल)	रु. 1,03,600/- (रु. एक लाख तीन हजार छः सौ केवल)
3.	दुकान सं. 217, मापक्षेत्र 301.12 वर्ग फुट दूसरी मंजिल श्री कृष्णा टॉवर, प्लॉट सं. सीसी-1, आरआईआईसीओ नीमराना तहसील बहरोड़, जिला अलवर राजस्थान में स्थित जो कि श्रीमती आशा यादव के नाम में है। चौहद्दी: पूर्व: दुकान सं. 216, पश्चिम: दुकान सं. 218, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: दुकान सं. 223.	भौतिक	रु. 8,85,000/- (रु. आठ लाख पिच्यासी हजार केवल)	रु. 88,500/- (रु. अठासी हजार एवं पाँच सौ केवल)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.andhrabank.co.in, www.tenders.gov.in और ई-नीलामी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट यानी www.antaressystems.com/ANB में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक 13.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
आंध्रा बैंक

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK

(A Govt. of India Undertaking)

विशिष्ट संपत्ति रिकवरी प्रबंधक शाखा (एस ए आर एम), प्रथम तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23418746, 23418750, ई-मेल: bm3102@andhrabank.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो आंध्रा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का रचनात्मक/भौतिक कब्जा आंध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर मैसर्स [illegible] तथा गारंटर/बंधककर्ताओं (1) सुश्री गुरिन्दर कौर परमार (2) श्री आशा परमार और (3) श्री सुखप्रीत सिंह से आंध्रा बैंक की बकाया राशि रु. 51,03,50,465.09 [illegible] दिनांक 31.08.2018 तक व आगे का ब्याज, लागत और शुल्क एवं अन्य प्रभार की वसूली हेतु दिनांक 29.06.2019 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य और ईएमडी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा:

क्रम सं.	संपत्ति का विवरण	रचनात्मक/ भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)
1.	[illegible]	रचनात्मक	2,80,00,000/- [illegible]	28,00,000/- [illegible]
2.	[illegible]	भौतिक	9,25,00,000/- [illegible]	92,50,000/- [illegible]

[illegible]

दिनांक 13.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
आंध्रा बैंक

कैन फिन होम्स लिमिटेड

गाजियाबाद शाखा, सी-18, प्रथम तल, आरडीसी राजनगर, गाजियाबाद, यू.पी.-201001, संपर्क: 0120-4086097
मो0 7625079222 ई-मेल: GHAZIABAD@CANFINHOMES.COM, CIN-L85110KA1987PLC008699

डिमांड नोटिस

"वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण व प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सं0 54 वर्ष 2002)" की धारा 13(2) के तहत

प्रति,
1. **श्री जोगेंदर सिंह ठाकुर,** घर सं0 177, द्वितीय तल, आरपीएस कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली-110062
2. **सुश्री बरखा ठाकुर,** घर सं0 177, द्वितीय तल, आरपीएस कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली-110062
3. **सुश्री जया प्रदीप,** घर सं0 52डी, पॉकेट-I, एनआर रेड क्रॉस हॉस्पीटल, दिलशाद गार्डेन, शाहदरा, दिल्ली-110095

आप में से 1 व 2 ने आपके नं0 1 से संबंधित निम्नलिखित परिसंपत्ति की प्रतिभूति के तौर पर बंधक रख हमारी शाखा से आवास ऋण का लाभ उठाया है। कैन फिन होम्स लि0 का आपके पास **03.06.2019** को रु. **19,82,859** बकाया राशि है। इसके साथ आगे अनुबंध दर पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

बंधक रखी परिसंपत्ति का विवरण

फ्लैट नं0 एसएफ-3, माप 400 वर्गफुट, एलआईजी द्वितीय तल, आरएचएस, प्लॉट नं0 1/496 पर रियर साइड, सेक्टर-1, वसुंधरा, गाजियाबाद, यूपी 201012 चौहद्दी : पूरब- फ्लैट नं0 एसएफ-4, पश्चिम- अन्य की संपत्ति, उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- फ्लैट नं0 एसएफ-2

सरफाएसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत आप में से 1 व 2 को पंजीकृत डाक से डिमांड नोटिस प्रेषित की गई थी लेकिन वह वापस आ गई। अधोहस्ताक्षरी ने, इसलिए, उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्जदार के अंतिम ज्ञात पते पर स्थित परिसर पर नोटिस चिपका दिया है। अतः इस पेपर में प्रकाशन हो रहा है। यद्यपि आप मंजूरी की शर्तों को पालन करने में असफल रहे हैं, इसलिए एनएचबी दिशानिर्देश के अनुसार **30.04.2019** को खाते को नॉन परफार्मिंग एस्सेट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। आपसे एतद्द्वारा अपील है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त उल्लिखित राशि का **04.06.2019** से अनुबंधित दर पर ब्याज सहित भुगतान कर दें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी सरफाएसी अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूति का प्रवर्तन करने हेतु कार्यवाही करने को बाध्य होंगे। आगे कर्जदार/जमानतदार को प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के रिडीम करने को लेकर उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर से ध्यान दिलाया जाता है।

दिनांक : 13.06.2019
स्थान : गाजियाबाद

हस्ता/- प्राधिकृत पदाधिकारी
कैन फिन होम्स लिमिटेड

आन्ध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

436 एस एम एरकेड, सेक्टर-12, वसुंधरा
गजियाबाद-201012, टेली नं. 0120-2883272

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1)
(अचल संपत्ति के नियम)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आंध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर सूचना में वर्णित रु. 6,77,381.43/- (रुपए छह लाख सत्तर हजार तीन सौ इकयासी व पैसे तिरालीस केवल) राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी मैसर्स मल्टी सोल्यूशन्स इंडिया, मालिक-श्री श्याम पाल सिहं, एफएफ 20 लकी प्लाजा सेक्टर 12, गाजियाबाद, मालिक श्री श्याम पाल सिंह, फ्लैट नं. -ए/2-705, रेलकुंज, सेक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद-201012 गारंटर श्री फिरोज पांडे, म नं. 196, सेक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद-201012 को बुलाने के लिए दिनांक 02.04.2019 को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 07 जनू , 2019 को कब्जा ले लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूतित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के लिए आमंत्रित है।

विशेष रूप से ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उसपर ब्याज और ऋणी(यों) से देय राशि के लिए आंध्रा बैंक के प्रभार का विषय होगा।

अचल सपंत्तियों का विवरण

दुकान नं. एफएफ-20, प्लॉट नं. 12/व्यापारिक-4ए, सेक्टर-12, वसुंधरा, गाजियाबाद-201012 में स्थित भूमि व बिल्डिगं -व्यापारिक दुकान माप लगभग 68.78 वर्ग फुट के सहित संपत्ति के सभी भाग व पार्सल। और सीमाएं: पूर्व: पैसेज, पश्चिम: दुकान नं. एफएफ-19, उत्तर: दुकान नं.-21, दक्षिण: पैसेज

दिनांक : 07.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

सीएम व प्राधिकृत अधिकारी
आंध्रा बैंक

रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

RELIGARE

पंजीकृत कार्यालय: 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019
कॉर्पोरेट कार्यालय: 9वां तल, टावर बी, पारस ट्विन टावर्स, सेक्टर-54, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव-122002 (हरियाणा)

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचडीएफसीएल), राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में) में पंजीकृत एक हाउसिंग फाइनांस कम्पनी (यहां के बाद "आरएचडीएफसीएल" के रूप में वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.2.2019 जारी कर बाल किशोर विजयपाल तथा ममता बाल किशोर, दोनों निवासी: एच. नं. 4 ए, इन्दर गढ़ी, 5 डासना देहात, निकट एमटीएनएल टावर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201302, 662, सेक 1, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012 ("ऋणधारक") एवं (सह ऋणधारक) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1094250/- (रुपए दस लाख चौड़ानवे हजार दो सौ पचास मात्र) के साथ 18.2.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

"ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1094250/- (रुपए दस लाख चौड़ानवे हजार दो सौ पचास मात्र) तथा उस पर 18.2.2019 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज के लिये "आरएचडीएफसीएल" के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि यदि ऋणधारक बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय में सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ "आरएचडीएफसीएल" की बकायों का भुगतान कर देते हैं तो "आरएचडीएफसीएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री अथवण अंतरण नहीं की जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये "आरएचडीएफसीएल" द्वारा कोई कदम नहीं उठाई जायेगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:
सम्पत्ति की अनुसूची, अनुसूची-II

इन्दरगढ़ी ग्राम एवं परगणा-डासना, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 184 में प्लॉट एरिया माप 41.80 वर्ग मी.

चौहद्दी: पूर्व: एमटीएनएल टावर, पश्चिम: पथ वे 10 फीट चौड़ी, उत्तर: बाल किशोर का प्लॉट, दक्षिण: महेन्दर का प्लॉट।

स्थान: गाजियाबाद
तिथि: 14.06.2019

प्राधिकृत अधिकारी
मै. रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लि.

PEGASUS

55-56, वां तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई- 400021
फोन नं.: (022) 61884700, ईमेल: sys@pegasus-arc.com URL: www.pegasus-arc.com

1. मै. इन्टरनेशनल ट्रेडिंग एजेन्सी
   प्लॉट नं. 470, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009
2. मै. इन्टरनेशनल ट्रेडिंग एजेन्सी
   1935/108-109, 1ला तल, फाउन्टेन इलेक्ट्रिक मार्केट, भागिरथ प्लेस, चांदनी चौक, नई दिल्ली
3. श्री चन्दर कान्त तलवार
   पार्टनर, गारन्टर तथा मार्टगैजर, पुत्र श्री राम किशन तलवार
   प्लॉट नं. 470, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009
4. श्री मानव तलवार
   (पार्टनर एवं गारन्टर) पुत्र श्री चन्दर कान्त तलवार
   प्लॉट नं. 470, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009

प्रिय महोदय,

विषय: प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत जानकारी के लिये सूचना मै. इन्टरनेशनल ट्रेडिंग एजेन्सी की बकाया देयता के संदर्भ में निजी संधि द्वारा गिरवी सम्पत्ति की नीलामी

कृपया ध्यान रहे कि हम सरफैसी अधिनियम के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अंतर्गत ऋणधारक मै. इन्टरनेशनल ट्रेडिंग एजेन्सी की बकाया देयता की वसूली के लिये गिरवी प्रतिभूति की निजी संधि द्वारा बिक्री करने के इच्छुक हैं।

बिक्री के विवरण इस प्रकार हैं:
ऋणधारक का नाम: मै. इन्टरनेशनल ट्रेडिंग एजेन्सी
बिक्री की पद्धति: निजी संधि
बकाया देयता: 1 जून, 2016 से वसूली तक 16.75% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ 31.5.2016 को रु. 5,98,93,334/- (रुपये पांच करोड़ अन्ठानवे लाख तिरानवे हजार तीन सौ चौंतीस मात्र)
आरक्षित मूल्य: रु. 212 लाख

चूंकि अनुसूचित सम्पत्ति की बिक्री पूर्व में आयोजित ई-नीलामी द्वारा नहीं की जा सकी, अतः हमने निजी संधि द्वारा प्रस्तावित क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है। यदि आप इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो सरफैसी अधिनियम के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित क्रेता को अनुसूचित सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत शीर्षांकित खाता में ऋणधारक/ गारन्टरों के लिये 15 दिनों की सूचना है

सम्पत्ति की अनुसूची

श्री चन्द्र कान्त तलवार के स्वामित्व में आउट्रम लेन, डा. मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट नं. 470, माप 160 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित सम्पूर्ण भू तल तथा प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) में स्थित आवासीय अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है:

उत्तर: सम्पत्ति सं. 469 दक्षिण: सम्पत्ति सं. 471
पूर्व: सर्विस लेन पश्चिम: रोड

स्थान: दिल्ली
तिथि: 12.6.2019

प्राधिकृत अधिकारी
पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट ट्वेन्टी टू

एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कं. लि.

Edelweiss — Ideas create, values protect

CIN:U67100MH2007PLC174759
एडलवेईस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098

आरपीएस क्लॉथिंग एंड लिनन प्रा.लि. की अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के लिये गिरवी रखी गई)

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद "सरफैसी अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 19 मार्च, 2014 के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (यहाँ के बाद "एसाइनर बैंक" वर्णित) के ऋण को ईएआरसी ट्रस्ट एससी-30 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत) एलडवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (यहाँ के बाद "ईएआरसी" के रूप में वर्णित) को सौंप दिया गया। इसके बाद ईएआरसी एसाईनर बैंक की हैसियत से कार्य शुरू किया तथा प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। प्रतिभूत क्रेडीटर की हैसियत से ईएआरसी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) तथा उसके अंतर्गत नियमों के अधीन 20 दिसम्बर, 2018 को नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि एसाइनर बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति जिसका 20 दिसम्बर, 2018 को प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की आरपीएस क्लाथिंग एंड लिनन प्रा.लि., अभिशेक शुक्ला, उमाकान्त गर्ग तथा केके इन्ट्राडेक्स प्रा.लि. से ईएआरसी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी राशि को घटाकर उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागत/खर्चे के साथ ईएआरसी की बकाया राशि 22 मार्च, 2015 को रु. 706813058/- (रुपये सत्तर करोड़ अड़सठ लाख तेरह हजार अन्ठावन मात्र) की वसूली के लिये 17 जुलाई, 2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 5,00,00,000/- तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 50,00,000/- होगी।

नीलामी / बिक्री के लिये रखी गई अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण: प्लॉट नं. 680, पेस सिटी II, सेक्टर 37, गुड़गांव (प्लॉट एरिया- 1000 वर्ग मीटर)

चौहद्दी: उत्तर में या उस ओर: प्लॉट नं. 681, दक्षिण में या उस ओर: सम्पत्ति सं. 679, पूर्व में या उस ओर: अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में या उस ओर: 40 फीट चौड़ी सड़क

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये ईएआरसी की वेबसाईट https://www.edelweissarc.in, में दी गई लिंक कृपया देखें।

मो.नं.- 8828219649

तिथि: 14.6.2019
स्थान: मुम्बई

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

NOTICE FOR SALE OF ASSETS LML LIMITED (In Liquidation)

(A company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated March 23, 2018)
Office of the company: C-10, Site-I, Panki Industrial Area, Kanpur UP 208022, India
Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Last Date to apply: June 28, 2019
Date and Time of E-Auction: Tuesday, July 2, 2019 at 1:30 pm to 4:30 pm
(With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by LML Limited (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Basic Description of Assets and Properties for sale:

Asset/Location	Address/Area	Block No.	Reserve Price (INR)
Land & Building at Kanpur	C-10, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 67.56 acres)	1	288.00 crore
Land & Building at Kanpur	E-14, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 1174.37 sqmtr)	2	1.47 crore
Land at Kanpur	C-4, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 4202.00 sq mtr.)	3	4.56 crore
Office at Mumbai	103 to 112, Building A, Kalpita Enclave Cooperative Housing Society, Swami Nityanand Marg, Andheri East, Mumbai-400069 (Area 7338 sqft)	4	11.34 crore
Old Vehicles (Scrap) at Kanpur	Old cars (25 Nos.) (Scrap) and two wheeler (1 No.) (Scrap) (as per list) at C-10, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP	5	10.00 lakhs

The terms and conditions of E-Auction and other details of properties are uploaded at the website i.e. https://ncltauction.auctiontiger.net
Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same.
Contact person on behalf of E-Auction Agency (Auction Tiger): Mr. Tilak Maratha
Email id- tilak@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net
Mob. No.: +91 6351896834, **Ph. No.:** 079-61200 513 / 551,554 / 577,594 / 596
Contact person on behalf of Liquidator: CA. Anil Bhatia
Email id - lml.auction@gmail.com **Tel No.** 011-41066313, **Mob. No.:** +91 9899224476

Sd/-
Arun Gupta, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095
Regd. Address: A-57, Sector 36, Noida-201301, UP, India
Regd. Email: arungupta2211@gmail.com

Date: 14.06.2019
Place: New Delhi

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

नोएसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मूविंग पिक्चर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	01.06.1989
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L74899DL1989PLC036474
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	405, स्काईलार्क बिल्डिंग, 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	11 जून, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	8 दिसम्बर, 2019
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	योगेश कुमार गुप्ता IBBI/IPA-003/IP-N00078/2017-18/10701
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेल:	सी-17-बी, एलजीएफ, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 ykgupta64@yahoo.co.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	योगेश गुप्ता एंड एसोसिएट्स कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स सी-17-बी, बेसमेन्ट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 cirp.mpcil@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	25 जून, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग(गों) का नाम दें कोई नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेब लिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण: लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 11.6.2019 को मूविंग पिक्चर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा मूविंग पिक्चर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 25.6.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं-

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 12 जून, 2019
स्थान: नई दिल्ली

योगेश कुमार गुप्ता
अंतरिम प्रस्ताव कर्मी

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण खाता	ग्राहक का नाम	शुद्ध वजन (ग्राम में)	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1	16441200000806	शमशेर सिंह	14	20 एवं 21 जून, 2019 श्री सचिन शर्मा टेली नं. 9034001045/ 9034001048/ 9034001068 डीसीबी बैंक लिमिटेड, ऑरिएण्टल प्लाजा, 76-77, जी.टी. रोड, रेड लाइट क्रॉसिंग के निकट, पानीपत-132103
2	16441200001274	मूर्ति देवी	149	
3	16441200000754	मुकेश देवी	102	
4	16441200000073	विक्रम सिंह	82	
5	16441200001199	करण सिंह	73	
6	16441200001427	पवन कुमार	55	
7	16441200001328	आकाश त्यागी	43	
8	16441200000569	लवकेश	25	
9	16441200000286	जॉनी कुमार	25	
10	16441200000666	कुलदीप सिंह	27	
11	16441200001182	आकाश त्यागी	19	
12	16441200000639	नरेश कुमार	19	
13	16441200001496	संजय कुमार वाधवा	17	
14	16441200000222	संजय कुमार	14	
15	16441200000417	आकाश त्यागी	12	
16	16441200000824	मुकेश देवी	11	
17	16441200001595	जीतेन्दर	54	
18	16441200000994	सुशील पाटिल	44	
19	16442100000064	मोह. इदरिस	16	
20	16441200001236	मुकेश रानी	37	
21	16441200001069	संजिल कुमार	9	

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
तिथि: 11.06.2019
स्थान: पानीपत

प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

Bank of India
Relationships beyond banking.

नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय,
स्टार हाउस एच -2, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली 110001

विलफुल डिफॉल्टर्स, डायरेक्टर्स /गारंटर्स के लिए सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस द्वारा जनता को बड़े पैमाने पर सूचना दी जाती है कि "बैंक ऑफ इंडिया" ने निम्नलिखित व्यक्तियों को "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद किए गए हैं।

निम्नलिखित व्यक्ति ने 23.12.2011 को बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच से कैश क्रेडिट लोन लिया है और भुगतान में चूक की है।

(संजय जैन)

(राजीव जैन)

उधारकर्ता का नामः (1) श्री संजीव अग्रवाल, निवासः फ्लैट नंबर बी-310, करोल सी.जी.एच.एस., प्लॉट नंबर-39 सी, सेक्टर-6, द्वारका, दिल्ली-110045
(2) श्री राजीव जैन, निवासः आई-42, अशोक विहार-1, दिल्ली-110052
(3) श्री रोहित चौधरी पुत्र आर.एन. चौधरी, निवासः बीई-शालीमार बाग, दिल्ली-110052
(4) श्री संजय जैन, निवासः आई-42, अशोक विहार-1, दिल्ली-110052
(5) श्री राजीव जैन पुत्र एस. पी. जैन, निवासः फ्लैट नंबर 45ए, हंस अपार्टमेंट्स, सेक्टर-13, नई दिल्ली-110065
(6) श्री कमल कांत शर्मा, निवासः जेडी-78, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
(7) श्री मन मोहन गर्ग, निवासः आर-790, प्रथम तल, न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली-110060
(8) श्री अनिल जुनेजा, निवासः 948, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
खाते का नामः मैसर्स सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ऋण खाता संख्याः 601630100020223
मूल राशिः रु. 12500.00 लाख
बकाया राशिः रु. 13307.13 लाख + संविदागत ब्याज + अन्य शुल्क

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपर्युक्त व्यक्तियों को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में सूचित करने के लिए उपयुक्त संचार भेजा है। इसके तहत हम बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए विलफुल डिफॉल्टर्स की तस्वीरें प्रकाशित करते हैं।

दिनांकः 14-06-2019
स्थानः नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया

कर्ज वसूली के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं : बैंक यूनियन

मुंबई, 13 जून (भाषा)।

बैंकों के यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर्ज जमा करने में चूक करने वाली कंपनियों से वसूली के लिए कड़े नियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कर्ज की वसूली के लिए ऐसी कंपनियों के निदेशकों की निजी संपत्ति भी कुर्क करने का प्रावधान रखने की बात कही है।सीतारमण पांच जुलाई को वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं।

कोयला खदान : अडाणी समूह ने आखिरी बाधा भी पार की

मेलबर्न, 13 जून (भाषा)।

अडाणी समूह ने गुरुवार को आस्ट्रेलिया की विवादित कार्माइकल कोयला खदान परियोजना पर काम शुरू करने की अंतिम बाधा पार कर ली। क्वींसलैंड राज्य के अधिकारियों ने कंपनी की भूजल प्रबंधन योजना को मंजूर कर लिया। इस तरह कंपनी को यह आखिरी नियामकीय अनुमति भी मिल गई है। कई अरब डॉलर की अडाणी समूह की यह परियोजना लंबे समय से अटकी थी। उसे यह अंतिम अनुमति ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के बाद मिली है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन के नेतृत्व वाले कोयला समर्थक गठबंधन की जीत हुई है।

सूचकांक में मामूली गिरावट

मुंबई, 13 जून (भाषा)।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सूचकांक बृहस्पतिवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। लिवाली गतिविधियां कमजोर होने से कारोबारी धारणा कमजोर रही। कारोबारियों ने कहा कि रुपए की विनिमय दर में गिरावट व कमजोर वैश्विक धारणा का असर भी बाजार पर पड़ा।

कारोबार के दौरान एक समय में 300 अंक से अधिक गिरने के बाद सूचकांक अंत में 15.45 अंक यानी 0.04 फीसद की मामूली गिरावट के साथ 39,741.36 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 39,461.27-39,800.81 अंक के दायरे में रहा। हालांकि, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 7.85 अंक यानी 0.07 की हल्की बढ़त के साथ 11,914.05 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी नीचे में 11,817.05 व ऊंचे में

भारत के लिए गूगल के नए उत्पाद

वाशिंगटन, 13 जून (भाषा)।

गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई का कहना है कि भारतीय बाजार की विशालता ने उनकी कंपनी को इसी देश में अपने कुछ नए उत्पादों का विकास करने का मौका दिया और फिर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाया गया। पिचाई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं।

पिचाई अमेरिका-भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित 'इंडिया आइडियाज' शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजता के मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका एक मानक नियम बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

कैन फिन होम्स लि.

एससीओ- 34 एवं 35, 1ला तल, केनरा बैंक के ऊपर
सेक्टर- 10 ए, गुड़गांव फोनः 0124-2370035, 2370760

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना। आप सं. 1 से 12 तक ने आप सं. 1 से 12 के स्वामित्व की निम्न परिसम्पत्ति/यों की गिरवी की प्रतिभूति के प्रति हमारी शाखा से आवास ऋण प्राप्त की है। इस सूची के अनुसार अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 8.5.2019 एवं 1.06.2019 को केन फिन होम्स लि. के लिए आपके द्वारा निम्न राशि देय है।

मांग सूचना तिथिः 01.06.2019

क्रम सं.	ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर का नाम एवं पता	इस तिथि को 13 (2) सूचना के अनुसार मांग की गई राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण
1.	श्री मोमिन खान (ऋणधारक), पुत्र वशीर अहमद, श्रीमती शबनूर बेगम (सह-आवेदक) पत्नी मोमिन खान मकान सं. डी डी 975, डी ब्लॉक, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद-121001 श्री ललित सिंघल (गारन्टर), पुत्र श्री अशोक कुमार एच.नं. 6/409, कतरी वाड़ा, खेरी कलान (113) फरीदाबाद-121002 (हरियाणा)	रु. 2838733.00/-	फ्लैट नं. 06, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट-1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर-70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 800 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 05, पश्चिमः अन्य प्लॉट
2.	श्री ललित सिंघल (ऋणधारक), पुत्र श्री अशोक कुमार श्रीमती चांदनी सिंघल (सह-आवेदक) पत्नी ललित सिंघल एच.नं. 6/409, कतरी वाड़ा, खेरी कलान (113) फरीदाबाद-121002 (हरियाणा) श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद (गारन्टर), एच.नं. 218/1, संतनगर फरीदाबाद ओल्ड	रु. 2899399.00/-	फ्लैट नं. 05, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट-1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर-70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 06
3.	श्री विकास सिंह राणा (ऋणधारक) पुत्र जगदीश सिंह राणा, श्रीमती पूजा, पत्नी विकास सिंह राणा (सह-आवेदक) 759, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 22, फरीदाबाद-121005 श्री अमीर खान (गारन्टर) पुत्र राशिद खान, एच.नं. 14/10, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, दक्षिण दिल्ली	रु. 3100731.00/-	फ्लैट नं. 12, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट-1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर-70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः गौलरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 11
4.	श्री अमीर खान (ऋणधारक) पुत्र राशिद खान, श्रीमती मुमताज (सह-आवेदक), पत्नी-अमीरखान एच.नं. 14/10, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, दक्षिण दिल्ली (दिल्ली) श्री विकास सिंह राणा (गारन्टर), पुत्र श्री जगदीश सिंह राणा, 759, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 22, फरीदाबाद-121005	रु. 2863704.00/-	फ्लैट नं. 8, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट-1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर-70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः गौलरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 11
5.	श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद (ऋणधारक) श्रीमती जीनम (सह-आवेदक), पत्नी श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद, एच.नं. 218/1, संत नगर, खेरी कलान, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 श्री नरेश कुमार (गारन्टर), पुत्र मदन लाल एच. नं. 335, गली नं. 15, गेट नं. 2, गर्ग कॉलोनी, बल्लभगढ़-121004	रु. 2894427.00/-	फ्लैट नं. 9, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट-1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुध नगर, सेक्टर-70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल मापः 1100 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 10
6.	श्री प्रिन्स (ऋणधारक) पुत्र विनोद कुमार, श्रीमती उषा कुमार (सह-आवेदक), पुत्री विनोद कुमार सी-39, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा श्री पवन ए. अग्रवाल (गारन्टर), पुत्र अमीर चन्द अग्रवाल, सी-52 बी, गली नं. 1, दीरज नगर, फरीदाबाद, हरियाणा	रु. 2491909.00/-	फ्लैट नं.-02, भूतल, दूसरा तल मंगलम अपार्टमेंट-1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 1, पश्चिमः अन्य प्लॉट
7.	श्री अमीर चन्द अग्रवाल (ऋणधारक) पुत्र भोलाराम ठाकुरदास अग्रवाल, श्री पवन अमीरचन्द अग्रवाल (सह-आवेदक), पुत्र अमीर चन्द अग्रवाल, मकान सं. सी-52 बी, धीरज नगर, एतमादपुर, अमरनगर, फरीदाबाद-121003 श्री प्रिन्स (गारन्टर) पुत्र विनोद कुमार सी-39, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा	रु. 2692638.00/-	फ्लैट नं.-01, भूतल, मंगलम अपार्टमेंट-1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 02
8.	श्री योगेश कुमार (ऋणधारक), पुत्र नरेश कुमार सागर, श्री नरेश कुमार (सह-आवेदक), पुत्र जगदीश मकान सं. 281, ग्राम कर्तेरपुरी, गुड़गाँव (हरियाणा) श्री ईश दुदेजा (गारन्टर), पुत्र जीतेन्द्र कुमार दुदेजा, मकान सं. 5 बी, 55 एनएच 5, फरीदाबाद 121001	रु. 2905328.00/-	फ्लैट नं.-3, भूतल, मंगलम अपार्टमेंट-1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. 07, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः गैलरी, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति
9.	श्री ईश दुदेजा (ऋणधारक) पुत्र जीतेन्द्र कुमार, श्रीमती चन्द्र मोहिनी दुदेजा (सह-आवेदक) पत्नी जीतेन्द्र कुमार मकान सं. 5 बी, 55 एनएच 5, फरीदाबाद 121001 श्री हर्षित जैन (गारन्टर) पुत्र अशोक जैन, 4636/2, अग्रवाल माडर्न स्कूल, परवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121002	रु. 2967200.00/-	फ्लैट नं.-13, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेंट-1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः प्रवेश, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः सीढ़ी/एलएच साईड/ उसी का भाग, पश्चिमः फ्लैट नं. 12
10.	श्री हर्षित जैन (ऋणधारक) श्री अशोक जैन, श्रीमती गीता जैन (सह-आवेदक), पत्नी अशोक जैन, मकान सं. 7360, नया नं. 4636/2, अग्रवाल माडर्न स्कूल, परवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 श्रीमती चन्द्र मोहिनी दुदेजा (गारन्टर), पत्नी जीतेन्द्र कुमार मकान सं. 5 बी, 55 एनएच 5, फरीदाबाद 121001	रु. 2703403.00/-	फ्लैट नं.-04, भूतल, मंगलम अपार्टमेंट-1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः रोड 30' चौड़ी, दक्षिणः सीढ़ी एवं लिफ्ट, पूर्वः उसी प्लॉट का आरएचएस साईट, पश्चिमः प्रवेश/फ्लैट 1
11.	श्री कुलदीप जगलान (ऋणधारक) पुत्र ओम सिंह जगलान, श्रीमती ज्योति (सह-आवेदक), पत्नी कुलदीप जगलान, एच. नं. ए-713, वार्ड नं. 8, विवेक स्कूल के निकट, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा श्री सुनील झा (गारन्टर), पुत्र कुलानंद झा, 654, मेहला मोहल्ला, मदनपुर खादर, सरिता विहार, दक्षिण दिल्ली-110096	रु. 2547391.00/-	फ्लैट नं.-15, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेंट-1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः प्रवेश, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः सीढ़ी, पश्चिमः फ्लैट नं. 16
12.	श्री विनोद कुमार (ऋणधारक), पुत्र बच्चू सिंह, श्रीमती सोनिया (सह-आवेदक), पत्नी विनोद कुमार, मकान सं. 124, गली नं. 26, एयर फोर्स रोड के निकट, जवाहर कॉलोनी, पार्ट-II, सेक्टर-22, फरीदाबाद-121005 श्री राम कुमार (गारन्टर) पुत्र रघुवीर सिंह, एच. नं. 131, गली नं. डी, ब्लॉक डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद-121001	रु. 2516788.00/-	फ्लैट नं.-16, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेंट-1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर 70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 762 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः खुला, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः प्रवेश, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति।

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत आप सं. 1 से 12 तक को पंजीकृत मांग सूचना भेजी गई लेकिन दोनों सूचनाएं अन्सर्व्ड वापस लौट आई। अतः यह पत्र में प्रकाशन है। जैसा कि आप स्वीकृति की शर्तों का पालन करने में विफल रहे, एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाता को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 1.6.2019 से अनुबंधित दर पर उस पर ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त प्रतिभूति को प्रवर्त्तित करने के लिये सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिये बाध्य होंगे।

तिथिः 8.6.2019
स्थानः गुरुग्राम

प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि. के लिये

TECHNOFAB ENGINEERING LIMITED
Reg. Office: 913, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi 110019, India
CIN: L74210DL1971PLC005712
Tel: 91-11-26411931, 26415961
Fax: +91-11-25221521
Email: info@technofabengineering.com
Website: www.technofabengineering.com

NOTICE

Company's website at http://www.technofabengineering.com and may also be accessed on the Stock Exchange websites at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com.

For Technofab Engineering Limited

Place: Faridabad
Date : June 13, 2019

Suman Kumar Verma
Company Secretary & Compliance Officer

Punjab & Sind Bank

निविदा सूचना

www.psbindia.com

सहायक महाप्रबंधक (आईटी)

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इण्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

पंजी. एवं प्रधान कार्यालयः 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400 001
CIN No.: L66000MH1919GOI000526, आईआरडीए पंजी. सं.: 190
टेली.: 91 22 22708263; फैक्सः +91 22 22652811
ईमेलः cs.nia@newindia.co.in; वेबसाईटः www.newindia.co.in

वित्त वर्ष 2018-19 के लिये लाभांश के प्रॉसेसिंग के लिये बैंक के चयन के लिये प्रस्ताव हेतु अनुरोध के लिये ई-निविदा
(निविदा सं.: एनआईए/सीएमडी-बोर्ड/सेक्ट./2019/डिब, तिथि 14 जून, 2019)

दि न्यू इन्डिया एस्योरन्स क. लि. द्वारा वर्ष 2018-2019 के लिये लाभांश के प्रॉसेसिंग के लिये इच्छुक तथा पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से दो बोली प्रणाली में प्रस्ताव के लिये ऑन लाइन अनुरोध आमंत्रित है। इच्छुक पार्टी को ई-प्रापण पोर्टल द्वारा कोट करना होगा जिसका यूआरएल https://newindia.eproc.in है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून, 2019 के 17.30 बजे है। निविदा केवल ऑनलाइन पद्धति में ही स्वीकार की जाएगी। अधिक विवरणों के लिये हमारी वेबसाईट www.newindia.co.in देखें।

दि न्यू इन्डिया एस्योरन्स क. लि. के लिए
हस्ता./-
जयश्री नैयर
कम्पनी सचिव

तिथिः 14 जून, 2019
स्थानः मुम्बई

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

www.concorindia.com / eprocure.gov.in / www.tenderwizard.com/CCIL

कार्यकारी निदेशक/क्षत्री क्षेत्र

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (एम)-I/सिटी-एसपीजोन
निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली
निविदा आमंत्रण सूचना

सं. : ईई_एम_I_सिटी_एसपीजोन_टीसी_2019_20_04 दिनांक : 10.06.2019

क्र. सं.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्टेज	प्रारम्भ होने की तिथि	समाप्त होने का समय
1	निविदा दस्तावेज का अनुरोध करने की तिथि	19.06.2019	सायं 17:30 बजे
2	निविदा दस्तावेज का अनुरोध कब तक होगा	27.06.2019	सायं 15:00 बजे
3	निविदा दस्तावेज जारी करने की तिथि	19.06.2019	सायं 17:31 बजे
4	निविदा दस्तावेज जारी कब तक होगा	27.06.2019	सायं 15:01 बजे
5	निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय	28.06.2019	सायं 15:00 बजे
6	निविदा खुलने की तिथि	28.06.2019	सायं 15:30 बजे

ऑनलाइन टेंडरिंग टाइम टेबल के लिए कृपया http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER देखें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु स्वीकृत तथा पात्र ठेकेदारों से मोहरबन्द प्रतिशत/मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है तथा टाइम टेबल के अनुसार प्राप्त की जायेगी और 28.06.2019 को 15:30 बजे अधि. अभियन्ता (एम)-I/सिटी-एसपीजोन द्वारा www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर खोली जायेगी। केवल दिल्ली नगर निगम के पंजीकृत ठेकेदार अपनी सम्बन्धित श्रेणी में जितनी राशि हेतु पंजीकृत है उसी के लिए निविदा देने के पात्र है बशर्ते कि निविदा खरीदने के समय वे न तो ब्लैक लिस्ट हो और न ही प्रतिबन्धित हो।

www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER

आर.ओ. नं. 16/डीपीआई/2019-20

ई.ई. (एम)-I/सिटी-एसपीजोन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
केंद्रीय कार्यालयः 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारकों की 19वीं, वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार 10 जुलाई 2019, को पूर्वाह्न 10.00 बजे ... 314 टीटीके रोड, अलवारपेट, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च 2019 तक के बैंक के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ व हानि खाते तथा लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, उन्हें अनुमोदित करने व स्वीकार करने हेतु
2. पब्लिक को और अधिक शेयर जारी करने के लिए
3. कर्मचारियों को और भी शेयर जारी करने पर विचार करने के लिए

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
(आर. सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2019

नोटः-

1. यह नोटिस इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 2003 (संशोधित 2008) के विनियमन 56(i) के प्रावधानों के तहत प्रकाशित की जाती है। ... www.iob.in पर भी उपलब्ध है।
2. प्रॉक्सी फार्म / अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 4 दिन से पहले अर्थात 5 जुलाई 2019 को 5:00 बजे तक या उससे पहले जमा करना है।

...

8. कृपया नोट करें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक बार मतदान कर देने पर, शेयरधारक मतदान स्थल पर फोन पर वोट नहीं डाल सकता अथवा उसे संशोधित नहीं कर सकता, किंतु बैठक में उपस्थित हो सकता है और चर्चा में भाग ले सकता है।
9. रिमोट ई-वोटिंग एवं मतदान स्थान पर होने वाली वोटिंग के समेकित नतीजे जाँचकर्ता की रिपोर्ट सहित बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ सीडीएसएल को भी दी जाएगी।
10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता तथा अपना टेलीफोन व मोबाइल नम्बर अद्यतन कर इसकी सूचना बैंक को दें ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक उनसे संपर्क कर सके।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ, e-mail : globalem@upavp.com

पत्र सं0 : 1053/AC-3/299 दिनांक:12.06.2019

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद में पंजीकृत फर्मों से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाख में)	धरोहर धनराशि (रु. लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य 12% GST सहित (रु.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा डाउनलोड करने की तिथि	टेक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	सम्बन्धित खण्ड का नाम/वृत्त का नाम
1.	जिला चिकित्सालय बांदा में 33 के.वी. सर्किट व 630 के.वी.ए. 33/0.433 के.वी. सबस्टेशन से सम्बन्धित निर्माण कार्य।	100.00	2.00	5040.00	04 माह	17.06.2019	03.07.2019 3:30 PM	वि./यां.-इकाई ग्लोबल सेल/संयुक्त निदेशक (मध्य), लखनऊ
2.	पंचायती राज रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर बलिया में वाह्य विद्युतीकरण कार्य।	13.00	0.26	1120.00	03 माह	17.06.2019	03.07.2019 3:30 PM	- तदैव -

नियम एवं शर्तें:

1. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलाहाबाद बैंक, इन्दिरा नगर, लखनऊ के खाता सं.-50141297484 आई.एफ.एस.सी. कोड- ALLA0211142 में निविदा खुलने से एक दिन पूर्व विद्युत/यांत्रिक-इकाई के उपरोक्त खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
2. यह प्रपत्र एन.आई.सी. की वेबसाईट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेब साइट पर देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता

संगठन पर्व के जरिए 20 फीसद नए कार्यकर्ता जोड़ेगी भाजपा

सांगठनिक चुनाव होने तक शाह के पार्टी अध्यक्ष बने रहने की संभावना

अभी शिखर पर पहुंचना बाकी है : अमित शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जून

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और पार्टी अपने सांगठनिक चुनावों के लिए प्रक्रिया आरंभ करेगी। गुरुवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने 303 सीटें जीत ली हों लेकिन अभी शिखर पर पहुंचना बाकी है। वे गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बने रहने की संभावना है।

पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सांगठनिक चुनावों के लिए प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में प्रदेश इकाइयों के महासचिवों और अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि 2019 में 303 सीटें जीतने के बाद भी पार्टी अपने चुनावी प्रदर्शन के मामले में ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि जीती गई 303 में से 220 सीटों पर भाजपा ने 50 फीसद से अधिक मत प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार पुराने क्षेत्रों में अपना आधार मजबूत रखते हुए पार्टी ने विस्तार किया है, उसी प्रकार अपने परिश्रम से सदस्यता बढ़ाने का लक्ष्य भी प्राप्त करेगी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि नए क्षेत्रों और समाज के विभिन्न धड़ों के बीच आगे पार्टी के विस्तार की जरूरत है।

बैठक में फैसला हुआ कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के सदस्यता अभियान का नेतृत्व करेंगे और चार अन्य नेता उनकी मदद करेंगे। इनमें दुष्यंत गौतम, सुरेश पुजारी, अरुण चतुर्वेदी एवं शोभा सुरेंद्रन शामिल हैं। इन्हें संगठन पर्व अभियान का सह प्रमुख बनाया है। पार्टी के मुताबिक इस सदस्यता अभियान को 'संगठन पर्व' का नाम दिया गया है और चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा बाद में की जाएगी।

भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस समय भाजपा के 11 करोड़ सदस्य हैं और इसमें 20 फीसद वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के लिए विभिन्न प्रदेशों में सदस्यता प्रभारियों व व सह प्रभारियों की घोषणा बाद में होगी। बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव देश में जातिवाद, परिवारवाद एवं संप्रदायवाद के खिलाफ जनमत है और उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाति आधारित महागठबंधन का मिथक समाप्त किया है। पार्टी का उत्तर पूर्व के राज्यों में विस्तार हुआ है। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि पांच वर्षों में भाजपा के 11 करोड़ सदस्य बने हैं और 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में भाजपा आंध्र प्रदेश, केरल, ओड़ीशा और बंगाल में कैडर का विस्तार करने के लिए काम करेगी। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष आदि शामिल हुए।

नाना पर छेड़छाड़ का मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं : पुलिस

मुंबई, 13 जून (भाषा)।

मुंबई पुलिस ने एक स्थानीय अदालत को बताया कि अदाकारा तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर के खिलाफ दर्ज कराए गए छेड़खानी के मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। पिछले साल पाटेकर के खिलाफ लगाए गए तनुश्री के इस आरोप से सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी 'मी टू' मुहिम शुरू हो गई थी।

पुलिस उपायुक्त परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि उपनगरीय ओशिवारा पुलिस ने बुधवार को अंधेरी में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 'बी समरी' रिपोर्ट दाखिल की है। यह रिपोर्ट उस वक्त दाखिल की जाती है जब पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के लिए और मुकदमा चलाने का अनुरोध करने के लिए आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाती है।

पाटेकर के वकील अनिकेत निकम ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि तनुश्री के वकील नितिन सतपुते ने दावा किया है कि पुलिस ने लापरवाही से काम किया। निकम ने कहा कि मेरे मुवक्किल नाना पाटेकर के खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं। सच्चाई आखिर देर-सबेर सामने आ ही जाती है, चाहे कोई इसे कितना ही क्यों न दबाना चाहता हो। मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं और न्याय होगा। हालांकि, सतपुते ने कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनकी मुवक्किल (तनुश्री) को पुलिस से कोई आधिकारिक सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट अंतिम नहीं है। हम इसका विरोध कर सकते हैं और हमें सुनने के बाद अदालत यदि संतुष्ट होती है तो पुलिस को नए सिरे से जांच करने या आगे भी जांच करने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पाटेकर को बचाने के लिए लापरवाही से काम किया।

इराक में फंसे सात युवकों की वापसी के लिए दूतावास को निर्देश : हरसिमरत

चंडीगढ़, 13 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते सात महीने से इराक के इरबिल में फंसे पंजाब के सात युवकों की तत्काल वापसी के लिए कदम उठाने के वास्ते वहां भारतीय दूतावास को निर्देश दिए हैं। बादल ने पंजाब के जलंधर और कपूरथला जिलों से ताल्लुक रखने वाले युवकों के परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में जयशंकर से मुलाकात की।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने बयान में बताया कि इराक में महावाणिज्य दूत चंद्रमौली के. केरण भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे और उन्होंने वाणिज्य दूतावास के जरिए युवकों की सलामती के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

पाक-भारत संबंध सबसे खराब दौर में, मोदी से उम्मीद : इमरान

बिश्केक, 13 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ उनके देश के संबंध शायद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने आशा जताई कि उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी कश्मीर सहित सभी मतभेदों को हल करने के लिए अपने 'प्रचंड जनादेश' का उपयोग करेंगे। खान और मोदी दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के लिए किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हैं। बिश्केक के लिए रवाना होने से पहले रूसी समाचार एजंसी स्पुतनिक को दिए एक इंटरव्यू में खान ने कहा कि एससीओ सम्मेलन ने उन्हें दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नेतृत्व के साथ बात करने का अवसर दिया है। खान ने कहा कि एससीओ सम्मेलन ने पाकिस्तान को भारत सहित अन्य देशों के साथ अपना संबंध विकसित करने के लिए एक नया मंच दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए तैयार है और अपने सभी पड़ोसियों, खासतौर पर भारत के साथ शांति की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि तीन छोटे युद्धों ने दोनों देशों को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि वे अभी भी गरीबी के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। खान ने कहा कि मुख्य जोर शांति बहाल करने और वार्ता के जरिए मतभेदों को दूर करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा मुख्य मतभेद कश्मीर (मुद्दा) है।

हड़ताली डॉक्टरों ने नहीं मानी ममता की बात

कोलकाता, 13 जून (भाषा)।

पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने दोपहर दो बजे तक काम पर लौटने के ममता बनर्जी के निर्देश को नहीं माना और कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा संबंधी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता में एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपने दो सहकर्मियों पर हमले के बाद डॉक्टर मंगलवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं।

पिछले तीन दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्से में चिकित्सा सेवा बाधित होने के मद्देनजर बनर्जी दोपहर में सरकारी एसएसकेएम अस्पताल पहुंचीं और काम पर नहीं लौटने को लेकर डॉक्टरों को कार्रवाई के प्रति आगाह किया। डॉक्टरों की एक टीम ने इस मुद्दे पर राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी से मुलाकात की और कहा कि उनके प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री का बयान अप्रत्याशित है। त्रिपाठी से भेंट के बाद राजभवन के बाहर एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि मांग पूरी होने तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कं. लि. Edelweiss
CIN:U67100MH2007PLC174759
एडलवेईस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098

आरपीएस क्लॉथिंग एंड लिनन प्रा.लि. की अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के लिये गिरवी रखी गई)

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद "सरफैसी अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 19 मार्च, 2014 के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (यहाँ के बाद "एसाइनर बैंक" वर्णित) के ऋण को ईएआरसी ट्रस्ट एससी-30 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत) एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (यहाँ के बाद "ईएआरसी" के रूप में वर्णित) को सौंप दिया गया। इसके बाद ईएआरसी एसाईनर बैंक की हैसियत से कार्य शुरू किया तथा प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। प्रतिभूत क्रेडीटर की हैसियत से ईएआरसी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत नियमों के अधीन 27 सितम्बर, 2016 को नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि एसाइनर बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति जिसका 27 सितम्बर, 2016 को प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की आरपीएस क्लाथिंग एंड लिनन प्रा.लि., अभिशेक शुक्ला, उमाकान्त गर्ग तथा केके इन्ट्राडेक्स प्रा.लि. से ईएआरसी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी राशि को घटाकर उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागत/खर्चे के साथ ईएआरसी की बकाया राशि 22 मार्च, 2015 को रु. 706813058/- (रुपये सत्तर करोड़ अड़सठ लाख तेरह हजार अन्ठावन मात्र) की वसूली के लिये 3 जुलाई, 2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 1,50,00,000/- तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 15,00,000/- होगी।

नीलामी / बिक्री के लिये रखी गई अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति सं. 27, गुजरात को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, गुजरात विहार के नाम से विदित कॉलोनी, दिल्ली-110092 (प्लॉट एरिया 294 वर्ग यार्ड्स) में स्थित 2रे तल पर आवासीय फ्लैट।

चौहद्दीः उत्तर में या उस ओरः 80 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में या उस ओरः सम्पत्ति सं. 52 पूर्व में या उस ओरः सम्पत्ति सं. 26, पश्चिम में या उस ओरः सम्पत्ति सं. 28

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये ईएआरसी की वेबसाईट https://www.edelweissarc.in, में दी गई लिंक कृपया देखें।

मो.नं.- 8828219649

तिथिः 14.6.2019 — हस्ता./-
स्थानः मुम्बई — प्राधिकृत अधिकारी

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना — DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण खाता	ग्राहक का नाम	शुद्ध वजन (ग्राम में)	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1	26541200000329	विमल कान्त यादव	89	20 एवं 21 जून, 2019 श्री विकास रोचनी टेलीफोन नं. 7081105518/ 7081105517 डीसीबी बैंक लिमिटेड, जी-1 (पार्ट), जी-1ए (पार्ट), जी-2 एवं अम्पमपम्प, जी-3, विमल टावर्स, ब्लॉक नं. 19/4, संजय प्लेस, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282002
2	26541200000471	राहुल सिंह	342	
3	26541200000781	राहुल सिंह	234	
4	26541200000772	खालिद युनुस	149	
5	26541200001076	अनीस अनवर	120	
6	26541200001083	खालिद युनुस	61	
7	26541200000338	राज कुमार शर्मा	31	
8	26541200001106	अनिल सिंह चौहान	19	
9	26541200000550	राज कुमार शर्मा	11	
10	26541200000727	राज कुमार शर्मा	39	
11	26541200000639	राज कुमार शर्मा	23	

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे। हस्ता./-

तिथिः 11.06.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः आगरा — डीसीबी बैंक लिमिटेड

पानीपत क्लस्टर हेड कार्यालय — **फेडरल बैंक** आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत फेडरल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (यहां के बाद नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 21 जनवरी, 2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः 1. श्रीमती कस्तूरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट,** एसआरओ के साथ पंजीकृत पंजीकरण सं. 563 दिनांक 02.05.2016 के माध्यम से ट्रस्ट डीड के अंतर्गत गठित एक एजुकेशनल ट्रस्ट, तहसील, करनाल, हरियाणा जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान न. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001, हरियाणा में है, इसके सचिव सुश्री राज कुमारी पुत्री रतन सिंह चौधरी, निवासी मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001, और इसके ट्रस्टी नामतः श्री रतन सिंह चौधरी, पुत्र श्री बीर सिंह, मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001, हरियाणा, श्री नरेन्दर चौधरी पुत्र रतन सिंह चौधरी निवासी मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001, हरियाणा, श्री जसमेर सिंह पुत्र रत्ती राम, 277 कलानपुरा, कलानपुरा (12), सिरसी, करनाल-132001, हरियाणा, श्रीमती पूनम कनिवाल पत्नी श्री नरेन्दर चौधरी, मकान मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001, हरियाणा द्वारा प्रतिनिधित्व -

2. सुश्री राजकुमार पुत्री रतन सिंह चौधरी, निवासी मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001

3. श्री रतन सिंह चौधरी, पुत्र श्री बीर सिंह, मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001

4. श्री नरेन्दर चौधरी पुत्र रतन सिंह चौधरी निवासी मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001, हरियाणा

5. श्री जसमेर सिंह पुत्र रत्ती राम, 277 कलानपुरा, कलानपुरा (12), सिरसी, करनाल-132001, हरियाणा,

6. श्रीमती पूनम कनिवाल पत्नी श्री नरेन्दर चौधरी, मकान मकान नं. 260, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, करनाल-132001, को सूचना में उल्लिखित राशि आपके टर्म लोन (टीएल1) खाता नं. 16496900000060 के अंतर्गत रु.1,33,92,838.48 (एक करोड़ तैंतीस लाख बयानबे हजार आठ सौ अड़तीस रुपए एवं अड़तालीस पैसे), आपके टर्म लोन (टीएल 2) खाता सं. 16496900000078 में रु. 37,10,495.00 (सैंतीस लाख दस हजार चार सौ पिचानबे रुपए) और आपके टर्म लोन (टीएल3) खाता सं. 16496900000094 में रु. 38,82,970.00 (अड़तीस लाख बयासी हजार नौ सौ सत्तर रुपए) अर्थात् हमारे बैंक की करनाल शाखा में 31.12.2018 को बकाया कुल राशि रु. 2,09,86,303.48 (दो करोड़ नौ लाख छियासी हजार तीन सौ तीन रुपए एव अड़तालीस पैसे) का पुनर्भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त नियम के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले उपर्युक्त अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत उन्हें को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 12 जून, 2019 को ले लिया है।**

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति (प्रतिभूत परिसम्पत्तियों) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन फेडरल बैंक लि. को आपके टर्म लोन (टीएल1) खाता सं. 16496900000060 के अंतर्गत रु.1,42,61,901.48 (एक करोड़ बयालीस लाख एकसठ हजार नौ सौ एक रुपए एवं अड़तालीस पैसे), आपके टर्म लोन (टीएल 2) खाता सं. 16496900000078 में रु.39,49,209.00 (उनतालीस लाख उनचास हजार दो सौ नौ रुपए) और आपके टर्म लोन (टीएल3) खाता सं. 16496900000094 में रु. 41,35,100.00 (एकतालीस लाख पैंतीस हजार एक सौ रुपए) अर्थात् हमारे बैंक की करनाल शाखा में 12.06.2019 को बकाया कुल राशि रु. 2,23,46,210.48 (दो करोड़ तेइस लाख छियालीस हजार दो सौ दस रुपए एवं अड़तालीस पैसे) पलस आगे लागत एवं अन्य प्रभार का भुगतान करने के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. गांव काकौत, तहसील कैथल, हरियाणा में सभी सम्बद्ध अधिकारों के साथ खेवट न. 347 मिनि/317, खतौनी नं. 542, मुरब्बा नं. 2/8 (4-13), 7(7-9), 3(1-4), 2/2(1-12), 8 मिनि मार्थ (7-4), 9/1 मिनि (2-3), 14 मिनि (0-16), 15 मिनि (1-8) में निर्मित भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं हिस्से, परिमाप 26 कैनाल 9 मारला (3.30625 एकड़) जो निम्नानुसार घिरी है: उत्तर में: भूमि 16.8' मदन लाल का मकान, दक्षिण में: 16.8' गली, पूर्व में: रतन सिंह का मकान और दक्षिण में: 67' श्रीमती राज कुमारी के मकान का शेष भाग।

2. दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन नजदीक संतोषी माता मंदिर एवं जिला करनाल, हरियाणा में स्थित म्यूटेशन नं. 5760 के साथ पठित पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 7867/1/2009 के माध्यम से सभी सम्बद्ध अधिकारों के साथ सम्पत्ति मकान नं. एम.सी. नं. 1117/ए परिमाप 119.11 वर्ग यार्ड के सभी भाग एवं हिस्से जो निम्नानुसार घिरा है: उत्तर में: अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में: अन्य की सम्पत्ति, पूर्व में: रोड और दक्षिण में: अन्य की सम्पत्ति।

दिनांक : 12.06.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : करनाल — दि फेडरल बैंक लि.

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

PARSHVA ENTERPRISES

PARSHVA ENTERPRISES LIMITED
Corporate Identification Number: U51909MH2017PLC297910

Our Company was originally incorporated as a public limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, dated July 27, 2017 with the name 'Parshva Enterprises Limited'. For details of changes in registered office please refer "History and Certain Other Corporate Matters" on page 73 of the Prospectus.

Registered Office: 811, A Wing, Jaswanti Allied Business Centre, Ramchandra Lane Extn., Malad West, Mumbai - 400064, Maharashtra, India; **Tel:** +91 22 4972 9700 | **Website:** www.parshvaenterprises.co.in | **E-mail:** info@parshvaenterprises.co.in
Contact Person: Sneha Y. Shah, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: PRASHANT A. VORA

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 8,10,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH OF PARSHVA ENTERPRISES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 35 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 364.50 LAKHS ("THE ISSUE"). OF THE ISSUE, 42,000EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 18.90 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 7,68,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 45 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 345.60 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.91% AND 25.51%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 133 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE — **OPENS ON WEDNESDAY, JUNE 19, 2019** — **CLOSES ON FRIDAY, JUNE 21, 2019**

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 45 PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE OF ₹ 45.00 IS 4.50 TIMES OF THE FACE VALUE.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 3,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 3,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

IN TERMS OF SEBI CIRCULAR NO. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015, ALL POTENTIAL INVESTORS SHALL PARTICIPATE IN THE ISSUE ONLY THROUGH AN APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") PROCESS PROVIDING DETAILS ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF CERTIFIED SYNDICATE BANKS ("SCSBS") FOR THE SAME. FURTHER, SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA VIDE ITS CIRCULAR NO. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 DATED NOV 1, 2018 (COPY ATTACHED) HAS INTRODUCE THE USE OF UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI) AS A PAYMENT MECHANISM WITH APPLICATION SUPPORTED BY BLOCK AMOUNT (ASBA) FOR APPLICATIONS IN PUBLIC ISSUES BY RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS HENCE THE UPI MECHANISM FOR RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS THROUGH INTERMEDIARIES WILL BE MADE EFFECTIVE ALONG WITH THE EXISTING ASBA PROCESS. FOR DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE 138.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it !!!	* Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheques will be accepted.

UPI — Now available in ASBA for retail individual investors

The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated May 21, 2019 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of BSE beginning on page 126 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Prospectus was furnished to SEBI in soft copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 124 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited (BSE) should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page 126 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE".

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
INVENTURE MERCHANT BANKER SERVICES PVT. LTD. **INVENTURE MERCHANT BANKER SERVICES PRIVATE LIMITED** 2nd Floor, Viraj Tower, Nr. Andheri Flyover (North End) Western Express Highway, Andheri (East) Mumbai – 400 069. **Tel:** +91 22 4075 1500 | **Fax:** +91 22 3954 8511 **Website:** www.inventuremerchantbanker.com **Email:** sme.ipo@inventuremerchantbanker.com **Investor Grievance Email:** redressal@inventuremerchantbanker.com **SEBI Registration No.:** INM000012003 **Contact Person:** Arvind Gala	**BIG SHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai- 400 059, Maharashtra, India. **Tel:** +91 22 6263 8200 | **Fax:** +91 22 6263 8299 **Website:** www.bigshareonline.com **Email:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance Email:** grievances@skylinerta.com **SEBI Registration No.:** INR000001385 **Contact Person:** Babu Raphael	**SNEHA Y. SHAH** **PARSHVA ENTERPRISES LIMITED** 811, A Wing, Jaswanti Allied Business Centre, Ramchandra Lane Extn., Malad West. Mumbai – 400 064, India **Tel:** 91 22 4972 9700 **E-mail:** cs@parshvaenterprises.co.in **Applicants can contact the Compliance Officer or the LM or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issue or Post-Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc.**

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of Parshva Enterprises Limited, Lead Manager: Inventure Merchant Banker Services Private Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.inventuremerchantbanker.com and the website of the Issuer Company at www.parshvaenterprises.co.in

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section, *"Risk Factors"* on page18 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 73 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 181 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorised Capital of ₹ 4,00,00,000 consisting of 40,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 2,20,00,000 consisting of 22,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 3,01,00,000 consisting of 30,10,000 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled *"Capital Structure"* beginning on page 41 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: 29,980 Equity Shares each to Prashant A. Vora; 5,000 Equity Shares each to Soonaben P. Vora, Harsh P. Vora, Kinjal P. Vora and Nirmalaben A. Vora; 10 Equity Shares each to Swati A. Shah and Atulkumar V. Shah.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated June 12, 2019.

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 18 of the Prospectus before making any investment decision.

For Parshva Enterprises Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Place : Mumbai — **Prashant A. Vora**
Date : June 13, 2019 — **Managing Director**

Parshva Enterprises Limited subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.inventuremerchantbanker.com, the website of the BSE i.e. www.bseindia.com, and website of the Issuer Company at www.parshvaenterprises.co.in. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 18 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the *"Securities Act"*) or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Raka

जनसत्ता
महासमर
विश्व कप -2019
14 जून, 2019 14

क्रिकेट विश्व कप में दुनिया को बदलने की क्षमता : पोंपियो

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने आइसीसी क्रिकेट विश्व कप को मौजूदा समय की सबसे अहम प्रतियोगिताओं में से एक करार दिया है। उन्होंने कहा कि अरबों लोगों का ध्यान खींचने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया को बदलने की क्षमता है।

बारिश से रद्द हुआ भारत-न्यूजीलैंड मैच

नॉटिंघम, 13 जून (भाषा)।

इंग्लैंड के खराब मौसम की गाज गुरुवार को भारतीय टीम पर भी गिरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप का उसका तीसरा मैच एक भी गेंद फेंके बगैर रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड के चार मैचों में सात अंक हैं वहीं भारत के तीन मैचों में पांच अंक हैं। भारत को अब रविवार को मैनचेस्टर में पाकिस्तान से खेलना है। मौसम विभाग ने वहां भी बारिश की भविष्यवाणी की है।

खराब मौसम के कारण गुरुवार को टॉस में विलंब हुआ और आखिर में टॉस हो ही नहीं सका। भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे पिच का मुआयना होना था लेकिन बारिश फिर शुरू होने के कारण इसे टाल दिया गया। पिछले दो दिन से भारी बारिश के कारण आउटफील्ड गीली थी।

अंपायरों ने शाम साढ़े सात बजे मुआयना करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया। इस टूर्नामेंट में यह चौथा मैच है जो बारिश के कारण नहीं हुआ। निश्चित तौर पर आइसीसी की चिंता इससे बढ़ गई होगी। दोनों टीमों के बीच अंक बंट गए और रिजर्व दिवस नहीं होने से

मैदान पर भारी तादाद में जमा दर्शकों को काफी निराशा हुई। इनमें अधिकांश भारतीय थे। मैच में अगर एक भी गेंद नहीं फेंकी जाए तो आइसीसी टिकट का पैसा वापस दे देती है लेकिन तीसरे पक्ष से महंगे दाम में टिकट लेने वाले दर्शकों को काफी नुकसान होगा।

अपेक्षाओं के बोझ से दबाव में नहीं हैं पंड्या

नॉटिंघम, 13 जून (भाषा)।

विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम पर भले ही अपेक्षाओं का भारी बोझ है लेकिन, हरफनमौला हार्दिक पंड्या इससे दबाव में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 'संभवतः केवल डेढ़ अरब लोग ही' उनसे विश्व कप जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। भारत के विश्व कप अभियान में पंड्या सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं।

हार्दिक ने आइसीसी से जारी वीडियो में कहा कि किसी तरह का दबाव नहीं है क्योंकि केवल एक अरब 50 करोड़ लोग ही उम्मीद लगाए हुए हैं। इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य विश्व कप जीतना है।

उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 14 जुलाई को कप मेरे हाथ में हो। मैं बस इसी के बारे में सोच रहा हूं। यहां तक कि जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तब भी मुझे अजीब सी खुशी मिलती है। मेरी योजना बहुत सरल है – विश्व कप जीतना। मैं इसकी उम्मीद कर रहा हूं और मैं खुद से ऐसी आस लगाए हुए हूं।

हार्दिक ने कहा कि भारत की तरफ से खेलना मेरे लिए सब कुछ है। यह मेरी जिंदगी है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इस खेल के प्रति प्यार और जुनून से क्रिकेट खेलता हूं। मुझे चुनौतियां पसंद हैं। पिछले साढ़े तीन साल से मैं इसकी तैयारियां कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अपने करियर के दौरान उन्हें जिन संघर्ष से गुजरना पड़ा उनसे उन्हें यह सीख मिली कि परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा खुश रहना है। हार्दिक ने कहा कि मैं हमेशा खुश रहता हूं। मैं खुश रहना पसंद करता हूं भले ही मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो। मैं और मेरा भाई (क्रुणाल) आपस में बात कर रहे थे और उसने कहा कि हम दोनों भाई हमेशा खुश रहते हैं।

भारत के खिलाफ मैच करो या मरो जैसा होगा : इमाम

टांटन, 13 जून (भाषा)।

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक ने भारत के खिलाफ रविवार को होने वाले मैच को भारी दबाव वाला करार दिया है। आस्ट्रेलिया से हार के बाद उनकी टीम के लिए यह मैच करो या मरो जैसा बन गया है। कप्तान सरफराज अहमद और नौवें नंबर के बल्लेबाज वहाब रियाज के आखिरी क्षणों में अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद पाकिस्तान को बुधवार को आस्ट्रेलिया से 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद वह अंकतालिका में आठवें स्थान पर खिसक गया है।

इमाम से पूछा गया कि क्या इस हार से ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाला मैच उनके लिए करो या मरो जैसा बन गया है।

उन्होंने कहा, 'हां, हमारा एक मैच बारिश से धुल गया था जो कि हमारे लिए अहम था। हमारे लिए अब प्रत्येक मैच महत्त्वपूर्ण बन गया है, इसलिए हां, आप ऐसा कह सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह के मैच का हिस्सा होना शानदार है। यह मैनचेस्टर में होगा जहां काफी पाकिस्तानी प्रशंसक हैं। इसलिए मैं वास्तव में इसको लेकर उत्साहित हूं। पाकिस्तान और भारत, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं लेकिन हम केवल क्रिकेट में अपने मजबूत पक्षों और उन्हें बेहतर करने पर ध्यान दे रहे हैं।

इमाम आस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रन बनाकर आउट हुए और इससे वह काफी निराश हैं। एक समय पाकिस्तान का स्कोर दो विकेट पर 136 था लेकिन इमाम के आउट होते ही परिस्थिति बदल गई और तीन अन्य विकेट जल्दी गिरने से स्कोर छह विकेट पर 160 हो गया। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा खेल रहा था। यह टीम मुझ पर और बाबर (आजम) पर निर्भर है। बाबर के आउट होने के बाद पारी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं अच्छा खेल रहा था लेकिन यह अच्छी गेंद नहीं थी जिस पर मैं आउट हुआ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ऐसा हुआ था।

> “निश्चित तौर पर इस तरह के मैच का हिस्सा होना शानदार है। यह मैनचेस्टर में होगा जहां काफी पाकिस्तानी प्रशंसक हैं। इसलिए मैं वास्तव में इसको लेकर उत्साहित हूं।
> –इमाम उल हक

विंडीज के सामने इंग्लैंड की चुनौती

उलटफेर में माहिर कैरेबियाई टीम से सतर्क रहेगा मेजबान

साउथम्पटन, 13 जून (भाषा)।

मेजबान इंग्लैंड का सामना शुक्रवार को वेस्ट इंडीज से होगा। इंग्लैंड के लिए कैरेबियाई टीम पिछले कुछ सालों से आसान प्रतिद्वंद्वी रहा है। हालांकि उलटफेर में माहिर विंडीज के खिलाफ मुकाबले में टीम काफी सतर्क रहेगी।

इंग्लैंड को पाकिस्तान से हार के बाद खुद के अंदर झांकने का मौका मिला। उसने बांग्लादेश के खिलाफ हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके बड़ी जीत दर्ज की। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को आसानी से शिकस्त दी लेकिन आस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर स्थिति में होने के बावजूद उसे हार मिली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसका मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

वेस्ट इंडीज का सामना अब उस इंग्लैंड से है जिसके सामने वह पिछले कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। इन दोनों टीमों के बीच जो 101 वनडे खेले गए हैं उनमें 51 में इंग्लैंड और 44 में वेस्ट इंडीज ने जीत दर्ज की है। वहीं पिछले दस साल में खेले गए 19 मैचों में कैरेबियाई टीम केवल तीन में जीत हासिल कर पाई है। इंग्लैंड ने इनमें से 14 मैच में जीत दर्ज की है और वह अपना यह दबदबा बरकरार रखने की कोशिश करेगा।

इंग्लैंड का मजबूत पक्ष उसकी बल्लेबाजी है। उसके शीर्ष सात बल्लेबाज अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। जैसन रॉय ने पिछले मैच में 153 रन बनाकर अपनी फॉर्म जाहिर की। जॉनी बेयरस्टो और जोस बटलर ने अर्धशतक जमाए। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया। वेस्ट इंडीज के पास बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिकता को देखते हुए तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट की जगह मोईन अली की अंतिम एकादश में वापसी हो सकती है। आर्चर के लिए यह मैच महत्त्वपूर्ण होगा क्योंकि वह मूल रूप से वेस्ट इंडीज से जुड़े हैं। उन्होंने इसी साल इंग्लैंड की तरफ से खेलने का हक पाया था। क्रिस गेल और आर्चर के

आमने-सामने

इन दोनों टीमों के बीच जो 101 वनडे खेले गए हैं उनमें 51 में इंग्लैंड और 44 में वेस्ट इंडीज ने जीत दर्ज की है। वहीं पिछले दस साल में खेले गए 19 मैचों में कैरेबियाई टीम केवल तीन में जीत हासिल कर पाई है। इंग्लैंड ने इनमें से 14 मैच में जीत दर्ज की है।

बीच रोचक जंग देखने को मिल सकती है। वेस्ट इंडीज की चिंता बल्लेबाजों को लेकर है। आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बल्लेबाज अपेक्षित खेल नहीं दिखा पाए। होप के अलावा कप्तान जैसन होल्डर ने भी अर्धशतक जमाया लेकिन फिर टीम 15 रन से हार गई। वेस्ट इंडीज को अगर इंग्लैंड को चुनौती देनी है तो गेल, शिमरॉन हेटमेयर और निकोलस पूरण जैसे बल्लेबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कैरेबियाई गेंदबाज इंग्लैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम की परीक्षा लेने के लिए तैयार दिखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने जल्द ही दो विकेट निकाल दिए थे लेकिन बारिश के कारण यह मैच 7.3 ओवर तक ही चल पाया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विंडीज को अंक बांटने पड़े थे।

'लगा था कभी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं बना पाऊंगा'

टांटन, 13 जून (भाषा)।

डेविड वार्नर को गेंद से छेड़खानी के मामले में प्रतिबंध लगने के बाद डर सता रहा था कि वह फिर कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और आस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में 107 रन बनाकर यह डर खुद से मीलों दूर भगा दिया। इस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने एक साल प्रतिबंध झेलने के बाद स्टीवन स्मिथ के साथ सफल वापसी की है।

वार्नर की पारी से आस्ट्रेलिया ने बुधवार को इस मैच में 41 रन से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि इस पारी से उन्हें खुशी और राहत दोनों मिल रही है क्योंकि एक समय वह सोचा करते थे कि क्या कभी उनके जीवन में ऐसा क्षण आएगा।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज से पूछा गया कि क्या कभी उन्हें लगा कि इंग्लैंड के खिलाफ दिसंबर 2017 में लगाया गया शतक आस्ट्रेलिया की तरफ से उनका आखिरी सैकड़ा हो सकता है, उन्होंने कहा, 'हां, निश्चित तौर पर। मेरे दिमाग में हमेशा यह बात घूमती रहती थी।' वार्नर ने कहा कि इससे ही मुझे जितना संभव हो सके फिट बने रहने, विभिन्न टी-20 टूर्नामेंटों में अधिक से अधिक रन बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रही। मैंने वास्तव में ग्रेड क्रिकेट खेलने का पूरा लुत्फ उठाया। मैंने उस मुश्किल दौर में खुद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए बेहतर स्थिति में रखा।'

वार्नर प्रतिबंध के दौरान किसी तरह की चर्चा में आने से बचते रहे लेकिन अपने शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने खुलकर बातें कीं। उन्होंने पत्नी कैंडाइस का भी आभार व्यक्त किया जो इस मुश्किल दौर में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुना जाता तो मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी समय वापसी करने के लिए तैयार था। जिन चीजों के कारण खुद को जीवंत बनाए रख पाया वह मेरी पत्नी और दोनों बच्चे थे। मुझे अपने परिवार से बहुत ज्यादा समर्थन मिला। घर में मेरी पत्नी, वह मेरा मजबूत पक्ष है। वह अविश्वसनीय, अनुशासित और निस्वार्थ है।

वार्नर ने कहा कि उन्हें बहुत श्रेय जाता है। वह कभी हार नहीं मानने वाली महिला हैं। उन्होंने पहले 12 सप्ताह में मुझे कई बार घर में बैठे रहने के बजाय दौड़ने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। अगर मैं अपनी फिटनेस और कड़ी मेहनत के स्तर को बनाए रख पाया तो इसका श्रेय उन्हें जाता है।

भारत के खिलाफ मैच से पहले क्षेत्ररक्षण में सुधार जरूरी : सरफराज

टांटन, 13 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ लचर क्षेत्ररक्षण के बाद अपने साथियों से भारत के खिलाफ होने वाले मैच से पूर्व इस विभाग में सुधार करने के लिए कहा है। आस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 307 रन बनाए जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम केवल 266 रन ही बना पाया। उसे 41 रन से हार का सामना करना पड़ा।

सरफराज ने कहा कि हमने सभी विभागों में कई गलतियां कीं। मैं अपने क्षेत्ररक्षण से काफी निराश हूं। यह उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। भारत के खिलाफ खेलने से पहले हमें इसमें सुधार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भारत के खिलाफ कोई बहाना नहीं चल सकता।

पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह खिताब के प्रबल दावेदार इंग्लैंड को हराया था क्योंकि इयोन मोर्गन की टीम का क्षेत्ररक्षण खराब रहा था। आस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि भूमिकाएं बदल गईं तथा पाकिस्तान को कैच टपकाने, लचर क्षेत्ररक्षण और ओवरथ्रो की वजह से हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान के लिए हालांकि मैच में कुछ सकारात्मक पक्ष भी रहे जिनमें मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी भी है जिन्होंने 30 रन देकर पांच विकेट लिए। सरफराज ने कहा कि अगर आप मैच के सकारात्मक पक्षों पर बात करेंगे तो वह मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी रही। यह अगले मैच से पहले हमारे लिए काफी अहम है। वह विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं। जब वह गेंद स्विंग कराते हैं तो फिर उन्हें खेलना मुश्किल होता है। जब सीम और स्विंग की परिस्थितियां होती हैं तो वह और मुश्किलें पैदा करते हैं।

विश्व कप डायरी

भारत-इंग्लैंड में होगा फाइनल : पिचाई

वाशिंगटन, 13 जून (भाषा)।

गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भविष्यवाणी की है कि आइसीसी विश्व कप 2019 का फाइनल भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। वह चाहते हैं कि विराट कोहली की अगुआई वाली टीम अच्छा प्रदर्शन करके विजेता बने। खुद को जुनूनी क्रिकेट प्रशंसक करार देते हुए 46 वर्षीय पिचाई ने कहा कि जब वह अमेरिका आए तो उन्हें बेसबॉल थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगा था।

पिचाई ने यूएसआइबीसी की 'इंडिया आइडियाज समिट' में कहा कि यह (आइसीसी विश्व कप फाइनल) इंग्लैंड और भारत के बीच होना चाहिए। लेकिन आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी बहुत अच्छी हैं। वह यूएसआइबीसी की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल के सवाल का जवाब दे रहे थे जिन्होंने पूछा था कि 'आपको क्या लगता है कि फाइनल मैच किसके बीच होगा?' पिचाई ने अमेरिका में क्रिकेट और बेसबॉल के अपने कुछ अनुभव भी साझा किए।

उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार यहां आया तो मैंने बेसबॉल में हाथ आजमाने की कोशिश की। मेरा कहना है कि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। मेरे पहले मैच में मुझे खुशी थी कि मैंने गेंद को पीछे हिट किया था। क्रिकेट में यह वास्तव में अच्छा शॉट होता लेकिन लोगों ने इसकी तारीफ नहीं की।

पिचाई ने कहा कि क्रिकेट में जब आप रन के लिए दौड़ते हैं तो बल्ला साथ में रखते हैं, तो मैं बेसबॉल में अपने बल्ले के साथ दौड़ पड़ा था। इसलिए आखिर में मुझे अहसास हुआ कि बेसबॉल थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मैं कई चीजों से सामंजस्य बिठा सकता हूं लेकिन क्रिकेट के प्रति मेरा प्यार बना रहेगा।

भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले भारतीय प्रशंसक। बारिश के कारण यह मुकाबला एक भी गेंद फेंके बगैर रद्द कर दिया गया।

फ्रांस और जर्मनी की लगातार दूसरी जीत

पेरिस, 13 जून (भाषा)।

मेजबान फ्रांस और जर्मनी ने फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए दूसरी जीत दर्ज करके नॉकआउट में जगह बनाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। फ्रांस ने ग्रेनोबल में खेले गए ग्रुप ए के मैच में नार्वे को 2-1 से हराया।

उसकी तरफ से वेलेरी गाविन ने 46वें मिनट में गोल किया लेकिन वेंडी रेनार्ड के 54वें मिनट में किए गए आत्मघाती गोल से नार्वे बराबरी करने में सफल रहा। फ्रांस को 72वें मिनट में पेनल्टी मिली जिस पर इयुगेनी ली सोमर ने गोल किया जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। फ्रांस के अब दो मैचों में दो जीत से छह अंक हैं और वह ग्रुप ए में शीर्ष पर है। ग्रुप ए में ही नाइजीरिया ने दक्षिण कोरिया को 2-0 हराया।

शटलर ली चोंगे ने लिया संन्यास

पुत्राजाया (मलेशिया), 13 जून (एएफपी)।

कैंसर से जूझने वाले बैडमिंटन स्टार ली चोंग वेई ने गुरुवार को संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही उनके बेहतरीन करियर का भी अंत हो गया। उन्होंने कई खिताब जीते लेकिन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। ली यहां संवाददाता सम्मेलन में संन्यास की घोषणा करते समय भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं।

इस 36 वर्षीय स्टार ने कहा कि मैंने भारी मन से संन्यास लेने का फैसला किया है। मैं वास्तव में इस खेल को बहुत चाहता हूं लेकिन यह काफी दमखम वाला खेल है। मैं पिछले 19 वर्षों में सहयोग और समर्थन के लिए सभी मलेशियावासियों का आभार व्यक्त करता हूं। दो बच्चों के पिता ली को पिछले साल नाक के कैंसर का पता चला था जो शुरुआती चरण में था। इसके बाद उन्होंने ताइवान में उपचार कराया और कहा कि वह वापसी करने के लिए बेताब हैं। उन्होंने हालांकि अप्रैल से अभ्यास नहीं किया और कई समयसीमाएं तय करने और उन्हें पूरा नहीं कर पाने के कारण अगले साल तोक्यो ओलंपिक में खेलने की उनकी उम्मीदें क्षीण पड़ गई थीं। ओलंपिक में तीन बार के रजत पदक विजेता ली ने कहा कि वह अब विश्राम करके अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे तथा अपनी पत्नी को 'हनीमून' पर ले जाएंगे क्योंकि 2012 में शादी के बाद वह लगातार इसे टालते रहे थे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 208, हवाई शुल्क: इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। कॉपीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।